

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की  
निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
भारत सरकार | GOVERNMENT OF INDIA

**National Social Assistance Programme**

संघ सरकार (सिविल)  
2023 की प्रतिवेदन सं. 10  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की  
निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन**

**संघ सरकार (सिविल)  
2023 की प्रतिवेदन सं. 10  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया:

लोक सभा :

राज्य सभा :



विषय		पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii-xiv
<b>अध्याय 1</b>	<b>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का परिचय</b>	
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	प्रस्तावना	2
1.3	निधि आबंटन तथा निधि प्रवाह	4
1.4	पेंशन संवितरण	6
<b>अध्याय 2</b>	<b>लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली</b>	
2.1	हमने यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों की	8
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	9
2.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	9
2.4	लेखापरीक्षा नमूना चयन	10
2.5	लेखापरीक्षा मानदण्ड	11
2.6	लेखापरीक्षा कार्यपद्धति	11
<b>अध्याय 3</b>	<b>योजना निष्पादन का एक विहंगावलोकन</b>	
3.1	केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज	13
3.2	लाभार्थी डाटाबेस का गैर-संशोधन	15
3.3	पेंशन राशि का गैर-संशोधन	19
3.4	आईजीएनडीपीएस के अधीन विकलांग लाभार्थियों का कम कवरेज	22
3.5	राज्यों/यूटी द्वारा अतिरिक्त सहायता	22
3.6	योजना का असमान कार्यान्वयन	28
3.7	राज्य/यूटी स्तरीय योजनाओं के लाभार्थियों का गैर-पृथक्करण	33
<b>अध्याय 4</b>	<b>नियोजन</b>	
4.1	गरीब/अरक्षित समूहों के डाटा का अभाव/पुराना डाटा	35
4.2	लाभार्थियों की कोई सक्रिय पहचान नहीं	37
4.3	पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया का अभाव	42

विषय		पृष्ठ
4.4	मौजूदा लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन का गैर-संचालन	44
4.5	सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की प्रभावशीलता	46
<b>अध्याय 5 वित्तीय प्रबंधन</b>		
5.1	राज्यों/यूटी द्वारा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब/गैर-प्रस्तुतीकरण	49
5.2	राज्यों/यूटी द्वारा निधियों के जारी करने में देरी	51
5.3	उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निधियों का प्राक्कलन	53
5.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब/गैर-प्रस्तुतीकरण	55
5.5	निधियों का अपयोजन	56
5.6	₹ 18.78 करोड़ की निधियों की निष्क्रियता	59
5.7	₹ 5.98 करोड़ का अस्वीकार्य प्रशासनिक व्यय	60
5.8	पात्र लाभार्थी डाटा के डिजिटलीकरण में अंतर	62
5.9	पीएफएमएस के साथ एकीकरण	64
5.10	आधार एकीकरण	65
<b>अध्याय 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>		
6.1	पेंशन संस्वीकृति करने की प्रक्रिया में विसंगतियां	68
6.2	मासिक आधार पर पेंशन का गैर- भुगतान	73
6.3	पात्रता मानदंड पर आधारित पेंशन भुगतान में अनियमितताएं	75
6.4	₹ 0.63 करोड़ की पेंशन का अधिक भुगतान	83
6.5	₹ 42.85 करोड़ की पेंशन का कम भुगतान	84
6.6	₹ 3.55 करोड़ की राशि की एक से अधिक पेंशन का भुगतान	86
6.7	लाभार्थियों की मृत्यु के बाद ₹ दो करोड़ का पेंशन भुगतान	87
6.8	नकद में पेंशन का भुगतान	89
6.9	आधार सूचना में विविधता	91
6.10	योजनाओं का गैर-अभिसरण	92
<b>अध्याय 7 निगरानी एवं मूल्यांकन</b>		
7.1	केन्द्रीय स्तर पर निगरानी	94

विषय		पृष्ठ
7.2	राज्य स्तर पर निगरानी	97
7.3	जिला स्तरीय समिति द्वारा निगरानी	99
7.4	सामाजिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन	101
7.5	एनएसएपी-एमआईएस का अनुचित/गैर-अनुरक्षण	104
7.6	राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र की गैर-मौजूदगी	105
<b>अध्याय 8</b>	<b>सिफारिशें</b>	108
	अनुलग्नक	111-137
	संक्षेपाक्षर	138-139





## प्राक्कथन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पिछले 27 वर्षों से, जब इसे अगस्त, 15, 1995 में प्रारम्भ किया गया था, वृद्ध, विकलांग, विधवा तथा प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में बीपीएल परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

दोनों केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं में एक साथ 2017-21 के दौरान औसतन 4.65 करोड़ लाभार्थियों ने वार्षिक रूप से वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन तथा पारिवारिक लाभ प्राप्त किया। भारत सरकार ने 2017-21 के दौरान औसतन ₹ 8,608 करोड़ प्रति वर्ष जारी किए। इसके अतिरिक्त, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों (यूटी) ने भी पेंशन तथा पारिवारिक लाभ हेतु कथित अवधि के दौरान औसतन ₹ 27,393 करोड़ प्रति वर्ष आवंटित किए हैं।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2017-18 से 2020-21 की अवधि शामिल है, के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



## कार्यकारी सारांश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अंदर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता तथा अन्य अनर्जित मांग के मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निदेश देता है। भारत सरकार ने निराश्रित, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जी रही आबादी तथा अरक्षित समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को प्रमोचित किया था।

वर्तमान में, एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं जिसमें से तीन पेंशन योजनाएं हैं:

- (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस),
- (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), तथा
- (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)।

अन्य दो उप-योजनाएं पेंशन योजनाएं नहीं हैं अर्थात्

- (iv) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) - कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में शोकाकुल परिवार को एक बार की सहायता तथा
- (v) अन्नापूर्णा योजना - पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो आईजीएनओएपीएस के अधीन शामिल हुए बिना रहे, को खाद्य सुरक्षा।

एनएसएपी की अखिल भारतीय लेखापरीक्षा में दो चरण शामिल हैं:

**चरण I:** उपलब्ध एनएसएपी डाटा के आधार पर संचालित डाटा विश्लेषण, तथा

**चरण II:** चयनित नमूना इकाइयों में लेखापरीक्षा संवीक्षा के माध्यम से विस्तृत फील्ड लेखापरीक्षा की गई है।

एनएसएपी की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा ने 28 राज्यों तथा आठ यूटी में आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीपीएस तथा एनएफबीएस के कार्यान्वयन की जांच की। लेखापरीक्षा 179 जिलों, 358 ब्लॉकों, 699 ग्राम पंचायतों तथा 8,461 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए की गई थी।

एनएसएपी की निष्पादन लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या:

1. योजना की सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने तथा अपात्र लाभार्थियों को हटाने हेतु प्रभावी रूप से नियोजित किया गया था;
2. योजना के समग्र वित्तीय प्रबंधन ने लाभार्थियों को संवितरण हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों की सामयिक उपलब्धता तथा निर्गम को सुनिश्चित किया;
3. योजना को समयबद्ध प्रकार से कार्यान्वित किया गया था; तथा
4. योजना की निगरानी हेतु प्रभावी नियंत्रण तंत्र तथा मजबूत आईटी प्रणाली मौजूद थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) को एनएसएपी के अंतर्गत निधियां जारी की। एनएसएपी को संबंधित राज्य सरकारों तथा यूटी प्रशासनों द्वारा दोनों ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 2017-21 के दौरान, भारत सरकार ने एनएसएपी के लिए ₹ 34,432 करोड़ आबंटित किया। इसके अतिरिक्त, राज्यों तथा यूटी ने भी पेंशन हेतु सहायता के रूप में तथा अतिरिक्त लाभार्थियों के कवरेज हेतु ₹ 1,09,573 करोड़ आबंटित किए। 2017-21 के दौरान एनएसएपी केन्द्रीय आबंटनों के माध्यम से 2.83 करोड़ लाभार्थी प्रति वर्ष तथा राज्य/यूटी की निधियों के माध्यम से औसतम 1.82 करोड़ लाभार्थी प्रति वर्ष तक पहुंची।

एनएसएपी का लक्ष्य बीपीएल सूची से वृद्ध, विधवा तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में बीपीएल परिवारों को मूल वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों का आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना (एसईसीसी) को अंतिम रूप दिए जाने तक बीपीएल सूची से चयन किया जाना था; हालांकि, एसईसीसी को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् भी लाभार्थियों का बीपीएल सूची से चयन किया जा रहा है जबकि बीपीएल सूचियों का नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा है।

भारत सरकार राज्यों/यूटी से अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की मांग करते हुए एमओआरडी द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार एनएसएपी निधियों का आबंटन कर रही है। योजना का लक्ष्य सक्रिय पहचान के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज करना है फिर भी एनएसएपी को मांग-संचालित पद्धति में कार्यान्वित किया जा रहा है क्योंकि लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किए गए थे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था।

मौजूदा लाभार्थियों के गैर-सत्यापन के कारण के साथ-साथ डाटा छटनी, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की कमी के कारण कई राज्यों/यूटी में लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थी के मामले पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों/यूटी में पेंशन मासिक आधार पर अदा नहीं की जा रही थी। योजना पूर्ण रूप से डीबीटी अनुरूप नहीं थी क्योंकि कुछ राज्यों में पेंशन नकद में अदा की जा रही है। कई राज्यों/यूटी में अधिक भुगतान, कम भुगतान तथा कई पेंशन भुगतान के मामले पाए गए थे।

निगरानी, सामाजिक-लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण तंत्र योजना के कार्यान्वयन के दौरान पाए गए कमियों के संदर्भ में प्रभावी नहीं था।

## मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### योजना निष्पादन का एक विहंगावलोकन

2017-21 के दौरान एनएसएपी का कुल केन्द्रीय व्यय ₹ 34,432 करोड़ था जबकि उसी अवधि के दौरान एनएसएपी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर राज्यों/यूटी का व्यय ₹ 1,09,573 करोड़ था।

*(पैराग्राफ 3.1 तथा 3.2, पृष्ठ सं. 13 & 15)*

एनएसएपी को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थी या फिर कुछ राज्यों/यूटी में आंशिक रूप से कार्यान्वित की जा रही थी। विशेषकर, एनएफबीएस को कई राज्यों/यूटी में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। एनएसएपी पूरे देश में सभी शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना था परंतु इसे कुछ राज्यों/यूटी में या तो कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था या फिर आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था जो उन राज्यों में पात्र लाभार्थियों को एनएसएपी लाभों से वंचित करने का कारण बना।

*(पैराग्राफ 3.7, पृष्ठ सं. 33)*

### नियोजन

सक्रिय पहचान के अभाव तथा पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस के गैर-अनुरक्षण, जैसा प्रत्याशित है, से योजना को मांग-संचालित प्रक्रिया में कार्यान्वित किया जा रहा था जहां लाभ केवल उन्हीं

लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने स्वयं एनएसएपी के अधीन पेंशन/लाभ हेतु आवेदन किया था। पात्र लाभार्थी जो लाभों से अनजान थे/ आवेदन करने हेतु संसाधनों की कमी थी वे एनएसएपी की सीमा से बाहर रह गए थे। आगे, कुछ राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के समान लाभार्थियों को भी शामिल नहीं कर सके थे।

**(पैराग्राफ 4.1 तथा 4.2, पृष्ठ सं. 35 & 37)**

विशेष सत्यापन दलों के गैर-गठन तथा वार्षिक सत्यापन गैर-संचालन ने अपात्र लाभार्थियों को हटाने हेतु जमीनी स्तर पर अप्रभावी जांचों को दर्शाया।

**(पैराग्राफ 4.4, पृष्ठ सं. 44)**

लाभार्थियों की सक्रिय पहचान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अभाव के साथ आईईसी गतिविधियों की कमी का परिणाम एनएसएपी की सीमा से पात्र लाभार्थियों का विलंबित/गैर-कवरेज तथा लाभार्थियों के सार्वभौमिक कवरेज की गैर-उपलब्धि में हुआ।

**(पैराग्राफ 4.5, पृष्ठ सं. 46)**

### **वित्तीय प्रबंधन**

राज्यों द्वारा दूसरी किस्त हेतु प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम को प्रभावित किया जिसने बदले में पेंशन के संवितरण की आवृत्ति को प्रभावित किया। आगे, राज्यों/यूटी द्वारा कार्यान्वयन विभागों को निधियों के निर्गम में विलम्ब था जबकि कार्यान्वयन विभागों को तीन दिनों के भीतर निधियां जारी की जानी थी।

**(पैराग्राफ 5.1 तथा 5.2, पृष्ठ सं. 49 & 51)**

एनएसएपी के अधीन आईईसी गतिविधियों हेतु चिन्हित ₹ 2.83 करोड़ की निधियों का अन्य योजनाओं के प्रचार हेतु विपथन किया गया था। आगे, ₹ 57.45 करोड़ की कुल निधियों का अन्य योजनाओं/उद्देश्यों हेतु छः राज्यों/यूटी में विपथन किया गया था।

**(पैराग्राफ 5.5.1 तथा 5.5.2, पृष्ठ सं. 56 & 57)**

कुल ₹ 18.78 करोड़ की निधियां आठ राज्यों/यूटी के पास एक से पांच वर्षों तक के बीच की अवधि के लिए व्यर्थ पड़ी थी। राज्य/जिला स्तर पर निधियों का व्यर्थ होना राज्यों/यूटी की

ओर से वित्तीय निगरानी की कमी को दर्शाता है, जिसने लाभार्थियों को पेंशन के अनियमित भुगतान को दर्शाया।

*(पैराग्राफ 5.6, पृष्ठ सं. 59)*

कुल ₹ 5.98 करोड़ की निधियों का 10 राज्यों/यूटी में अस्वीकार्य मदों पर व्यय किया गया था जिसने वित्तीय अनुशासन की कमी तथा एनएसएपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को दर्शाया।

*(पैराग्राफ 5.7, पृष्ठ सं. 60)*

### **कार्यक्रम कार्यान्वयन**

संभावित लाभार्थियों की पहचान तथा पात्र लाभार्थियों को पेंशन की संस्वीकृति में विलम्ब थे। पेंशन की प्रभावी तिथि से पेंशन के गैर-संवितरण का परिणाम 11 राज्यों/यूटी में 92,602 लाभार्थियों को ₹ 61.71 करोड़ के कम भुगतान में हुआ।

*(पैराग्राफ 6.1.4, पृष्ठ सं. 72)*

केवल 11 राज्यों/यूटी ने ही मासिक पेंशन का संवितरण किया जैसा एनएसएपी दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई है। चार राज्य त्रैमासिक पेंशन भुगतान कर रहे थे जबकि दो राज्य वार्षिक पेंशन भुगतान कर रहे थे। 17 राज्यों/यूटी ने आवधिक पेंशन भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया था तथा तदर्थ आधार पर पेंशन अदा की।

*(पैराग्राफ 6.2, पृष्ठ सं. 73)*

14 राज्यों में, ₹ 30.47 करोड़ की आईजीएनओएपीएस पेंशन 57,394 अपात्र व्यक्तियों, जो 60 वर्षों की आयु से कम के थे, को अदा की गई थी।

*(पैराग्राफ 6.3.1, पृष्ठ सं. 76)*

17 राज्यों/यूटी में ₹ 26.45 करोड़ की आईजीएनडब्ल्यूपीएस पेंशन 38,540 अपात्र व्यक्तियों, जो 40 वर्षों की आयु से कम के थे, को अदा की गई थी। आगे, छः राज्यों/यूटी में ₹ 0.57 करोड़ की आईजीएनडब्ल्यूपीएस पेंशन विधवाओं के अलावा, परिवार के पुरुष सदस्य सहित, 414 व्यक्तियों को अदा की गई थी।

*(पैराग्राफ 6.3.2 तथा 6.3.3, पृष्ठ सं. 77 & 78)*

12 राज्यों/यूटी में, ₹ 4.36 करोड़ की आईजीएनडीपीएस पेंशन 5,380 अपात्र व्यक्तियों, जो 18 वर्षों से कम की आयु के थे, को अदा की गई थी। 16 राज्यों/यूटी में ₹ 15.11 करोड़ की आईजीएनडीपीएस पेंशन 21,322 व्यक्तियों को अदा की गई थी जिनकी विकलांगता या तो 80 प्रतिशत से कम थी या फिर पता नहीं लगाई जा सकती थी।

*(पैराग्राफ 6.3.4 तथा 6.3.5, पृष्ठ सं. 79 & 81)*

80 वर्षों की आयु से ऊपर के लाभार्थियों हेतु बढ़ी हुई दर पर पेंशन के भुगतान के संबंध में नियंत्रण तंत्र की कमी के कारण सात राज्यों/यूटी में 2,151 व्यक्तियों को ₹ 0.63 करोड़ की पेंशन के अधिक भुगतान तथा 15 राज्यों/यूटी में 2,43,286 व्यक्तियों को ₹ 42.85 करोड़ की पेंशन के कम भुगतान के मामले पाए गए थे।

*(पैराग्राफ 6.4 तथा 6.5, पृष्ठ सं. 83 & 84)*

14 राज्यों/यूटी में एक व्यक्तिगत लाभार्थी को एक से अधिक पेंशन के भुगतान के कारण 2,243 व्यक्तियों को ₹ 3.55 करोड़ की पेंशन का अधिक भुगतान किया गया।

*(पैराग्राफ 6.6, पृष्ठ सं. 86)*

26 राज्यों/यूटी में ₹ दो करोड़ की पेंशन का भुगतान 2,103 लाभार्थियों के मामले में कथित एनएसएपी व्यक्तियों की मृत्यु के बाद भी किया गया था।

*(पैराग्राफ 6.7, पृष्ठ सं. 87)*

### **निगरानी एवं मूल्यांकन**

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति (एनएसएपी) ने 2017-21 के दौरान केवल तीन बैठक की थी।

*(पैराग्राफ 7.1, पृष्ठ सं. 94)*

30 राज्यों/यूटी में राज्य स्तरीय समिति के गैर-अस्तित्व के कारण राज्य/यूटी स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था जैसी अभिकल्पना की गई थी। आगे, 18 राज्यों/यूटी द्वारा राज्य नोडल विभागों द्वारा एनएसएपी के कार्यान्वयन की कोई आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

*(पैराग्राफ 7.2.1 तथा 7.2.2, पृष्ठ सं. 97 & 98)*



25 राज्यों/यूटी में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जहां सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी वहां इसके निष्कर्षों पर कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 7.4, पृष्ठ सं. 101)

17 राज्यों/यूटी में एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र अस्तित्व में/क्रियात्मक नहीं था।

(पैराग्राफ 7.6, पृष्ठ सं. 105)

### सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि:

1. अपात्र लाभार्थियों को हटाने/छंटनी करने, लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन को रोकने तथा लाभार्थी के डाटा के सत्यापन/प्रमाणीकरण हेतु विशिष्ट उपाय किए जाए।
2. एनएसएपी के अधीन निधि आबंटन एवं विमोचन ऐसे किया जाए ताकि लाभार्थियों की पेंशन का मासिक संवितरण एवं परिवार लाभों को समयोचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
3. एनएसएपी निधियों के अस्वीकार्य व्यय, उपयोजन और निष्क्रियता से बचते हुए एनएसएपी निधियों का पारिवारिक लाभ और समय पर पेंशन के भुगतान हेतु उपयोग किया जाए।
4. अधिक भुगतान, कम भुगतान, बहु भुगतान एवं पेंशन के भुगतान में देरी से बचने के लिए प्रणाली आधारित जांचों का गठन किया जाए।
5. पेंशन का भुगतान आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित एकीकृत बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से किया जाए। अनियमित पेंशन भुगतानों की समीक्षा करने तथा ऐसे मामलों में जवाबदेही निर्धारित करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाए।
6. विभिन्न समितियों द्वारा निगरानी राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षक, आवधिक मूल्यांकन अध्ययन एवं इसके निष्कर्षों पर कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।

7. पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।
8. लाभार्थियों के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने हेतु पात्र लाभार्थियों की सक्रिय पहचान के लिए जागरुकता उत्पन्न करने की गतिविधियां तथा आईईसी का सुदृढीकरण, संभावित लाभार्थियों की समष्टि को अपलोड करना तथा वार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाए।

## अध्याय-1: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का परिचय

### 1.1 पृष्ठभूमि

भारत सरकारने गरीब के लिए सामाजिक सहायता हेतु एक राष्ट्रीय नीति की नींव रखने के लिए 1995 में एनएसएपी प्रमोचित किया।

एनएसएपी का लक्ष्य उन लाभों जो राज्य वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं अथवा भविष्य में प्रदान कर सकते हैं के अतिरिक्त सामाजिक सहायता हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानक को सुनिश्चित करना है। 15 अगस्त 1995 को एसएसएपी पूर्ण रूप से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू हुई। प्रारम्भ में एनएसएपी को वृद्धावस्था, कमानेवाले की मृत्यु तथा मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी तथा इसलिए इसके तीन संघटक थे।

- (i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस),
- (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) तथा
- (iii) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)।

2000 में, पात्र लाभार्थियों, जो एनओएपीएस के अधीन शामिल नहीं थे, को 10 किलो मुफ्त खाद्यान प्रदान करने हेतु अन्नपूर्णा योजना प्रारम्भ की गई थी। 2001 में एनएमबीएस का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में स्थानांतरण कर दिया गया था। 2009 में अरक्षित, जोखिम तथा वंचन जिन्हें एक समाज में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता है, के स्तरों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में विधवाओं तथा दिव्यांगजन की पेंशन को शामिल करने हेतु एनएसएपी का विस्तार किया गया था तथा यह उन लोगों जिन्हें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया में खो दिया गया है, के कल्याण को भी बढ़ावा देगा।

वर्तमान में एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं जिनमें से तीन पेंशन योजनाएं हैं जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस),
- (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीडब्ल्यूपीएस), तथा

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)।

अन्य दो योजनाएं पेंशन योजनाएं नहीं हैं अर्थात्

(iv) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)-कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में शोकाकुल परिवार को एक बार की सहायता तथा

(v) अन्नपूर्णा योजना - पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो आईजीएनओएपीएस में शामिल नहीं थे, को खाद्य सुरक्षा।

## 1.2 प्रस्तावना

एनएसएपी को दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी राज्यों व यूटी में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय होने से सभी राज्यों/यूटी को वार्षिक आबंटन आधार पर उप-योजना वार निधियां जारी करता है। पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध बीपीएल सूची से शामिल किया जाना था। हालांकि पात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में सम्मिलित न होने के मामले में योग्य व्यक्तियों की पात्रता स्थापित की जानी चाहिए तथा चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

एनएसएपी के अधीन केन्द्रीय सहायता प्रत्येक उप-योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर राज्यों तथा यूटी को प्रदान की जाती है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/यूटी को कम से कम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु पुरजोर आग्रह किया गया है जिससे कि लाभार्थी सहायता का उचित स्तर प्राप्त कर सके। कार्यक्रम का लक्ष्य सक्रिय पहचान के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के सार्वभामिक कवरेज को प्राप्त करना है। कार्यक्रम लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु अन्य योजनाओं के साथ स्वचल अभिसरण होने की भी मांग करता है।

राज्यों तथा यूटी अपने संबंधित विभागों/निदेशालयों जैसे कि सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि के माध्यम से योजना को कार्यान्वित करते हैं। 33 राज्यों तथा यूटी एनएसएपी के साथ विभिन्न नामों से अपनी स्वयं की पेंशन योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

एनएसएपी के अधीन विभिन्न उप-योजनाओं का तालिका 1.1 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.1 एनएसएपी उप-योजनाएं, पात्रता मानदण्ड तथा केन्द्रीय सहायता

उप-योजना	पात्रता मानदण्ड	केन्द्रीय सहायता
आईजीएनओएपीएस (पेंशन)	बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्ति जो 60 वर्षों की आयु का हो जाता है	₹ 200 प्रति माह (60-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्षीय तथा अधिक)
आईजीएनडब्ल्यूपीएस (पेंशन)	बीपीएल श्रेणी से संबंधित विधवा जो 40 वर्ष की आयु की हो गई है	₹ 300 प्रति माह (40-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्षीय तथा अधिक)
आईजीएनडीपीएस (पेंशन)	18 वर्ष की आयु से अधिक बीपीएल से संबंधित 80 प्रतिशत तथा अधिक के विकलांगता स्तर वाला विकलांग व्यक्ति	₹ 300 प्रति माह (18-79 वर्षीय) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्षीय तथा अधिक)
एनएफबीएस (परिवार लाभ)	बीपीएल श्रेणी से संबंधित परिवार में 18-59 वर्षों के बीच की आयु में प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में	₹ 20000 एक-बार की सहायता के रूप में

एनएसएपी की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शाई गई हैं:

पात्र व्यक्तियों का सार्वभौमिक कवरेज तथा सक्रिय पहचान

आवेदन, संस्वीकृति, अपील तथा समीक्षा हेतु पारदर्शी तथा लोगो के अनुकूल प्रक्रिया

स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थानों के लिए मुख्य भूमिका

लाभार्थी के दरवाजे पर पेंशन का मासिक संवितरण

इलैक्ट्रॉनिक अंतरण

मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षा तथा वार्षिक सत्यापन

आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली

मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली

स्वचल अभिसरण

### 1.3 निधि आबंटन तथा निधि प्रवाह


**निधियों का आबंटन:** एनएसएपी निधियां वार्षिक उप-योजना-वार आबंटन के आधार पर सभी राज्यों/यूटी को जारी की जाती हैं। एनएसएपी के अधीन राज्यों तथा यूटी को संबंधित राज्य/यूटी की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक राज्य/यूटी हेतु प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का परिकलन करने के लिए जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या आंकड़े तथा 2004-05 में पूर्व के योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात को ध्यान में रखा गया है।

### एनएसएपी निधियों का निधि प्रवाह:

- ❖ एनएसएपी के लिए वार्षिक निधि आबंटन को राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की समेकित निधि को दो किस्तों में निम्नानुसार जारी किया जाता है:
- ❖ लागू योजना प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आबंटन के 50 प्रतिशत के बराबर प्रथम किस्त को उन राज्यों/यूटी को जारी किया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष में दूसरी किस्त का लाभ उठाया है। निर्धारित किया गया।
- ❖ वार्षिक आबंटन घटा प्रथम किस्त के समान की दूसरी किस्त विनिर्दिष्ट दस्तावेजों जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र, गैर-विपथन तथा गैर-गबन प्रमाण पत्र आदि के प्रस्तुतीकरण सहित कुल उपलब्ध निधियां (अथ शेष जमा वर्ष के दौरान निर्गमन तथा विविध प्राप्तियां) के कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग पर जारी की जाती है।

विभिन्न राज्यों/यूटी में लाभार्थियों को पेंशन/परिवार लाभ का निम्न माध्यमों में से एक में संवितरण किया जाता है जैसा चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।


**चार्ट 1.1: विभिन्न राज्यों/यूटी में एनएसएपी का निधि प्रवाह**



## 1.4 पेंशन संवितरण

पेंशन के संवितरण हेतु लाभार्थी की पहचान का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है।


चार्ट-1.2: पेंशन संवितरण प्रक्रिया



विभिन्न राज्यों/यूटी में केन्द्रीय सहायता के माध्यम से कवर किए गए लाभार्थियों का कवरेज मानचित्र 1.1 में दर्शाया गया है:



**मानचित्र 1.1: 2020-21 के दौरान केन्द्रीय सहायता के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थियों का कवरेज**



औसतन 2.83 करोड़ लाभार्थियों के 2017-21 के दौरान केन्द्रीय सहायता के साथ एनएसएपी के अधीन प्रतिवर्ष शामिल किया गया था। राज्य/यूटी भी एनएसएपी के अधीन केन्द्रीय सहायता के संवितरण हेतु राज्यों/यूटी के लिए निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल कर रहे थे। आगे, 33 राज्यों/यूटी अपनी स्वयं की पेंशन योजना को भी कार्यान्वित कर रहे थे जिस पर अध्याय-3 में टिप्पणी की गई है।

## अध्याय-2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली

### 2.1 हमने यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों की

2017-21 के दौरान भारत सरकार ने एनएसएपी के लिए ₹ 34,432 करोड़ आबंटित किए। इसके अलावा, राज्यों तथा यूटी ने भी पेंशन तथा अतिरिक्त लाभार्थियों के कवरेज हेतु अतिरिक्त सहायता के रूप में ₹ 1,09,573 करोड़ आबंटित किए। एनएसएपी का लक्ष्य जनसंख्या के सबसे अधिक अरक्षित वर्ग अर्थात् बीपीएल परिवारों से संबंधित वृद्ध, विधवा तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ बीपीएल परिवार के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में सबसे मूलभूत जरूरत अर्थात् जीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 2017-21 के दौरान, एनएसएपी औसतन 2.83 करोड़ लाभार्थियों तक प्रतिवर्ष पहुंचा। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान, राज्यों/यूटी द्वारा औसतन 1.82 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

पर्याप्त वित्तीय परिचयों तथा इसके अभिप्रेत परिणामों को प्राप्त करने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएपी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा सुधारात्मक कार्य की सिफारिश करने हेतु एनएसएपी की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में दो चरण शामिल हैं:

**चरण I:** उपलब्ध एनएसएपी डाटा के आधार पर डाटा विश्लेषण किया तथा जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई तथा प्रबंधन पत्र के तहत इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। आगे, पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों को चरण-II लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था।

**चरण II:** मंत्रालय तथा राज्य/यूटी स्तरों पर चयनित नमूना इकाइयों में लेखापरीक्षा संवीक्षा के माध्यम से विस्तृत फील्ड लेखापरीक्षा की गई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

## 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- ए. योजना को सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने तथा अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए प्रभावी रूप से नियोजित थी?
- बी. योजना के समग्र वित्तीय प्रबंधन ने लाभार्थियों को संवितरण हेतु कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों की समय पर उपलब्धता तथा निर्गम को सुनिश्चित किया था?
- सी. योजना को समयोचित प्रकार से प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया था?
- डी. प्रभावी नियंत्रण तंत्र तथा मजबूत आईटी प्रणाली योजना की निगरानी हेतु मौजूद थी?

## 2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एनएसएपी उप-योजनाएं शामिल थीं अर्थात्:

- ए) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
- बी) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
- सी) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
- डी) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)।

अन्नपूर्णा उप-योजना, जो वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है तथा इसके बजाय पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो आईजीएनओएपीएस के अधीन अनारक्षित रहे, को खाद्यान्न प्रदान करती है, को इस निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि शामिल की थी तथा इसमें केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित पूर्वकथित योजनाओं से संबंधित सभी इलेक्ट्रॉनिक/कागजी अभिलेखों तथा अन्य प्रमाणों की संवीक्षा शामिल है। राज्य/यूटी स्तर पर सभी कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे कि समाज कल्याण विभाग/निदेशालय, राजस्व विभाग,

महिला एवं बाल विकास विभाग आदि की सभी 28 राज्यों तथा आठ यूटी में लेखापरीक्षा की गई थी। चयनित नमूने में जिला स्तर पर जैसे कि जिला समाज कल्याण कार्यालय आदि, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास कार्यालय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों की जांच की गई थी।

## 2.4 लेखापरीक्षा नमूना चयन

प्रत्येक राज्य/यूटी में नमूने के चयन हेतु सांख्यिकीय नमूना रचना नीचे दी गई है:

**टीयर I:** प्रत्येक राज्य से 25 प्रतिशत जिलों (न्यूनतम दो, अधिकतम 10 प्रति राज्य) का प्रति स्थापन के बिना यादृच्छिक नमूनाकरण (एसआरएसडब्ल्यूओआर) के माध्यम से चयन किया गया था।


**टीयर II:** निम्न स्तरीय इकाइयों (ब्लॉक, ग्राम पंचायत/वार्ड) का चयन:

**ब्लॉक:** प्रत्येक चयनित जिले में दो ब्लॉकों का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ एसआरएसडब्ल्यूओआर के माध्यम से चयन किया गया था।

**ग्राम पंचायत/ग्राम परिषद/वार्ड:** प्रत्येक चयनित ब्लॉक में दो ग्राम पंचायतों/ग्राम परिषद/वार्डों का एसआरएसडब्ल्यूओआर के माध्यम से चयन किया गया था।

**टीयर III:** निष्पादन लेखापरीक्षा में पेंशन/परिवार लाभ के माध्यम से प्राप्त धन तथा इसके तुरंत उपयोग के प्रभाव का पता लगाने हेतु एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी शामिल किया गया। इस उद्देश्य के लिए, सर्वेक्षण करने हेतु चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड से दस लाभार्थियों को चयन किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान एनएसएपी के सभी चारों संघटकों को शामिल करते हुए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों तथा लिंग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए 28 राज्यों तथा आठ यूटी में चयनित जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों/वार्ड समितियों की संख्या को नीचे आरेख में दर्शाया गया है:



28 राज्यों तथा आठ यूटी में शामिल किए गए जिलों, ब्लॉकों, जीपी/वार्ड समितियों का अनुलग्नक 2.1 में ब्योरा दिया गया है।

## 2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

एनएसएपी के कार्यान्वयन की निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त मानदण्ड के आधार पर लेखापरीक्षा की गई थी:

- ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी (अक्टूबर 2014) कार्यक्रम दिशानिर्देश।
- बी. योजना के कार्यान्वयन पर विभागीय अनुदेश तथा नियमपुस्तिका।
- सी. पीएफएमएस/डीबीटी संबंधी आदेश/अनुदेश।

## 2.6 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में विस्तृत फील्ड लेखापरीक्षा शामिल थी जिसका अभिप्रेत एकत्रित किए जा रहे डाटा की पूर्णता तथा गुणवत्ता से संबंधित मामलों द्वारा हुए अंतर को समाप्त करना था। इसका अभिप्रेत डाटा विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्ध करना भी था।

लेखापरीक्षा के चरण-I के दौरान उपलब्ध एनएसएपी डाटा के आधार पर डाटा विश्लेषण किया गया था तथा जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई थी। अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने, 80 वर्ष तथा अधिक के पेंशनभोगियों को कम भुगतान, सत्यापन में विलम्ब, पेंशनभोगियों की मृत्यु के पश्चात पेंशन के भुगतान की प्रक्रियाएं तथा पेंशन के एकाधिक भुगतान आदि से संबंधित जोखिम पाए गए थे। निष्कर्षों को जून 2021 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। नियंत्रण जोखिमों को चरण-II लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था तथा उस पर निष्कर्षों को उचित प्रकार से वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

चरण-II के प्रारम्भ में, 07 अक्टूबर 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा कार्यपद्धति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्ड को स्पष्ट किया गया था। इसके साथ ही, प्रत्येक राज्य तथा यूटी में संबंधित फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा एनएसएपी के कार्यान्वयन में संबंधित लेखापरीक्षा दलों द्वारा मंत्रालय तथा राज्य सरकार तथा यूटी प्रशासन के कार्यान्वयन अभिकरणों में एनएसएपी से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी।

04 नवम्बर 2022 को ग्रामीण मंत्रालय से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रत्युत्तर की मांग करते हुए ड्राफ्ट प्रतिवेदन साझा किया गया था। 25 नवम्बर 2022 को एमओआरडी के साथ हुए निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा भी की गई थी। एमओआरडी ने 19 दिसंबर 2022 को अपने अंतिम उत्तर प्रस्तुत किए जिन पर विचार किया गया तथा इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ साथ यूटी-प्रशासनों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करती है।

## अध्याय-3: योजना निष्पादन का एक विहंगावलोकन

संघ तथा राज्यों दोनों को कानून आदि बनाने हेतु सशक्त बनाने वाली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अधीन एक विषय के रूप में सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन विशिष्टताओं हेतु एनएसएपी एक ऐसी योजना है जो केन्द्र तथा राज्यों/यूटी के संयुक्त प्रयासों से सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसलिए, एनएसएपी की सफलता जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य/यूटी सरकारों के कार्यान्वयन तंत्र की क्षमता पर निर्भर है।

इस अध्याय में एनएसएपी के अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में योजना निष्पादन का एक विस्तृत विहंगावलोकन शामिल है।

### 3.1 केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनएसएपी उप-योजनाओं के अधीन लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर राज्य/यूटी की समेकित निधि को एनएसएपी निधियां जारी की। राज्य/यूटी आबंटित निधियों के तीन प्रतिशत का प्रशासनिक खर्चों हेतु उपयोग कर सकते हैं जबकि शेष निधियों का पेंशन संवितरण तथा परिवार लाभ भुगतान हेतु उपयोग किया जाना था।

लाभार्थियों की संख्या जिसे प्रत्येक राज्य/यूटी में केन्द्र की निधियों के माध्यम से प्रत्येक उप-योजना के अधीन शामिल किया जा सकता है, को एमओआरडी द्वारा जनगणना 2001 के जनसंख्या आंकड़ों तथा 2004-05 में योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात के आधार पर नियत किया गया है। किसी मामले में, राज्य/यूटी में लाभार्थियों की संख्या पर सीमा से अधिक ज्यादा योग्य लाभार्थी हैं तो राज्य/यूटी के पास अपने स्वयं के संसाधनों से पेंशन अदा करने का विकल्प है।

2017-18 से 2020-21 के दौरान निधियों के वर्ष-वार निर्गम तथा केन्द्र स्तर पर कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: निधियों का निर्गम तथा केन्द्र की निधियों के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थी

लाभार्थी (लाख में), निर्गम (₹ करोड़ में)


एनएसएपी की उप-योजना	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	लाभार्थी	निर्गम	लाभार्थी	निर्गम	लाभार्थी	निर्गम	लाभार्थी	निर्गम
आईजीएनओएपीएस	212.46	6110.43	212.09	5775.84	214.09	6193.38	215.91	6152.61
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	58.46	1816.97	58.12	1733.65	59.35	1774.94	60.89	1881.28
आईजीएनडीपीएस	7.12	221.36	7.46	280.21	7.72	234.49	7.83	263.14
एनएफबीएस	2.57	530.4	2.95	607.27	2.34	481.39	1.82	374.57
<b>कुल</b>	<b>280.61</b>	<b>8679.16</b>	<b>280.62</b>	<b>8396.97</b>	<b>283.5</b>	<b>8684.2</b>	<b>286.45</b>	<b>8671.6</b>

स्त्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय


2017-18 से 2020-21 के दौरान निधियों का योजना-वार तथा राज्य-वार निर्गम तथा केन्द्र की निधियों के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थी अनुलग्नक 3.1 में दिए गए हैं।

एनएसएपी की चार उप-योजनाओं के अधीन एमओआरडी द्वारा निधियों का वर्ष-वार निर्गम तथा इन निधियों के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थियों को चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1: केन्द्र की निधियों से निर्गम तथा एनएसएपी उप-योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी







### 3.2 लाभार्थी डाटाबेस का गैर-संशोधन

एनएसएपी दिशानिर्देशों के पैरा 2.4.1 के अनुसार राज्यों/यूटी को कम से कम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि के समान अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु पुरजोर आग्रह किया गया था जिससे कि लाभार्थी सहायता का एक उचित स्तर प्राप्त कर सके।

तदनुसार, जबकि कुछ राज्य/यूटी सीमा से कम लाभार्थी की संख्या को शामिल कर रहे थे फिर भी कई राज्य/यूटी कथित सीमा से अधिक लाभार्थियों की संख्या को शामिल कर रहे थे जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है। केन्द्र से प्राप्त निधियों तथा केन्द्र की निधियों के

साथ राज्य/यूटी द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त निधियों के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थियों तथा निर्धारित सीमा से अधिक शामिल किए गए लाभार्थियों का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

**तालिका 3.2: केन्द्र तथा राज्य/यूटी स्तरों पर व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या**


उप-योजना	विवरण	निर्धारित सीमा के अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा केन्द्र द्वारा प्रदत्त निधियां				राज्य/यूटी द्वारा शामिल किए गए अतिरिक्त लाभार्थियों की संख्या तथा राज्य/यूटी द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त निधियां			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आईजीएनओएपीएस	लाभार्थी (लाख में)	208.62	213.65	218.12	217.75	69.39	83.51	92.69	104.33
	व्यय (₹ करोड़ में)	5909.35	5937.07	6605.91	5342.37	10633.69	11797.79	18173.05	12956.95
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	लाभार्थी (लाख में)	57.90	57.73	57.90	52.00	61.48	66.44	66.49	79.45
	व्यय (₹ करोड़ में)	1739.26	1821.80	2000.38	1648.79	6943.82	8585.05	12723.57	9144.39
आईजीएनडीपीएस	लाभार्थी (लाख में)	8.23	8.25	8.27	8.34	24.27	26.10	25.18	25.90
	व्यय (₹ करोड़ में)	263.55	309.93	278.88	204.19	3326.4	4042.21	5910.86	4313.95
एनएफबीएस	लाभार्थी (लाख में)	3.35	2.76	2.78	2.77	0.88	0.87	0.87	0.93
	व्यय (₹ करोड़ में)	687.34	596.12	472.98	362.52	187.50	191.86	319.87	322.38
कुल	लाभार्थी (लाख में)	278.1	282.39	287.07	280.86	156.02	176.92	185.23	210.61
	व्यय (₹ करोड़ में)	8599.5	8664.92	9358.15	7557.87	21091.41	24616.91	37127.35	26737.67

स्त्रोत: राज्य/यूटी कार्यान्वयन विभाग की सूचना

पहले तालिका 3.1 में दिए गए व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या एमओआरडी द्वारा प्रस्तुत आकड़े हैं जबकि तालिका 3.2 में आकड़े सभी राज्यों तथा यूटी द्वारा दिये गये सूचना के अनुसार हैं। इन आकड़ों में अंतर इस तथ्य के कारण है कि राज्यों/यूटी द्वारा किया गया व्यय, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की मौजूदगी, असफल लेन-देनों, वर्षों से लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन आदि के कारण मंत्रालय द्वारा किए गए निर्गम से अलग है।


भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों से अधिक राज्यों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों से लाभार्थियों की संख्या की तुलना में राज्य द्वारा शामिल किए गए अतिरिक्त लाभार्थियों की संख्या का वर्णन चार्ट 3.2 से 3.5 में किया है:

**चार्ट 3.2: आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत केन्द्र की निधियों तथा राज्यों/यूटी निधियों से व्यय, केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज तथा राज्य/यूटी द्वारा अतिरिक्त कवरेज की तुलना**




- आईजीएनओएपीएस के संबंध में केन्द्र की निधियों के माध्यम से शामिल किए जाने वाले 221.17 लाख लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 208.62 लाख से 218.12 लाख के बीच थी।
- राज्यों तथा यूटी द्वारा शामिल किए गए अतिरिक्त लाभार्थी 69.39 लाख से 104.33 लाख के बीच थे।
- आईजीएनओएपीएस हेतु केन्द्र का व्यय ₹ 5,342 करोड़ से ₹ 6,606 करोड़ के बीच था जबकि राज्यों/यूटी द्वारा किया गया व्यय ₹ 10,634 करोड़ से ₹ 18,173 करोड़ के बीच था।

**चार्ट 3.3: आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत केन्द्र की निधियों तथा राज्यों/यूटी निधियों से व्यय, केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज तथा राज्य/यूटी द्वारा अतिरिक्त कवरेज की तुलना**




- आईजीएनडब्ल्यूपीएस के संबंध में, 65.73 लाख लाभार्थियों की सीमा के सापेक्ष केन्द्र की निधियों के माध्यम से शामिल किए गए लाभार्थी 52.00 लाख से 57.9 लाख के बीच थे।
- राज्यों तथा यूटी द्वारा शामिल किए अतिरिक्त लाभार्थी 61.48 लाख से 79.45 लाख के बीच थे।
- केन्द्र का व्यय ₹ 16,49 करोड़ तथा ₹ 2,000 करोड़ के बीच था जबकि राज्यों तथा यूटी का व्यय, ₹ 6,944 करोड़ तथा ₹ 12,724 करोड़ के बीच था।

**चार्ट 3.4: आईजीएनडीपीएस के अधीन केन्द्र की निधियों तथा राज्यों/यूटी निधियों से व्यय, केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज तथा राज्य/यूटी द्वारा अतिरिक्त कवरेज की तुलना**



- आईजीएनडीपीएस के संबंध में केन्द्र की निधियों के माध्यम से शामिल किए जाने वाले 10.59 लाख लाभार्थियों की सीमा के सापेक्ष शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या 8.23 लाख से 8.34 लाख के बीच थी।
- राज्यों तथा यूटी द्वारा शामिल किए गए अतिरिक्त लाभार्थी 24.27 लाख से 26.1 लाख तक के बीच थे।
- आईजीएनडीपीएस हेतु केन्द्र का व्यय ₹ 204 करोड़ से ₹ 310 करोड़ के बीच था जबकि राज्य/यूटी ने ₹ 3,326 करोड़ से ₹ 5,911 करोड़ के बीच व्यय किया।

**चार्ट 3.5: एनएफबीएस के अंतर्गत केन्द्र की निधियों तथा राज्य/यूटी निधियों से व्यय, केन्द्र की निधियों के माध्यम से लाभार्थियों का कवरेज तथा राज्य/यूटी द्वारा अतिरिक्त कवरेज की तुलना**






एनएफबीएस के मामले में, अन्य उप-योजनाओं के विपरीत बड़ा व्यय केन्द्र की निधियों से किया गया था तथा चूंकि अधिकांश लाभार्थियों को केन्द्र की निधियों में शामिल किया गया था इसलिए राज्यों को उच्चतर व्यय नहीं करना था। हालांकि एनएफबीएस को सभी राज्यों/यूटी में एकरूपता से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था जैसा बाद में पैरा 3.7 में विवरण दिया गया है।

### 3.3 पेंशन राशि का गैर-संशोधन

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) 1995 में एनएसएपी के प्रारम्भ से कार्यान्वित की जा रही थी। एनओएपीएस का 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में नाम बदल दिया गया था तथा पहले के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के पात्रता मापदण्ड के स्थान पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों

से संबंधित वृद्ध व्यक्तियों को लागू किया। आगे, 2009 में विधवाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों हेतु दो और पेंशन योजनाएं प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में एनएसएपी में तीन पेंशन संवितरण योजनाओं अर्थात् आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस के साथ-साथ एक एकमुश्त सहायता योजना अर्थात् एनएफबीएस शामिल है। पेंशन तथा परिवार लाभ हेतु केन्द्रीय सहायता को पिछली बार 2012 में संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में संशोधन करते हुए 1995 से पात्रता मानदण्ड तथा सहायता की राशि का संशोधन किया है जैसा चार्ट 3.6 में दर्शाया गया है:

**चार्ट 3.6: 1995-2022 के दौरान एनएसएपी की विभिन्न उप-योजनाओं में पेंशन राशि अथवा लाभ तथा पात्रता में संशोधन**



ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने अनुदान की मांग (2019-20 एवं 2020-21) पर अपनी पहली तथा चौथी रिपोर्ट में क्रमशः सिफारिश सं. 16 तथा 19 के माध्यम से एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन की वृद्धि की ओर केंद्रीय सहायता के संशोधन की सिफारिश की थी। समिति ने

अपनी 17वीं रिपोर्ट (अगस्त 2021) में एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की अप्रत्याप्त राशि पर चिंता व्यक्त की तथा एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की राशि को बढ़ाने की सख्ती से सिफारिश की। एमओआरडी के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने समिति को अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में बताया था कि विभाग एनएसएपी के तृतीय दल मूल्यांकन अध्ययन की शीघ्र समाप्ति पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था तथा रिपोर्ट की जांच के बाद विभाग अध्ययन के अंतिम परिणाम पर पेंशन की राशि में वृद्धि के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है। समिति आगे अपनी 26वीं रिपोर्ट (अगस्त 2022) में डीओआरडी को एक बार फिर से एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन हेतु सहायता राशि के संशोधन की संभाव्यता का पता लगाने को कहा। डीओआरडी ने समिति को अपने उत्तर के माध्यम से सरकार के सर्वोच्च स्तरों के मौजूदा योजना को जारी रखने के निर्णय के मद्देनजर योजना में संशोधन करने में अपनी असमर्थता सूचित की।

वर्तमान में, 2012 में अंतिम बार संशोधित दरों के अनुसार आईजीएनओपीएस के अंतर्गत 60-79 वर्षों की आयु वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन हेतु केन्द्रीय सहायता ₹ 200 प्रति माह थी जबकि आईजीएनडब्ल्यूपीएस के साथ-साथ आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थी ₹ 300 प्रति माह की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। सभी तीनों उप-योजनाओं में 80 वर्षों तथा अधिक की आयु वाले लाभार्थियों की पेंशन हेतु केन्द्रीय सहायता ₹ 500 प्रति माह है। उन मामलों में, जहां राज्य/यूटी या तो अतिरिक्त पेंशन अंशदान प्रदान नहीं कर रहे हैं (**गोवा, नागालैण्ड, मणिपुर एवं पंजाब**) या फिर केवल अल्प अंशदान कर रहे हैं (**असम**), 60-79 वर्षों की आयु के आईजीएनओपीएस पेंशन भोगी केवल ₹ 200-250 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्यों/यूटी द्वारा अतिरिक्त अंशदान से 11 राज्यों/यूटी में लाभार्थियों ने ₹ 600 प्रति माह से कम की पेंशन प्राप्त की जबकि अन्य 12 राज्यों/यूटी में पेंशनभोगियों ने ₹ 600-1000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त की। शेष 12 राज्यों/यूटी में पेंशनभोगियों ने आईजीएनओपीएस (60 वर्ष से 79 वर्ष) के मामले में ₹ 1500 से ₹ 2500 प्रतिमाह के बीच पेंशन प्राप्त की।

एमओआरडी के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति (एनएसएसी) तथा मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट ने भी पेंशन हेतु केन्द्रीय सहायता का संशोधन वृद्धि की ओर करने के लिए सिफारिश की।

इसलिए सरकार विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों तथा मूल्यांकन अध्ययन को ध्यान में रखते हुए पेंशन हेतु केन्द्रीय सहायता की समीक्षा करने पर विचार करे।

### 3.4 आईजीएनडीपीएस के अधीन विकलांग लाभार्थियों का कम कवरेज

आईजीएनडीपीएस को गंभीर अथवा बहु विकलांगता वाले दिव्यांगजनों, जैसा दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए तथा बहुविकलांगता अधिनियम 1999 में परिभाषित है, को पेंशन के भुगतान हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2009 में प्रारम्भ किया गया था।

अन्य उप-योजनाओं की भांति, मंत्रालय ने लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें 2001 के जनगणना आंकड़े तथा 2004-05 में योजना आयोग द्वारा घोषित 27.5 प्रतिशत के गरीबी अनुपात के आधार पर वर्ष 2012 में इस उप-योजना में केन्द्रीय सहायता के माध्यम से शामिल किया जा सकता है, पर सीमा निर्धारित की है।

आगे, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, आईजीएनडीपीएस का कवरेज विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 पर आधारित था। इस अधिनियम को वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के रूप में संशोधित किया गया था तथा विकलांगता के प्रकार को 7 से 21 तक बढ़ा दिया गया था जहां भाषण भाषा विकलांगता तथा सीखने की विशिष्ट अक्षमता को पहली बार विकलांगता की परिभाषा में शामिल किया गया था।

‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ के अनुसार विकलांगता की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मानदण्ड की पुनः जांच हेतु एक समीक्षा संचालित करने की आवश्यकता है।

### 3.5 राज्यों/यूटी द्वारा अतिरिक्त सहायता

एनएसएपी की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदण्ड तथा केन्द्रीय सहायता का तालिका 3.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: एनएसएपी उपयोजनाओं के अंतर्गत केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता की राशि

उप-योजना	पात्रता मानदण्ड	पेंशन/लाभ की राशि
आईजीएनओएपीएस	बीपीएल तथा 60 वर्ष एवं ऊपर	₹ 200/माह (60-79 वर्ष) ₹ 500/माह (80 वर्ष एवं ऊपर)
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	बीपीएल, विधवा तथा 40 वर्ष एवं ऊपर	₹ 300/माह (40-79 वर्ष) ₹ 500/माह (80 वर्ष एवं ऊपर)



उप-योजना	पात्रता मानदण्ड	पेंशन/लाभ की राशि
आईजीएनडीपीएस	बीपीएल, 80 प्रतिशत तथा अधिक की विकलांगत, 18 वर्ष एवं ऊपर	₹ 300/माह (18-79 वर्ष) ₹ 500/माह (80 वर्ष एवं ऊपर)
एनएफबीएस	बीपीएल, 18 से 60 वर्षों के बीच की आयु में रोटी कमाने वाले की मृत्यु	₹ 20000 एकमुश्त

राज्य/यूटी को कम से कम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता के समान राशि की एक अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए सख्ती से आग्रह किया गया था जिससे कि लाभार्थी सहायता एक पर्याप्त स्तर प्राप्त कर सके। विभिन्न राज्यों तथा यूटी द्वारा अंशदान दी गई अतिरिक्त सहायता की राशि का तालिका 3.4 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.4: राज्य/यूटी द्वारा योजना-वार टाप अप

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	राज्यों/यूटी	आईजीएनओएपीएस		आईजीएनडब्ल्यूपीएस		आईजीएनडीपीएस	
		60-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	40-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	18-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर
1.	गोवा	0	0	0	0	0	0
2.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
3.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
4.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
5.	असम	50	50	0	0	0	0
6.	मिजोरम	100	100	100	100	100	100
7.	छत्तीसगढ़	150	150	50	150	200	150
8.	बिहार	200	0	100	0	100	0
9.	मेघालय	300	50	200	0	200	0
10.	ओडिशा	300	200	200	200	400	400
11.	उत्तर प्रदेश	300	0	200	0	200	0
12.	मध्य प्रदेश	400	100	300	100	300	100


क्र.सं.	राज्यों/यूटी	आईजीएनओएपीएस		आईजीएनडब्ल्यूपीएस		आईजीएनडीपीएस	
		60-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	40-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	18-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर
13.	राजस्थान	550 (60-74 वर्ष)	500	200 (40-54 वर्ष)	1000	450 (18-54 वर्षीय पुरुष)	750
		800 (75-79 वर्ष)		450 (55-59 वर्ष)		950 (18-57 वर्षीय महिला)	
				700 (60-74 वर्ष)		700 (55-74 वर्षीय पुरुष)	
				1200 (75-79 वर्ष)		700 (58-74 वर्षीय महिला)	
						950 (75-79 वर्षीय पुरुष/महिला)	
14.	गुजरात	550	500	950	750	300	300
15.	हिमाचल प्रदेश	650 (60-69 वर्ष)	1000	700 (40-79 वर्ष)	500	1200	1000
		1300 (70-79 वर्ष)					
16.	महाराष्ट्र	800	500	700	500	700	500
17.	जम्मू कश्मीर	800	500	700	500	700	500
18.	झारखण्ड	800	500	700	500	700	500
19.	तमिलनाडू	800	500	700	500	700	500
20.	त्रिपुरा	800	700	700	700	700	700
21.	पश्चिम बंगाल	800	500	700	500	700	500
22.	लद्दाख	800	500	700	500	700	500

क्र.सं.	राज्यों/यूटी	आईजीएनओएपीएस		आईजीएनडब्ल्यूपीएस		आईजीएनडीपीएस	
		60-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	40-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर	18-79 वर्ष	80 वर्ष एवं ऊपर
23.	कर्नाटक	400 (60-64 वर्ष)	700	500	700	1100	700
		1000 (65-69 वर्ष)					
24.	सिक्किम	1300	2000	1700	लाभार्थी नहीं	1700	लाभार्थी नहीं
25.	उत्तराखण्ड	1300	1000	1200	1000	1200	1000
26.	हिमाचल प्रदेश	1500	1500	1700	1500	1700	1500
27.	केरल	1400	1100	1300	1100	1300	1100
28.	दिल्ली	1800	2000	2200	2000	2200	2000
29.	तेलंगाना	1816	1516	1716	1516	2716	2516
30.	हरियाणा	2300	2000	2200	2000	2200	2000
31.	अण्डमान एवं निकोबार मालद्वीप	2500	3000	0	0	0	0
32.	आन्ध्र प्रदेश	2300	2000	2200	2000	2700	2500
33.	पुदुचेरी	2300	3000	1700	3000	2700	2800
34.	चंडीगढ़	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35.	लक्ष्यद्वीप	1500	1500	1500	1500	1500	1500


आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस में राज्यों/यूटी में लाभार्थियों द्वारा प्रति माह प्राप्त की गई पेंशन (राज्यों द्वारा अतिरिक्त सहायता सहित) का एक तुलनात्मक चित्र का चार्ट 3.7 में वर्णन दिया गया है।



### राज्य-वार मासिक पेंशन-आईजीएनडब्ल्यूपीएस (₹ में)



### राज्य-वार मासिक पेंशन-आईजीएनपीडीपीएस (₹ में)



## 3.6 योजना का असमान कार्यान्वयन

एनएसएपी का एक मुख्य सिद्धांत पात्र लाभार्थियों का सार्वभौमिक कवरेज है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके घर पर जाकर सक्रिय रूप से लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए। योजना के लाभ एक राज्य/यूटी के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रसारित होना चाहिए। तथापि, चयनित राज्यों/यूटी में एनएसएपी के असमान कार्यान्वयन के निम्नलिखित उदाहरण पाए गए थे।

### 3.6.1 चण्डीगढ़ में एनएसएपी का गैर-कार्यान्वयन

यूटी चण्डीगढ़ में एनएसएपी को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के पात्र व्यक्तियों को शामिल करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा था। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के बाद, चण्डीगढ़ में फरवरी 2014 से बीपीएल श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को दो नई श्रेणियों अर्थात् प्राथमिकता वाले घर तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में वर्गीकृत कर दिया गया था। यूटी चण्डीगढ़ ने जुलाई 2014, मार्च 2017, जून 2017, जनवरी 2018, अक्टूबर 2019 तथा अक्टूबर 2021 में एमओआरडी को एनएसएपी योजना में बीपीएल श्रेणी के संबंध में मानदण्ड की छूट प्रदान करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्राथमिकता वाले घर से संबंधित उन लाभार्थियों, जिनकी आय ₹ 1.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी, को लाभ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

यूटी चण्डीगढ़ ने वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 1.50 करोड़ (सितंबर 2017) तथा वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 1.80 करोड़ (जुलाई 2020) की मांग की। तथापि 2018-19 तथा 2019-20 हेतु कोई मांग नहीं की गई थी।

एनएसएपी के अधीन लाभार्थियों की पहचान के लिए आगे एमएसएपी हेतु कोई पृथक सर्वेक्षण/कार्य नहीं किया गया था इसलिए एनएसएपी के अधीन कोई नई वृद्धि/कमी नहीं की गई थी। एमओआरडी ने 2017-2021 के लिए चण्डीगढ़ को निधियां जारी नहीं की थी। यूटी प्रशासन ने भी अपने स्वयं की निधियों से कोई पेंशन प्रदान नहीं की थी। इसीलिए, 2017-2021 के दौरान यूटी चण्डीगढ़ में एनएसएपी को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि यूटी चण्डीगढ़ को पत्र दिनांक 23.11.2021 के तहत यूटी चण्डीगढ़ हेतु निर्धारित सीमा के अधीन प्राथमिकता वाले घर से एनएसएपी लाभार्थियों तथा आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस हेतु अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों की पहचान करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में अस्पष्टता के कारण 2017-2021 के दौरान एनएसएपी को यूटी चण्डीगढ़ में कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा 4964 लाभार्थी (जिन्हें दिसंबर 2016 में अंतिम संवितरण द्वारा एनएसएपी के अधीन पेंशन अदा की गई थी) तथा अन्य संभावित लाभार्थी एनएसएपी के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक लाभ से वंचित थे।

### 3.6.2 अन्य यूटी में एनएसएपी का गैर-कार्यान्वयन

#### i. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह यूटी प्रशासन ने एमओआरडी (जुलाई 2020) को लिखा कि यूटी में कोई भी बीपीएल लाभार्थी नहीं था जिसके कारण यूटी प्रशासन एनएसएपी के अधीन केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा सके थे। इसने आगे यूटी के मौजूदा लाभार्थियों हेतु एमओआरडी द्वारा निर्धारित सीमा तक एनएसएपी के अधीन अनुदान का लाभ प्राप्त करने का प्रस्ताव किया। बीपीएल लाभार्थियों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय (अक्टूबर 2020) ने एएवाई/प्राथमिकता वाले परिवारों से एनएसएपी लाभार्थियों की पहचान करने की यूटी को अनुमति प्रदान की।

2017-20 के दौरान यूटी प्रशासन को एनएसएपी के अधीन कोई निधि जारी नहीं की गई थी। मंत्रालय ने जनवरी 2021 में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 119.90 लाख की प्रथम किस्त जारी की जो अप्रयुक्त रही (जून 2022)।

आईजीएनओएपीएस को 2017-21 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार में कार्यान्वित किया गया था हालांकि आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीपीएस तथा एनएफबीएस को कथित अवधि के दौरान कार्यान्वित नहीं किया गया था। इसलिए, यूटी अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लाभार्थी आईजीएनडीपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा एनएफबीएस के लाभों से वंचित थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया था कि यूटी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अन्नपूर्णा को छोड़कर एनएसएपी की सभी चारों योजनाओं के लिए ₹ 119.90 लाख की राशि जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में अस्पष्टता के कारण आईजीएनडीपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा एनएफबीएस को 2017-2021 के दौरान यूटी में कार्यान्वित नहीं किया गया था।

## ii. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

यूटी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने एनएफबीएस को कार्यान्वित नहीं किया था तथा जबकि वृद्ध, विधवा, विकलांग लाभार्थियों हेतु पेंशन का संवितरण किया गया था फिर भी केन्द्र की निधियों का लाभ नहीं उठाया गया। 2010 से यूटी दादरा एवं नगर हवेली को एनएसएपी के अधीन केन्द्र की कोई निधि जारी नहीं की गई थी। इसलिए, पात्र एनएफबीएस लाभार्थी पारिवारिक लाभ से वंचित थे तथा एनएसएपी लाभार्थियों ने एनएसएपी के अधीन पेंशन का केन्द्रीय अंशदान प्राप्त नहीं किया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया कि एनएसएपी निधियां अंतिम 2012-13 में जारी की गई थी तथा यूटी ने 2013-14 से निधि प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

### 3.6.3 एनएफबीएस का गैर-कार्यान्वयन/कार्यान्वयन में कमियां

एनएफबीएस के अधीन एकमात्र कमाने वाले, जबकि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम थी, की मृत्यु की घटना में शोक संतिप्त परिवार के परिवार का एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। एनएफबीएस मासिक पेंशन प्रदान करने वाली एनएसएपी उप-योजनाओं से अलग एक बार सहायता योजना है। एनएफबीएस को सभी राज्यों/यूटी में कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा उन राज्यों/यूटी में, जहां इसे कार्यान्वित किया गया था, केन्द्र से प्राप्त निधियों का पूर्णतः संवितरण नहीं किया गया था।

- ❖ एनएफबीएस को **लक्षद्वीप** तथा **पुदुचेरी** में बिल्कुल कार्यान्वित नहीं किया गया था।



- ❖ **राजस्थान** में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से अगस्त 2013 से एनएफबीएस के स्थान पर 'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना' (जनश्री बीमा योजना) को कार्यान्वित किया गया था।
- ❖ **अरुणाचल प्रदेश** में योजना को 2019-20 से कार्यान्वित नहीं किया गया है।
- ❖ **मणिपुर** में मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति के पश्चात् भी 2017-18 के दौरान व्यय नहीं किया गया था। एनएफबीएस के अधीन पारिवारिक लाभ का भुगतान केवल 2018-19 से ही शुरू किया गया था।

**तेलंगाना** में ₹ 20000 प्रत्येक, जैसा जीओआई दिशानिर्देश में विचार किया गया है, के स्थान पर 377 लाभार्थियों को ₹ 5000 प्रति लाभार्थी तथा 4267 लाभार्थियों को ₹ 10,000 प्रति लाभार्थी पर एनएफबीएस लाभ अदा किया गया था। ₹ 20,000 प्रति परिवार, जैसा एनएसएपी दिशानिर्देशों में अनुबंध किया गया है, पर सहायता के गैर-प्रावधान के कारण अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के दौरान 4644 (377+4267) लाभार्थियों को ₹ 4.83 (₹ 0.56 करोड़+₹ 4.27) का कम भुगतान था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया कि संबंधित राज्यों/यूटी को अभ्युक्तियां प्रेषित कर दी गई हैं।

### 3.6.4 भौगोलिक कवरेज के संदर्भ में एनएसएपी का एकतरफा कार्यान्वयन

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच में भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में योजना का/एनएसएपी योजनाओं में असमान कार्यान्वयन को प्रकट किया जैसा तालिका 3.5 में विवरण दिया गया है:

**तालिका 3.5: कुछ राज्यों के मामले में योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति**

राज्य	विसंगति का प्रकार
1. गोवा	लाभार्थी केवल आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस के मामले में ही ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थे।
2. अरुणाचल प्रदेश	राज्य में 25 जिलों में से एनएफबीएस केवल 12 जिलों में कार्यान्वित थी वो भी केवल दो वर्षों के लिए (2017-18 तथा 2018-19)

इस प्रकार, संबंधित राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर एनएसएपी के अधीन सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया कि संबंधित राज्यों/यूटी को अभ्युक्तियां प्रेषित कर दी गई हैं।

### 3.6.5 राज्यों/यूटी में पात्रता मानदण्ड में कोई एकरूपता न होना

एसएपी की उप-योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मापदण्ड निम्नानुसार हैं:

उप-योजना	सहायता हेतु पात्रता मापदण्ड
1. आईजीएनओएपीएस	गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), 60 वर्ष एवं ऊपर
2. आईजीएनडब्ल्यूपीएस	बीपीएल, विधवा तथा 40 वर्ष एवं ऊपर
3. आईजीएनडीपीएस	बीपीएल, 18 वर्ष एवं ऊपर, 80 प्रतिशत एवं अधिक की विकलांगता
4. एनएफबीएस	बीपीएल, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच कमाने वाले की मृत्यु

राज्यों को लाभार्थियों हेतु सहायता का एक पर्याप्त स्तर प्रदान करने हेतु कम से कम समान अंशदान करना अपेक्षित था। एनएसएपी राज्यों को अपने स्वयं के संसाधनों से पेंशन प्रदान करते हुए अधिक पात्र लाभार्थियों को शामिल करने का विकल्प भी प्रदान करता है।

राज्य एनएसएपी के मुख्य सिद्धांतों तथा आवश्यकताओं से विचलित हुए बिना स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कार्यान्वयन की पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में विविधताओं को भी अपना सकते थे। राज्यों तथा यूटी ने पात्र लाभार्थियों के अनुमान के निर्धारण हेतु भिन्न मानदण्ड का अनुपालन किया जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- **दिल्ली एवं केरल** ने बीपीएल के स्थान पर ₹ 1,00,000/- का वार्षिक आय मानदण्ड निर्धारित किया।
- **उत्तर प्रदेश** ने बीपीएल के स्थान पर आय-आधारित मानदण्ड को अपनाया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों हेतु पारिवारिक आय क्रमशः ₹ 46,080 तथा ₹ 56,460 से कम होगी।
- **राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश** में आईजीएनडीपीएस हेतु विकलांगता स्तर पात्रता मानदण्ड 80 प्रतिशत तथा अधिक की विकलांगता के स्थान पर 40 प्रतिशत एवं अधिक था।

एनएसएपी कार्यान्वयन दिशानिर्देश राज्यों/यूटी में स्थानीय विचलनों तथा समानीकरण के कारण एनएसएपी के कार्यान्वयन में पद्धतियों में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तथा समान प्रक्रिया को अपनाने में समय लगेगा। इस प्रकार राज्यों को मुख्य सिद्धांतों के ढांचे के भीतर परिवर्तन करने तथा एमओआरडी में गठित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति के एक बार के अनुमोदन से अपनी दिशानिर्देश तैयारी की अनुमति थी। राज्य के दिशानिर्देशों को एनएसएपी दिशानिर्देशों को जारी करने की तिथि (अक्टूबर 2014) के तीन माह के भीतर राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

कुछ राज्यों अर्थात् ओडिशा, उत्तराखण्ड, केरल, नागालैण्ड, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पंजाब ने एमओआरडी द्वारा अनुमोदन हेतु राज्य विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए थे। तथापि एनएसएपी की तीन बैठकों, जो विभाग द्वारा की गई थी, में राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों का अनुमोदन नहीं लिया गया था।

*मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एनएसएपी का राष्ट्रीय मानदण्ड समान है। हालांकि, राज्यों/यूटी ने भिन्न मानदण्ड के साथ अपने स्वयं की निधियों से लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों/यूटी द्वारा ऐसे विचलनों हेतु एनएसएपी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एनएसएपी लाभार्थियों हेतु भिन्न पात्रता मानदण्ड अपनाए जा रहे थे।

जैसाकि उपरोक्त उप-पैराओं में देखा गया है कि एनएसएपी कुछ राज्यों/यूटी में या तो पूर्णतः कार्यान्वित नहीं थी या फिर आंशिक रूप से कार्यान्वित थी। विशेष रूप से एनएफबीएस को कई राज्यों/यूटी में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। इसका परिणाम उन क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को एनएसएपी लाभों से इनकार में हुआ।

### 3.7 राज्य/यूटी स्तरीय योजनाओं के लाभार्थियों का गैर-पृथक्करण

एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों के डाटा के एनएसएपी प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाना चाहिए। अपनी स्वयं की पेंशन योजनाओं तथा स्वयं के साफ्टवेयर वाले राज्यों/यूटी मंत्रालय के एनएसएपी एमआईएस पर डाटा की पोर्टिंग को सुनिश्चित /समर्थ करना चाहिए। एनएसएपी हेतु केन्द्रीय सहायता तथा अपनी स्वयं की पेंशन योजना हेतु राज्य के अंशदान के संदर्भ में स्पष्टता को सुनिश्चित करने हेतु एनएसएपी तथा राज्य योजना से पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का पृथक्करण होना चाहिए। एमओआरडी ने एक एनएसएपी-पीपीएस (एनएसएपी-पेंशन भुगतान योजना) को विकसित किया है जो वृद्ध, विधवा तथा विकलांग

के विवरण प्रदान करने के साथ-साथ प्रारम्भिक बिंदु से संवितरण बिन्दु तक के लेन देन को सुगम बनाता है।

वर्तमान में, 15 राज्यों /यूटी अंत से अंत तक संवितरण हेतु एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग कर रहे थे तथा 14 अन्य राज्य वेब-सेवा के माध्यम से एनएसएपी-पीपीएस पर लेन-देन के डाटा को सूचित कर रहे थे (इन 14 राज्यों में से बिहार तथा उत्तराखण्ड केवल एनएफबीएस हेतु एनएसएपी-पीपीएस तथा शेष उप-योजनाओं हेतु अपने स्वयं के एमआईएस का उपयोग कर रहे हैं)। राज्यों के विवरण **अनुलग्नक 3.2** में दिए गए हैं।

कई राज्य तथा यूटी एनएसएपी के साथ ही साथ अपनी स्वयं की पेंशन योजनाएं चला रहे थे। 26 राज्यों तथा सात यूटी, जो अपनी स्वयं की पेंशन योजना चला रहे थे, में से 12 राज्यों/यूटी<sup>1</sup> के पास एनएसएपी तथा संबंधित राज्य/यूटी योजना हेतु पृथक डाटाबेस नहीं था।

एनएसएपी तथा राज्य/यूटी योजना के लिए लाभार्थियों के पृथक डाटाबेस के अभाव में एनएसएपी तथा राज्य/यूटी की पेंशन योजना दोनों से एक ही लाभार्थी द्वारा लाभ उठाए जाने की संभावना से नहीं बचा जा सकता है। आगे, एनएसएपी तथा राज्य/यूटी योजना के वित्त का गैर-पृथक्करण एनएसएपी के पृथक लेखांकन तथा योजनाओं के दोनों सेट के अधीन अंतर्गत वांछित पारदर्शिता में बाधा डालती है। एनएसएपी हेतु प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज, वर्ष के अंत में अव्ययित शेष का भी निधियां के समेकित अनुरक्षण के कारण पता नहीं लगाया जा सकता था।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया कि राज्यों/यूटी को अपने डाटाबेस में एनएसएपी लाभार्थियों को चिन्हित करने के अनुदेश निर्गत किए गए हैं।*

अनुवर्ती अध्यायों में आयोजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यान्वयन के साथ-साथ एनएसएपी की निगरानी एवं मूल्यांकन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

---

<sup>1</sup> अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली (जनवरी 2021 से अलग डाटाबेस) जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पुद्दुचेरी।

## अध्याय-4: नियोजन


मजबूत नियोजन किसी भी योजना की सफलता हेतु एक अनिवार्य शर्त है। एनएसएपी के संबंध में, इसमें संभावित लाभार्थियों के समूह की पहचान, जागरूकता उत्पन्न करना, संभावित लाभार्थियों को याजना के दायरे में लाने की क्रियाविधि के साथ साथ अपात्र/फर्जी आवेदकों को हटाने की क्रियाविधि को विकसित करना, संभावित लाभार्थियों की निधि आवश्यकता के साथ तुल्यकालन आदि शामिल हैं। नियोजन के संबंध में लेखापरीक्षा उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या योजना का लाभार्थियों की पहचान, लक्षित करने तथा प्रमाणीकरण, जागरूकता उत्पन्न करना, पात्र/अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने/हटाने हेतु तंत्र, आदि जैसे पहलूओं को शामिल करते हुए पात्र सभी लाभार्थियों को शामिल करने तथा अपात्र लाभार्थियों को हटा कर प्रभावी रूप से नियोजन किया गया था। नियोजन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

### 4.1 गरीब/अरक्षित समूहों के डाटा का अभाव/पुराना डाटा

एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/यूटी को पात्र लाभार्थियों के एक डाटाबेस का अनुरक्षण करना तथा उसे पब्लिक डोमेन पर अपलोड करना अपेक्षित था। लाभार्थी डाटा में लाभार्थी की फोटोग्राफ सहित उसके सभी विवरण शामिल होने चाहिए। राज्यों को बीपीएल सूची से लाभार्थियों के घरों तक जाकर उनकी सक्रिय पहचान करते हुए पात्र लाभार्थियों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

यद्यपि लाभार्थियों की बीपीएल सूची से पहचान की जानी थी फिर भी कई राज्यों/यूटी में कार्यान्वयन विभागों द्वारा बीपीएल सूची अनुरक्षण नहीं की गई थी जैसा **मानचित्र 4.1** में वर्णन किया गया है।

### मानचित्र 4.1: कार्यान्वयन विभागों द्वारा बीपीएल सूची के अनुरक्षण की स्थिति



आगे, अधिकांश राज्य पात्र लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार नहीं कर रहे थे जैसी आभकल्पना की गई थी।

- ❖ केवल दो राज्यों अर्थात **हरियाणा** तथा **केरल**, में बीपीएल सूची तथा पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का अनुरक्षण किया गया था। शेष राज्यों/यूटी ने पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

- ❖ यद्यपि नौ राज्यों<sup>2</sup> में कार्यान्वयन विभागों द्वारा बीपीएल सूचियों का अनुरक्षण किया गया था, फिर भी अभी पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- ❖ 24 राज्यों/यूटी में कार्यान्वयन विभागों ने बीपीएल सूचियों का अनुरक्षण भी नहीं किया था जो एनएसएपी के अंतर्गत एक लाभार्थी की पात्रता का निर्धारण करने हेतु एक अनिवार्य शर्त थी।

यद्यपि एनएसएपी दिशानिर्देश लाभार्थियों के घर तक जाकर उनकी सक्रिय पहचान की अभिकल्पना करते हैं, फिर भी कार्यान्वयन विभागों के पास बीपीएल लाभार्थी डाटा की गैर-उपलब्धता तथा पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस के गैर-अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए योजना को मांग संचालित पद्धति में कार्यान्वित किया गया था क्योंकि लाभ केवल उन लाभार्थियों को प्रदान किए गए थे जो इससे अवगत थे तथा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। अधिकांश राज्यों ने पात्र लाभार्थियों के समूह के डाटाबेस का अनुरक्षण करने तथा सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के अनिवार्य प्रयास नहीं किए थे जैसा एनएसएपी दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियों को संबंधित राज्यों/यूटी को प्रेषित कर दिया गया है।*

#### 4.2 लाभार्थियों की कोई सक्रिय पहचान नहीं

एनएसएपी दिशानिर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को नए लाभार्थियों की पहचान हेतु एक केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। निर्वाचित अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को एनएसएपी के मानदण्ड तथा प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। उपलब्ध बीपीएल सूची के आधार पर लाभार्थियों की उनके घरों तक जाकर सक्रिय रूप से पहचान की जानी चाहिए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में नहीं आता है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए तथा योग्य व्यक्ति की पात्रता को स्थापित किया जाना चाहिए तथा तदनुसार चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

<sup>2</sup> गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, असम तथा मेघालय।

इस प्रकार, लाभार्थियों की सक्रिय पहचान एनएसएपी का मुख्य सिद्धांत है, हालांकि, केरल के सिवाए किसी भी राज्य/यूटी ने 2017-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु आवधिक सर्वेक्षण नहीं किए थे। पश्चिम बंगाल में 2006 में एक सर्वेक्षण किया गया था तथा बाद में 2011 में इसका अद्यतन किया गया था परंतु इसके पश्चात् पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

एमओआरडी 3.01 करोड़ के निर्धारित लाभार्थियों की संख्या पर समग्र सीमा के सापेक्ष औसतन केवल 2.83 करोड़ एनएसएपी लाभार्थियों हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा था। यद्यपि कई राज्य/यूटी अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से संबंधित राज्यों/यूटी हेतु निर्धारित सीमा से काफी अधिक लाभार्थियों को शामिल कर रहे थे फिर भी कुछ राज्य/यूटी थे जो इन राज्यों/यूटी हेतु निर्धारित सीमा के समान लाभार्थियों की संख्या को शामिल नहीं कर सके थे। जैसी पिछले अध्याय में चर्चा की गई है कि सीमा को जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया था तथा विभिन्न राज्यों/यूटी में कथित सीमा के अधिक कवरेज ने दर्शाया कि उन लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें शामिल किए जाने की आवश्यकता है, अधिक है। इस संदर्भ में, कुछ राज्यों/यूटी के संबंध में निर्धारित सीमा से नीचे के स्तर पर लाभार्थियों के कवरेज ने काफी कार्यान्वयन कमी को दर्शाया। परिणामस्वरूप, इन राज्यों ने उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं लिया था जिससे योजना के लाभों से पात्र लाभार्थियों को वंचित किया।

आईजीएनओएपीएस के संबंध में, जबकि 23 राज्यों/यूटी ने एमओआरडी द्वारा निर्धारित सीमा को पूरा किया था फिर भी 11 राज्य/यूटी निर्धारित सीमा के बराबर लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके थे जैसा तालिका 4.1 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 4.1: आईजीएनओएपीएस के तहत निर्धारित सीमा के बराबर लाभार्थियों को शामिल नहीं करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. एनआई	5924	578	590	544	543
2. गोवा	13059	0	0	0	4804
3. कर्नाटक	966595	892308	902909	894697	894722
4. लक्षद्वीप	569	190	186	173	165
5. महाराष्ट्र	1350000	1087919	1144933	1142186	1208223
6. मेघालय	77980	44413	45080	49051	48649



राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7. मणिपुर	56045	49712	52333	55159	55840
8. पंजाब	201039	121836	112511	113917	113605
9. त्रिपुरा	141510	148388	141996	127424	127424
10. उत्तराखण्ड	239498	224838	226072	214688	213551
11. उत्तर प्रदेश	4345014	3747321	4071158	4345014	4345014

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के संबंध में, 18 राज्यों/यूटी ने आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत निर्धारित सीमा को प्राप्त किया था।

- अण्डमान एवं निकोबार ने 2017-21 के दौरान किसी भी आईजीएनडब्ल्यूपीएस लाभार्थी को शामिल नहीं किया था।

15 राज्य/यूटी निर्धारित सीमा के अनुसार लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके थे जैसा तालिका 4.2 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 4.2: राज्य/यूटी जो आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत निर्धारित सीमा के बराबर लाभार्थियों को शामिल नहीं कर रहे हैं।**

राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. असम	137463	118644	118644	118644	114141
2. बिहार	634695	549000	586000	584000	611000
3. छत्तीसगढ़	260625	165627	177434	184863	194114
4. गोवा	8160	0	0	0	3917
5. गुजरात	218395	143009	164249	225638	426788
6. झारखण्ड	272108	258499	270271	271933	268537
7. लक्षद्वीप	285	92	89	87	85
8. महाराष्ट्र	100000	55889	64840	70512	76820
9. मेघालय	8498	6837	6935	7884	7852
10. मणिपुर	8043	0	4107	5352	5357
11. ओडिशा	528570	513954	510095	524083	522185

राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
12. पंजाब	42187	17331	17693	18142	18157
13. तमिलनाडु	549084	521850	523374	541255	581160
14. उत्तराखण्ड	95313	23516	25545	26649	27134
15. उत्तर प्रदेश	991784	414500	428896	440523	444849

आईजीएनडीपीएस के संबंध में 21 राज्य/यूटी निर्धारित सीमा को पूरा करने में, समर्थ थे जबकि 12 राज्य/यूटी निर्धारित सीमा के अनुसार लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके थे जैसा तालिका 4.3 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 4.3: राज्य/यूटी जो आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत निर्धारित सीमा के समान लाभार्थियों को शामिल नहीं कर रहे हैं**

राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. गोवा	468	0	0	0	330
2. गुजरात	33537	7964	10419	12200	20554
3. हिमाचल प्रदेश	3125	929	1039	1114	1118
4. झारखण्ड	31286	21734	24800	25605	26482
5. महाराष्ट्र	50000	7262	8090	10328	9616
6. मणिपुर	1007	0	993	911	911
7. ओडिशा	90754	79645	79645	82130	82130
8. पंजाब	6473	5066	4980	5348	5491
9. राजस्थान	56854	25529	19203	25992	25537
10. तमिलनाडु	79316	56529	58959	60944	62708
11. उत्तराखण्ड	14386	3292	2790	2914	2939
12. उत्तर प्रदेश	182823	75280	75280	73213	73213

एनएफबीएस के मामले में केवल आठ राज्य/यूटी एमओआरडी द्वारा एनएफबीएस के अधीन निर्धारित सीमा को पूरा करने में समर्थ थे, जैसा कि पहले ही अध्याय 3 में चर्चा की गई है कि एनएफबीएस को कई राज्यों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। 20 राज्य/यूटी निर्धारित

सीमा के अनुसार लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके थे जैसा तालिका 4.4 में विवरण दिया गया।

**तालिका 4.4: राज्य/यूटी जो एनएफबीएस के अधीन निर्धारित सीमा के समान लाभार्थियों को शामिल नहीं कर रहे हैं**

राज्य	लाभार्थियों की संख्या पर सीमा	उपलब्धि (वास्तव में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. असम	8524	1699	0	0	0
2. बिहार	35859	36000	35000	5800	10300
3. छत्तीसगढ़	12801	10250	7329	7698	8060
4. गोवा	225	213	157	70	250
5. गुजरात	10695	5834	6859	6250	8858
6. झारखण्ड	14148	5831	4880	3818	5753
7. जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	435	448	220	250	221
8. केरल	4358	2000	1000	3000	900
9. मध्य प्रदेश	30826	38818	27448	21428	21465
10. महाराष्ट्र	34987	15305	14145	13725	13705
11. मेघालय	781	868	614	391	374
12. मणिपुर	669	0	241	98	739
13. नागालैण्ड	535	546	382	361	543
14. ओडिशा	24697	22768	24611	6647	13807
15. पंजाब	2673	423	893	462	1155
16. सिक्किम	175	340	86	70	0
17. तमिलनाडु	18445	68168	45833	17001	9222
18. तेलंगाना	7794	4117	1507	1571	942
19. त्रिपुरा	984	499	485	506	380
20. उत्तराखण्ड	4808	2392	1988	2251	1360

यद्यपि एनएसएपी दिशानिर्देशों ने अभिकल्पना की कि लाभार्थियों के उनके घरों तक जाकर सक्रिय रूप से पहचान की जानी चाहिए फिर भी केन्द्रीय सहायता के माध्यम से केवल 2.83 करोड़ (2017-21 के दौरान औसतन कवरेज) लाभार्थियों को ही 3.19 करोड़ की निर्धारित समग्र

सीमा के सापेक्ष शामिल किया गया था क्योंकि कई राज्य/यूटी निर्धारित सीमा के अनुसार भी लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके थे जैसा ऊपर तालिकाबद्ध किया गया है।

सक्रिय पहचान के अभाव में योजना में केवल उन्हीं लाभार्थियों को शामिल किया गया जिन्होंने स्वयं एनएसएपी के अधीन पेंशन/लाभ हेतु आवेदन किया। पात्र लाभार्थी जो लाभों से अनजान हैं/ लाभों हेतु आवेदन करने के लिए जिनके पास संसाधनों की कमी है, एनएसएपी के दायरे से छूट गए। कुछ राज्यों/यूटी द्वारा सीमा की गैर-प्राप्ति ने एनएसएपी के अधीन सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने, जैसा अभिप्रेत था, में उनकी ओर से निष्क्रियता को दर्शाया।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अधिकतम सीमा/सीमा की परिपूर्णता को 2022-23 की दूसरी तिमाही में तीन पेंशन योजनाओं हेतु पूरा कर लिया गया है।*

जबकि मंत्रालय ने जनगणना 2001 के आधार पर लाभार्थियों की संख्या पर अधिकतम सीमा/निर्धारित सीमा के कवरेज के संबंध में उत्तर दिया फिर भी पात्र लाभार्थियों के सार्वभौमिक कवरेज के मुद्दे का निपटान किया जाना शेष है।

#### 4.3 पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया का अभाव

एनएसएपी दिशानिर्देशों ने अभिकल्पना की कि लाभार्थियों की ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा उपलब्ध बीपीएल सूची के आधार पर उनके घरों तक जाकर सक्रिय रूप से पहचान की जानी चाहिए। निर्वाचित अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को एनएसएपी के मानदण्डों तथा प्रक्रिया से सुग्राहित होना चाहिए। आगे, लाभार्थियों की सक्रिय पहचान एनएसएपी का मुख्य सिद्धांतों में से एक है तथा एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि अपनी पात्रता साबित करने का भार लाभार्थी पर नहीं होना चाहिए।

- 26 राज्यों/यूटी<sup>3</sup> द्वारा लाभार्थियों के घरों तक जाकर उनकी सक्रिय पहचान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

<sup>3</sup> अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, एएनआई, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पुदुचेरी।

- छः राज्यों/यूटी<sup>4</sup> के पास जीपी स्तर पर बीपीएल सूची नहीं थी जो नए लाभार्थी की पहचान तथा मौजूदा लाभार्थी के सत्यापन हेतु अनिवार्य है।
- केवल चार राज्यों/यूटी ने लाभार्थियों की सक्रिय पहचान हेतु अनुदेश जारी किए थे। इन चार राज्यों में की गई कार्रवाई का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

**तालिका 4.5: राज्यों में सक्रिय पहचान**

राज्य	सक्रिय पहचान की प्रक्रिया
<b>आन्ध्र प्रदेश</b>	वार्ड/ग्राम स्वयं सेवकों की नियुक्ति करते हुए पात्र लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने हेतु 13 दिसंबर 2019 को अनुदेश जारी किए गए थे।
<b>मध्य प्रदेश</b>	उन व्यक्तियों की सूची, जो बीपीएल सूची के अनुसार प्रथम दृष्टया पात्र पाए गए थे, की जांच करते हुए व्यक्तियों की पात्रता की जांच करने के बाद एनएसएपी के अधीन पेंशन की संस्वीकृति को सुनिश्चित करने हेतु अप्रैल 2017 में अनुदेश जारी किए गए थे। तथापि, चयनित जेपी में अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2022) के दौरान यह पाया गया था कि उन व्यक्तियों, जो प्रथम दृष्टया पात्र पाए गए थे, की न तो पात्रता की जांच/भौतिक सत्यापन किया गया था और न ही इन सभी व्यक्तियों को योजना के अधीन शामिल किया गया था।
<b>असम</b>	सभी जिलों को सभी पात्र लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने अनुदेश दिए गए थे। लाभार्थियों का ग्रामसभा की बैठकों में तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के अनुसार चयन किया जा रहा था। पीआरआई सदस्यों ने लाभार्थियों के घर तक जाने तथा अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों के बारे में सूचित करने की सक्रिय रूप से पहल की।
<b>केरल</b>	यद्यपि उद्देश्य हेतु कोई विशिष्ट अनुदेश मौजूद नहीं थे फिर भी स्थानीय एनजीओ को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर सभी पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने के प्रयास किए गए थे जिससे उप-योजना के अधीन चुने गए तथा अनुमोदित पेंशनभोगियों की संख्या राज्यों में काफी अधिक हो।

आगे, चार राज्यों/यूटी अर्थात् हरियाणा, तमिलनाडु (जुलाई 2020 से), दिल्ली, एवं उत्तर प्रदेश में, सम्भावित लाभार्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सके तथा ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि ऑनलाइन माध्यम की उपलब्धता से प्रक्रिया तेज हो सकती है क्योंकि

<sup>4</sup> आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, नागालैंड, सिक्किम तथा लक्षद्वीप।

संभावित लाभार्थी अरक्षित वर्ग में शामिल हैं फिर भी, ऑनलाइन तरीका प्रदान करने से पात्र लाभार्थी जो पेंशन का आवेदन करने के ऑनलाइन तरीके के बारे में जागरूक नहीं हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं।

राज्यों/यूटी को लाभार्थियों की सक्रिय पहचान हेतु अनुदेशों को जारी करना चाहिए। तथापि, अधिकांश राज्यों/यूटी जो इस संबंध में पूर्वाकांक्षित थे, में लाभार्थियों की पहचान हेतु कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि मोबाइल ऐप संबल का प्रमोचन नागरिकों द्वारा मोबाइल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुतीकरण आधारित ओटीपी के लिए किया गया।*

कथित ऐप का प्रमोचन अक्टूबर 2021 में किया गया था तथा दिसम्बर 2022 तक केवल 1989 लाभार्थियों ने इस ऐप के माध्यम से एनएसएपी के अधीन पेंशन के लिए आवेदन किया है।

#### 4.4 मौजूदा लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन का गैर-संचालन

एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने मौजूदा लाभार्थियों की सूची को अद्यतन करने के लिए लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन हेतु प्रावधान की परिकल्पना की। एक प्राधिकृत अधिकारी के अधीन इस उद्देश्य हेतु विशेष सत्यापन टीमों का गठन करना राज्यों/यूटी से अपेक्षित था। टीम में ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन जो उस इलाके में सक्रिय हैं, के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। सत्यापन के बाद, स्थायी किए जाने या हटाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की सूची अलग से प्रकाशित की जानी चाहिए। केवल दो राज्यों अर्थात महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल ने मौजूदा लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन टीम बनाई। शेष राज्यों/यूटी में इसका गठन नहीं किया गया था। आगे, 10 राज्यों में वार्षिक सत्यापन औपचारिक विशेष सत्यापन टीमों के अलावा अन्य माध्यमों से किया गया जैसा कि तालिका 4.6 में विवरण में दिया गया है।

तालिका 4.6: राज्यों में किए गए वार्षिक सत्यापन का विवरण

राज्य	वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़	वार्षिक सत्यापन ग्राम पंचायत के माध्यम से बैठक पर किया गया।
झारखण्ड	वार्षिक सत्यापन ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया।
कर्नाटक	वार्षिक सत्यापन ग्राम लेखापाल/मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया।
मध्य प्रदेश	लाभार्थियों के नाम में किसी भी प्रकार का जोड़ना या हटाना केवल जीपी के सचिवों द्वारा किए गया सर्वेक्षण के आधार पर किया गया।
महाराष्ट्र	यद्यपि वार्षिक सत्यापन किया गया था फिर भी, यह प्रभावी नहीं था क्योंकि लम्बे समय से लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं था।
राजस्थान	वार्षिक सत्यापन ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से किया गया ।
तमिलनाडु	वार्षिक सत्यापन प्रत्येक गांव में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा सौंपे गए व्यक्तियों/टीम के माध्यम से किया गया।
तेलंगाना	वार्षिक सत्यापन अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए किया गया।
मणिपुर	राज्य में सत्यापन का समयोचित/नियमित संचालन हेतु कोई भी सूची/कैलेंडर तैयार नहीं किया गया था, फिर भी, सत्यापन वर्ष में एक बार किए जा रहे थे।
उत्तर प्रदेश	वार्षिक सत्यापन जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता के अधीन पात्र/अपात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु किया गया।

- उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, पात्र लाभार्थियों की सूची में हटाने का कार्य वार्षिक सत्यापन के बाद भी नहीं किया गया।

वार्षिक सर्वेक्षण के गैर-संचालन के कारण, अपात्र लाभार्थियों का हटाने का कार्य कई राज्यों/यूटी में नहीं किया जा सका। कुछ राज्यों/यूटी में, वार्षिक सर्वेक्षण स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया या बिना प्राधिकृत अधिकारियों के संचालित किया गया। परिणामस्वरूप, ऐसे सर्वेक्षण की प्रभावशीलता संदेहपूर्ण थी। पंजाब में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण ने दर्शाया कि सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों के 74 प्रतिशत लाभार्थियों के पास बीपीएल कार्ड नहीं थे। कुछ राज्यों/यूटी में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान मृत्यु के बाद भी किया गया जैसा कि आगामी पैरा 6.7 में चर्चा की गई है। चयनित जीपी में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में, एनएसएपी के अधीन पेंशन

का लाभ उठा रहे अपात्र लाभार्थी भी पाए गए। निष्पादन लेखापरीक्षा के चरण-1 में किए गए डाटा विश्लेषण ने यह भी इंगति किया कि कई अपात्र लाभार्थी वर्षों से लगातार पेंशन ले रहे थे।

विशेष सत्यापन टीमों के गैर-गठन एवं वार्षिक सत्यापन सर्वेक्षण के गैर-संचालन ने अपात्र लाभार्थियों को छान्टने ने आधार स्तर पर अप्रभावी जांच को इंगित किया। यदि लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन सर्वेक्षण किया गया होता तो लेखापरीक्षा में पाए गए अपात्र लाभार्थियों को पेंशन के संवितरण के दृष्टांतों को हटाया जा सकता था।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि राष्ट्रीय स्तर अनुवीक्षकों (एनएलएम) ने उनके द्वारा किए गए 66 प्रतिशत गांव दौरों में ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन कार्य के संचालन की पुष्टि की थी। आगे, मंत्रालय ने अभ्युक्ति राज्यों/यूटी को भेज दी है।*

तथापि, एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने मौजूदा लाभार्थियों की सूची जो अधिकांश राज्यों में नहीं बनाई गई थी, के अद्यतन के लिए विशेष सत्यापन टीमों के गठन की परिकल्पना की।

#### 4.5 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की प्रभावशीलता

योजना का प्रचार एवं जागरूकता उत्पन्न करना, पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अस्तित्व के बारे में जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने एनएनएपी योजनाओं के अधीन पात्रता के बारे में विस्तृत एवं लगातार प्रचार तथा पोस्टरों, विवरणिकाओं, मीडिया एवं अन्य साधनों के माध्यम से उनका लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया की परिकल्पना की। आगे, दिशा-निर्देश बताते हैं कि प्रशासनिक खर्चों का एक प्रतिशत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) जागरूकता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाए।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 21 राज्यों/यूटी में आईईसी गतिविधियां संचालित नहीं की गई थीं; शेष 13 राज्यों/यूटी में आईईसी गतिविधियां कार्यान्वित की गई थी जैसा कि तालिका 4.7 में विवरण दिया गया है।



तालिका 4.7: 2017-21 के दौरान राज्यों/यूटी द्वारा संचालित की गई आईईसी गतिविधियां

राज्य	राज्यों/यूटी द्वारा की गई गतिविधियां
आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना दिशा-निर्देश एवं पात्रता मानदंड सभी गांव/वार्ड सचिवालय सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किए।</li> <li>संबंधित सरकारी आदेशों सहित योजना का विवरण वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया।</li> <li>जमाखोरी, सार्वजनिक बसों पर विज्ञापन आदि योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए किया गया।</li> </ul>
छत्तीसगढ़	लाभार्थियों के साथ बैठकें, विवरणिकाओं का वितरण, शिविरों एवं ग्राम सभाओं आदि जैसे गतिविधियां की गई।
झारखण्ड	जागरूकता कार्यक्रमों में जमाखोरी/पोस्टर/बैनर/पर्चे एवं ब्लॉक/पंचायत स्तरों पर भी शिविरों का आयोजन करना शामिल था।
कर्नाटक	आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब में मेजबानी की गई लघु फिल्म एवं अखबार विज्ञापन आदि का उपयोग करना।
केरल	सामाजिक कार्यकर्ताओं, वार्ड सदस्यों एवं एनजीओ को कार्यक्रम जागरूकता, द्वार-से-द्वार सर्वेक्षण में शामिल किया गया।
महाराष्ट्र	प्रचार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया गया।
राजस्थान	जमाखोरी का प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर, अखबार (प्रिंट मीडिया) एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शामिल करने के लिए ग्रामीण स्तर पर विभिन्न शिविर।</li> <li>जिलाधीश, जिला राजस्व अधिकारियों एवं उप कलेक्टर संवर्ग के अधिकारियों की अध्यक्षता में ग्रामीण स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रमों का संचालन किया गया।</li> <li>अरक्षित लोगों हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया गया।</li> </ul>
अरुणाचल प्रदेश	अक्टूबर 2018 एवं मई 2020 में केवल दो अवसरों पर 90.80 एफएम रेडियो के माध्यम से विज्ञापन का प्रसारण करना
असम	होडिंग, श्रवण विज्ञापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन
मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>कई एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम,</li> <li>केबल नेटवर्क के माध्यम से विज्ञापन,</li> <li>योजनाओं के विस्तृत घटकों को दर्शाते हुए बैनरों की तैयारी,</li> <li>स्थानीय बोलियों में एनएसएपी दिशा-निर्देशों का अनुवाद।</li> </ul>
नागालैंड	पेंटिंग एवं आईईसी सामग्री का मुद्रण
त्रिपुरा	राज्य योजनाओं के साथ-साथ एनएसएपी के बारे में जागरूकता पैदा की गई।

इस प्रकार, आईईसी गतिविधियां के माध्यम से जागरूकता पैदा नहीं की जा रही थी जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 8461 लाभार्थियों में से 287 लाभार्थी योजना लाभों के बारे में जागरूक नहीं थे।

आईईसी गतिविधियों पर व्यय असम (14 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (15 प्रतिशत) मिजोरम (12 प्रतिशत) एवं नागालैंड (10 प्रतिशत) में प्रशासनिक व्ययों की एक प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक था, जिसने योजना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को इंगित किया।

लाभार्थियों की सक्रिय पहचान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अभाव ने जैसा कि पैरा 4.4 में पर्याप्त आईईसी गतिविधियों की कमी के साथ चर्चा की गई है, एनएसएपी के दायरे से पात्र लाभार्थियों को देरी से शामिल करने/हटाने में प्रकट किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियों को संबंधित राज्यों/यूटी को प्रेषित कर दिया गया है।



चित्र 4.1 आन्ध्र प्रदेश में विज्ञापन के माध्यम से जागरुकता उत्पन्न करना

## अध्याय-5: वित्तीय प्रबंधन

योजना का विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि योजना के अभिप्रेत लाभ समय से लाभार्थियों तक पहुंचे जैसा कि योजना में परिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रबंधन के संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या पीएफएमएस आदि के साथ एकीकरण के साथ-साथ एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक आधार पर लाभार्थियों के संवितरण हेतु कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों की समयोचित उपलब्धता एवं विमोचन सुनिश्चित किया गया। योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नवत प्रकट हुआ:

### 5.1 राज्यों/यूटी द्वारा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब/गैर-प्रस्तुतीकरण

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना की पहली किश्त उन राज्यों/यूटी जो पिछले वर्ष की दूसरी किश्त ले चुके थे, को किश्त को जारी करने हेतु बिना किसी प्रस्ताव के जारी की जाएगी। राज्यों/यूटी को दूसरी किश्त कुल उपलब्ध निधियों (अथ शेष के साथ-साथ वर्ष के दौरान जारी एवं विविध प्राप्तियां शामिल हैं) के कम से कम 60 प्रतिशत के उपयोग के बाद जारी की गई है। दूसरी किश्त जारी करने के लिए राज्यों/यूटी को केन्द्र सरकार को अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/अनुलग्नक सहित प्रस्ताव भेजना अपेक्षित था। इस प्रकार, पहली किश्त पात्र लाभार्थियों के डाटा के मूल्यांकन और लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में राज्यों/यूटी शासित प्रदेशों के किसी भी दस्तावेज के बिना जारी कर दिया गया।

दूसरी किश्त जारी करने हेतु प्रस्ताव 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आगे, राज्य/यूटी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में दूसरी किश्त प्राप्त नहीं की है, उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी किश्त तथा सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित चालू वर्ष की पहली किश्त हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

12 राज्यों/यूटी ने मंत्रालय को छः दिन से लेकर 575 दिन के बीच की देरी के साथ दूसरी किश्त को जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जैसा कि तालिका 5.1 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.1: दूसरी किश्त के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण और जारी करने में राज्य-वार विलंब

राज्य/यूटी	वर्ष	दूसरी किश्त के प्रस्ताव की तिथि	प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में देरी (दिनों में)	दूसरी किश्त जारी करने की तिथि
1. अरुणाचल प्रदेश	2017-18	05-09-2018	264	25.03.2019
	2018-19	19-11-2019	339	जारी नहीं
	2019-20	12-07-2021	575	जारी नहीं
	2020-21	12-07-2021	209	जारी नहीं
2. झारखण्ड	2017-18	15.01.2018	30	18.01.2018
	2018-19	28.12.2018	13	15.03.2019
3. लद्दाख	2020-21	21.12.2020	6	22.03.2021
4. मणिपुर	2017-18	17.03.2018	91	03.04.2018
	2018-19	23.03.2019	97	21.12.2019
	2019-20	18.05.2020	153	22.12.2020
5. मेघालय	2017-18	21.12.2017	6	16.03.2018
	2018-19	21.12.2018	6	01.02.2019
6. मिजोरम	2017-18	18.01.2018	33	05.03.2018
	2018-19	09.01.2019	24	12.03.2019
	2019-20	17.01.2020	32	06.02.2020
	2020-21	30.07.2021	227	31.01.2021 - पहला भाग 22.03.2021 - दूसरा भाग
7. केरल	2017-18	19.01.2018	34	13.09.2018
	2018-19	15.02.2019	61	23.03.2019
	2019-20	03.07.2020	200	31.08.2020
8. पंजाब	2018-19	26.12.2018	11	जारी नहीं की गई
9. राजस्थान	2018-19	07.01.2019	23	12.03.2019
	2020-21	13.01.2021	29	26.02.2021
10. तमिलनाडु	2018-19	31.01.2019	47	08.03.2019
	2019-20	03.01.2020	19	03.03.2020
	2020-21	04.01.2021	17	27.08.2021
11. उत्तराखण्ड	2017-18	26.04.2018	130	28.05.2018
	2018-19	17.06.2019	180	31.03.2021
12. सिक्किम	2018-19	19.02.2019	66	12.06.2019

मंत्रालय ने राज्यों को दूसरी किशत अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तराखण्ड के मामले में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में तथा मणिपुर, केरल एवं सिक्किम के लिए वित्तीय वर्ष के पूरे होने के बाद जारी की। इसलिए, राज्यों द्वारा दूसरी किशत के लिए प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलंब का प्रभाव मंत्रालय द्वारा निधियों के जारी होने पर पड़ा। इससे पेंशन के संवितरण की आवृत्ति पर प्रभाव पड़ा क्योंकि केवल 11 राज्य/यूटी मासिक आधार पर पेंशन का संवितरण कर रहे थे तथा शेष राज्य/यूटी मासिक आधार पर पेंशन का संवितरण नहीं कर सके जैसा कि पैरा 6.2 में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, राज्यों द्वारा मंत्रालय को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में देरी का परिणाम योजना कार्यान्वयन एवं पेंशन के समयोचित संवितरण हेतु राज्यों के पास निधियों की उपलब्धता को प्रभावित करते हुए निधियों के जारी होने में देरी में हुआ।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि राज्य/यूटी से प्रस्ताव की देरी से प्राप्ति के कारण, दूसरी किशत के जारी होने में विलम्ब हुआ। हालांकि राज्य/यूटी अपने स्वयं के संसाधनों से पेंशन का संवितरण करते हैं।*

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया कि लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में विलम्ब थे जैसा कि पैरा सं. 6.2 में विवरण दिया गया है।

## 5.2 राज्यों/यूटी द्वारा निधियों के जारी करने में देरी

मंत्रालय के संस्वीकृति पत्र के निबंधन और शर्तों के अनुसार, राज्य/यूटी निधि की प्राप्ति के तीन दिन के अंदर योजना कार्यान्वयन विभागों को निधियां अंतरित करेंगे, ऐसे न करने पर राज्य/यूटी निधियों की प्राप्ति की तिथि से तीन दिन के बाद 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

21 राज्यों/यूटी ने तीन दिन की निर्धारित तिथि के अंदर कार्यान्वयन विभागों को मंत्रालय से प्राप्त निधियों को अंतरित नहीं किया एवं सिक्किम के मामले में 990 दिनों तक की देरी पाई गई। इन राज्यों में राज्य कार्यान्वयन विभाग को राज्य राजकोष (मंत्रालय से किशत की प्राप्ति पर) से निधियों के अंतरण में देरी का विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2: कार्यान्वयन विभाग को निधियों के अंतरण में राज्य/यूटी-वार देरी

राज्य/यूटी	देरी की अवधि	ब्याज देयता (लाख में)
1. आन्ध्र प्रदेश	18 दिन से 224 दिन	3187.67
2. अरुणाचल प्रदेश	251 से 265 दिन	103.65
3. असम	14 से 96 दिन	14.93
4. बिहार	पहली किश्त में 181 दिन एवं दूसरी किश्त में 9 दिन	119.00
5. हरियाणा	4 दिन से 290 दिन	865.00
6. जेएण्डके	19 दिन से 129 दिन	217.96
7. महाराष्ट्र	39 दिन से 189 दिन	1668.00
8. मणिपुर	10 से 196 दिन	222.12
9. मेघालय	12 से 114 दिन	126.72
10. मिजोरम	10 से 403 दिन	66.98
11. ओडिशा	5 दिन से 73 दिन	1706.00
12. पंजाब	36 दिन से 139 दिन	357.68
13. तमिलनाडु	117 से 287 दिन	210.07
14. तेलंगाना	17 दिन से 250 दिन	1864.47
15. त्रिपुरा	3 दिन से 38 दिन	76.86
16. उत्तराखण्ड	18 से 59 दिन	463.66
17. पश्चिम बंगाल	7 से 25 दिन	774.42
18. नागालैंड	58 से 544 दिन	683.29
19. सिक्किम	60 दिन से 990 दिन	131.00
20. एनसीटी दिल्ली	17 दिन से 87 दिन	87.42
21. पुदुचेरी	8 दिन से 46 दिन	38.54
	<b>कुल</b>	<b>12985.44</b>

निधियों के देरी से अंतरण पर दंडात्मक ब्याज का प्रावधान समग्र वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने तथा अभिप्रेत लाभार्थियों को पेंशन के मासिक संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए निधियों के अपयोजन/दुरुपयोग/पार्किंग को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में किया गया। फिर भी, इसकी पर्याप्त रूप से निगरानी नहीं की गई थी। न ही राज्यों/यूटी ने निधियों के देरी से अंतरण के विवरण को मंत्रालय के साथ साझा किया और न ही मंत्रालय ने निधियों के देरी से अंतरण पर ब्याज के लिए लेखांकन के बारे में चूक करने वाले राज्यों से पूछा।

कार्यान्वयन विभाग को निधियों को अंतरित करने में देरी का परिणाम लाभार्थियों को मासिक पेंशन के गैर-संवितरण में हुआ। तदनुसार, यहां तक कि एनएसएपी ने पेंशन के मासिक भुगतान की परिकल्पना की फिर भी, चार राज्य त्रैमासिक आधार पर पेंशन का संवितरण कर रहे थे, जबकि दो राज्य वार्षिक रूप से तथा 17 राज्य/यूटी तदर्थ आधार पर पेंशन का संवितरण कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि एसएनए में निधि के देरी से अंतरण पर 12 प्रतिशत ब्याज का संबंधित खंड प्रासंगिक नहीं था क्योंकि एसएनए को निधि के अंतरण के लिए अब 21 दिन का समय ओएम दिनांक 23 मार्च 2021 के संदर्भ में डीओई द्वारा जारी निधियों को जारी करने हेतु संशोधित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया है।

अभ्युक्ति 2017-21 की अवधि से संबंधित है, जबकि संशोधित प्रक्रिया उपरोक्त वर्णित ओ.एम. के अनुसार 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है।

### 5.3 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निधियों का प्राक्कलन

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए निधियों के आवंटन से संबंधित बजट परिपत्र के अनुदेश के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जिनको छूट दी गई, के अलावा) को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन उनके आवंटन से सकल बजटीय समर्थन का 10 प्रतिशत खर्च करना अपेक्षित है। तदनुसार, ग्रामीण विकास विभाग ने एनई राज्यों को एनएसएपी योजना के लिए कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत आवंटित किया। उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा निधियों का वर्ष-वार आवंटन एवं उपयोग का विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका: 5.3: एनई राज्यों में निधियों का वर्ष-वार आवंटन एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत
2017-18	950.00	299.57	261.42	688.58	72.48
2018-19	997.50	338.38	338.38	659.11	66.08
2019-20	920.00	920.00	428.96	491.05	53.38
2020-21	920.00	410.92	410.89	509.12	53.34

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा गया है, उत्तर-पूर्वी राज्यों को आवंटित एनएसएपी निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक वर्ष एमओआरडी को अभ्यर्पित किया गया था तथा उसका उपयोग नहीं किया जा सका।

अभ्यर्पण हेतु कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि प्रत्येक राज्य/यूटी के लिए निर्धारित लाभार्थियों की संख्या की एक सीमा है तथा तदनुसार, निधियां जारी की गई थी। प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों का 10 प्रतिशत एनई राज्यों के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित था, फिर भी, इस संबंध में एनई राज्यों के लिए लाभार्थियों की संख्या की निर्धारित सीमा पर आधारित वास्तविक बजटीय आवश्यकता इन राज्यों हेतु बजट आवंटन की तुलना में बहुत कम थी।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनई राज्यों में शामिल लाभार्थियों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

- निधियों की उपलब्धता के बावजूद मेघालय आईजीएनओएपीएस एवं आईजीएनडब्ल्यूपीएस हेतु लाभार्थियों की सीमा के अनुसार, कवरेज प्राप्त करने में असमर्थ था।
- मणिपुर में, सीमा के अनुसार स्तर आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं आईजीएनडीपीएस हेतु प्राप्त नहीं किए गए थे।
- एनएफबीएस के मामले में, चार उत्तर-पूर्वी राज्य अर्थात् मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं सिक्किम, मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार लाभार्थियों को शामिल करने में असमर्थ थे।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, ये राज्य यहां तक कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार लाभार्थियों को शामिल नहीं कर सके तथा परिणामस्वरूप मंत्रालय को निधियां अभ्यर्पित की गईं। इस तरह, उत्तर-पूर्वी राज्यों को आवंटित निधियों का उपयोग पात्र एनएसएपी लाभार्थियों को शामिल करने के लिए नहीं किया गया।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि एनएसएपी योजनाओं ने नवम्बर 2021 में समग्र रूप से विभाग द्वारा 10 प्रतिशत आवंटन के अनुपालन के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित करने हेतु डीओएनईआर से छूट प्राप्त की है।*



मंत्रालय का उत्तर इस पर मौन है कि क्यों राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित लाभार्थियों की सीमा के अनुसार कवरेज प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे यद्यपि पर्याप्त निधियां जारी की गई थीं।

#### 5.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब/गैर-प्रस्तुतीकरण

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विशेष वर्ष की दूसरी किश्त को जारी करने हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय राज्यों/यूटी सरकार को उप-योजना-वार उपयोगिता को इंगित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों के लिए समग्र रूप से राज्य/यूटी हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/यूटी को भी निर्धारित प्रपत्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहली किश्त में प्राप्त निधियों के लिए यूसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

पांच राज्यों/यूटी ने समय पर मंत्रालय को यूसी प्रस्तुत नहीं किए। राज्य-वार देरी का विवरण तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: राज्यों द्वारा यूसी के प्रस्तुतीकरण में देरी का विवरण

राज्य/यूटी	यूसी का विवरण	प्रस्तुतीकरण की तिथि
अरुणाचल प्रदेश	2017-18 हेतु यूसी	जून 2020
	2018-19 हेतु यूसी	अक्टूबर 2021
गोवा	2015-16 से 2019-20 के लिए समेकित यूसी	जुलाई 2020
केरल	2018-19 एवं 2020-21 के लिए एनएफबीएस से संबंधित यूसी	प्रस्तुत नहीं
तेलंगाना	2019-20 एवं 2020-21 के लिए एनएफबीएस से संबंधित यूसी	प्रस्तुत नहीं
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2012-13 के लिए यूसी	नवम्बर 2020

आगे, यूसी में रिपोर्ट किए गए व्यय आंकड़ों तथा 15 राज्यों/यूटी में किए गए वास्तविक व्यय में बेमेल था जिसका विवरण अनुलग्नक 5.1 में दिया गया है। राज्य द्वारा प्रस्तुत यूसी में दर्शाए गए व्यय आंकड़ों एवं राज्य स्तर पर वास्तविक व्यय में अंतर में इंगित किया कि राज्यों द्वारा व्यय की अधिकता एवं कमी के मामले थे। राज्य/यूटी द्वारा व्यय आंकड़ों को कम बताए जाने का परिणाम मंत्रालय द्वारा निधियों के कम जारी होने में हुआ है, क्योंकि एमओआरडी आगामी वर्ष के लिए निधियां जारी करते समय पिछले वर्ष के अव्ययित शेष को ध्यान में

रखता है। राज्य द्वारा व्यय को अधिक बताए जाने का परिणाम राज्य/यूटी द्वारा अपेक्षित निधियों से अधिक जारी करने में हुआ है। यह बदले में योजना के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करता है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि यूसी के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण इन राज्यों/यूटी को निधियां जारी नहीं की गई।*

मंत्रालय ने यूसी में रिपोर्ट किए गए व्यय आंकड़ों एवं राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में बेमेल के संबंध में उत्तर नहीं दिया।

## 5.5 निधियों का अपयोजन

राज्यों/यूटी को एनएसएपी के अधीन आवंटन एनएसएपी के विभिन्न उप-योजनाओं के अधीन पेंशन के संवितरण हेतु किया गया था। राज्य/यूटी के कुल आवंटन में से तीन प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्यय के लिए थी। लेखापरीक्षा के दौरान, एनएसएपी हेतु आवंटित निधियों में से मंत्रालय एवं राज्यों/यूटी द्वारा निधियों के अपयोजन के दृष्टांत पाए गए जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

### 5.5.1 आईईसी निधियों का उपयोग

जनवरी 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों/योजनाओं का उचित प्रचार करने के लिए राज्यों एवं यूटी में जमाखोरी के माध्यम से अभियान चलाने का निर्णय लिया। राज्य/यूटी के प्रत्येक राजधानी शहर पर 10 जमाखोरी की एक सीमा के साथ जमाखोरी द्वारा प्रचार अभियान के लिए ₹ 39.15 लाख की वित्तीय संस्वीकृति (जून 2017) और प्रशासनिक अनुमोदन लिया गया। 19 राज्यों के लिए प्रत्येक जिले में पांच जमाखोरी द्वारा मंत्रालय की कई योजनाओं की प्रचार सामग्री, स्वच्छ भारत पखवाड़ा और समृद्धि के अभियान हेतु ₹ 2.44 करोड़ की व्यय संस्वीकृति (अगस्त 2017) और प्रशासनिक अनुमोदन लिया गया। डीएवीपी को कार्य आदेश जून एवं सितम्बर 2017 में जारी किए गए। प्रचार अभियान सितम्बर 2017 में किया जाना था। कथित अभियान के लिए निधियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाना बताया गया तथा कथित शीर्ष के तहत किए जाने वाले व्यय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां का व्यय वास्तव में सामाजिक सुरक्षा कल्याण एनएसएपी योजनाओं से किया गया था।

तथापि, केवल पीएमएवाई-जी एवं डीडीयू-जीकेवाई योजनाओं के प्रचार कार्य आदेश में वर्णित थे एवं एनएसएपी की कोई भी योजना कार्य आदेश में शामिल नहीं की गई थी। आगे, विभाग को सूचित करते हुए डीएवीपी द्वारा अभियान चलाया जाना था, फिर भी, डीएवीपी को भुगतान कार्य के निष्पादन की पुष्टि के बिना किया गया।

इस प्रकार, एनएसएपी के तहत योजनाबद्ध आईईसी गतिविधियां नहीं की गई थी जैसा कि परिकल्पित था एवं ₹ 2.83 करोड़ की निधियां मंत्रालय की अन्य योजनाओं के संबंध में अभियान चलाने हेतु अपयोजित की गई थी। इसलिए, एनएसएपी के संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए अभिप्रेत आईईसी गतिविधियां नहीं हो सकी, भले ही आईईसी गतिविधियों के लिए निधियों का निर्धारण किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि कथित मामले को विभाग के आईईसी प्रभाग के साथ उठाया गया है।

### 5.5.2 राज्य/यूटी स्तर पर ₹57.45 करोड़ की एनएसएपी निधियों का अपयोजन

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनएसएपी योजना के तहत राज्यों को द्वितीय किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव सहित गैर-अपयोजन एवं गैर-गबन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

छः राज्यों/यूटी में, निधियों के अपयोजन के दृष्टांत पाए गए जैसा कि तालिका 5.5 में चर्चा की गई है:

तालिका 5.5: राज्यों/यूटी में निधियों के अपयोजन का विवरण

राज्य/यूटी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	निधियों का अपयोजन (₹ करोड़ में)	अपयोजित की गई
1. राजस्थान	एनएफबीएस निधियों (2017-18) का तात्पर्य 12347 लाभार्थियों के लिए सितम्बर एवं दिसंबर 2017 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत बीमाकृत बीपीएल एवं आस्था कार्ड धारक व्यक्ति हेतु एलआईसी के बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु अपयोजित किया गया था।	7.37	
2. छत्तीसगढ़	एनएसएपी निधियां राज्य योजनाओं के तहत अपयोजित की गई थी।	0.60	राज्य

राज्य/यूटी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	निधियों का अपयोजन (₹ करोड़ में)	अपयोजित की गई
3. जम्मू और कश्मीर	एनएसएवी निधियों का उपयोग राज्य बजट प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन पेंशन के भुगतान हेतु किया गया था।	0.009	योजना
	एनएसएपी निधियां अनियमित रूप से राज्य राजकोष में भेज दी गईं।	3.00	राज्य के खजाने में रखना
4. ओडिशा	राज्य सरकार द्वारा पीआरआई निर्माण एवं आंगनवाडी केन्द्र भवन के रखरखाव आदि के लिए निधियों को जारी करने के प्रति अन्य योजनाओं की निधियों का अपयोजन	1.66	विविध क्रियाविधियों के लिए जो एनएसएपी से संबंधित नहीं
5. गोवा	वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आईजीएनओएपीएस से एनएफबीएस को आंतरिक निधियां	1.37	
6. बिहार	आईजीएनओएपीएस के तहत केन्द्र एवं राज्य हिस्से को आईजीएनडीपीएस के तहत निधियों की गैर-उपलब्धता के कारण 2018-19 में आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन देने के लिए अपयोजित किया गया था।	42.93	एनएसएपी की अन्य उप-योजनाएं
	एनएफबीएस के तहत भुगतान करने हेतु आईजीएनओएपीएस के अधीन निधियां अपयोजित की गई थीं। ₹ 1.08 लाख की प्रशासनिक निधि एमवीपीवाई योजना के तहत कंबलों की खरीदी हेतु अपयोजित की गई थीं।	0.51	
<b>कुल</b>		<b>57.45</b>	

₹ 57.45 करोड़ राशि की राज्य योजनाओं के लिए एनएसएपी निधियों की उपर्युक्त अंतः उप-योजना अपयोजन एवं एनएसएपी निधियों के अपयोजन से राज्य स्तर पर व्याप्त वित्तीय प्रबंधन में कमियां इंगित हुईं। वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों से पेंशनभोगी हकदारियों के अभिप्रेत लाभार्थी न केवल वंचित रहे अपितु पारदर्शी एवं स्पष्ट ढंग में एनएसएपी को वास्तविक वित्तीय स्थिति की चित्रित करने में राज्यों की ओर से भी खराब प्रकट हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2022) बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।

## 5.6 ₹ 18.78 करोड़ की निधियों की निष्क्रियता

पेंशन का नियमित मासिक संवितरण एनएसएपी के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है राज्य/यूटी को मंत्रालय से अपनी प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर योजना कार्यान्वयन विभाग को निधियां अंतरित करनी चाहिए, इससे योजना कार्यान्वयन विभाग लाभार्थियों को मासिक आधार पर पेंशन संवितरण करने में सक्षम हो सके।

तथापि, आठ राज्यों/यूटी में एनएसएपी के तहत प्राप्त निधियां या तो संबंधित राज्यों/यूटी या कार्यान्वयन अभिकरणों के पास निष्क्रिय पड़ी थी जैसा कि तालिका 5.6 में वर्णित है:

तालिका 5.6 राज्य/यूटी वार निधियों की निष्क्रियता का विवरण

		(₹ करोड़ में)
राज्य/यूटी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि
बिहार	एनएसएपी निधियां 2017-18 से भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में पड़ी रही थीं।	9.45
सिक्किम	यद्यपि एनएसएपी लेन-देन हेतु बैंक लेखे 1 अप्रैल 2020 को निजी क्षेत्र के बैंक से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में परिवर्तित किए गए फिर भी एनएसएपी निधियां 31 मार्च 2022 तक निजी क्षेत्र के बैंक में पड़ी थी।	4.10
	राजकोष से अगस्त 2018 में निकाली गई निधियां तीन वर्ष से अधिक से बैंक में पड़ी रही।	0.20
अरुणाचल प्रदेश	2018-19 से निष्क्रिय पड़ी एनएसएपी निधियां।	1.44
गोवा	2012-13 की अव्ययित निधियां निष्क्रिय पड़ी रही।	0.65
केरल	2017-18 से निष्क्रिय पड़ी रही एनएफबीएस निधियां।	0.79
ए एण्ड एन आई	जनवरी 2021 से निष्क्रिय पड़ी रही एनएसएपी निधियां*	1.19
जम्मू और कश्मीर	आईजीएनओएपीएस निधियां 2019-20 से निष्क्रिय पड़ी रही।	0.90
त्रिपुरा	पिछले पांच वर्षों से असंवितरित पड़ी रही एनएसएपी निधियां	0.06
कुल		18.78

\* क्षेत्र लेखापरीक्षा की पूर्णता तक अर्थात जून 2022

अतः एक से पांच वर्ष की अवधि हेतु आठ राज्यों में ₹ 18.78 करोड़ निष्क्रिय पड़े रहे। राज्य/जिला स्तर पर निधियों की निष्क्रियता इंगित करती है कि जिलों द्वारा वित्तीय स्थितियों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित नहीं की जा रही है। निधियों के निष्क्रिय रहने के कारण थे जैसे वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का जारी किया जाना, प्रशासनिक विभाग द्वारा निधियों का पुनःवैधीकरण न किया जाना, दोहराव और लाभार्थियों को गैर-अनुमति आयु सीमा। राज्य/यूटी जो लाभार्थियों को पेंशन के अनियमित भुगतान में प्रकट हुए हैं, की ओर से वित्तीय निगरानी की कमी को भी यह दर्शाता है जैसाकि अध्याय 6 में चर्चा की गई है।

**ओडिशा** में, 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, यह पाया गया कि आईजीएनओएपीएस के तहत निधियों की लगातार बचत हो रही थी। योजना के तहत जमा शेष वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 149.82 करोड़, ₹ 154.66 करोड़, ₹ 174.09 करोड़ एवं ₹127.42 करोड़ था।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2022) में बताया कि वित्त मंत्रालयों के अनुदेशों के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय अनुदान के अव्ययित शेष एवं उस पर उपार्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में वापस करने के अनुदेश दिए गए हैं। आगे, अभ्युक्ति संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।*

## 5.7 ₹ 5.98 करोड़ का अस्वीकार्य प्रशासनिक व्यय

एएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान एनएसएपी के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के प्रति जारी एनएसएपी निधियों का तीन प्रतिशत तक राज्य/यूटी उपयोग करें। प्रशासनिक खर्चों के तहत स्वीकार्य मदों में पेंशन पासबुकों का मुद्रण एवं वितरण, आवेदन फॉर्मों का मुद्रण, शिविरों का आयोजन, आईईसी गतिविधियां आदि शामिल हैं।

- ❖ 17<sup>5</sup> राज्यों में प्रशासनिक खर्च एनएसएपी निधियों के तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर खर्च की गई थी।

<sup>5</sup> गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा।

- ❖ पांच<sup>6</sup> राज्यों/यूटी में प्रशासनिक व्यय तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा के परे किया गया था।
- ❖ तमिलनाडु ने निधियां का पूर्ण उपयोग नहीं किया, प्रशासनिक खर्चों के लिए अभिप्रेत लेकिन पूरी राशि हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया, इस प्रकार 2017-21 के दौरान प्रशासनिक खर्चों को ₹ 41.63 करोड़ अधिक बताया।
- ❖ 10 राज्यों/यूटी में प्रशासनिक खर्चों के लिए अभिप्रेत निधियां 2017-21 के दौरान अस्वीकार्य मदों पर उपयोग किया गया जैसाकि तालिका 5.7 में विवरण दिया गया है:

**तालिका 5.7: अस्वीकार्य मदों का राज्य/यूटी वार विवरण**

(₹ करोड़ में)

राज्य/यूटी	अस्वीकार्य मदों का विवरण	राशि
1. अरुणाचल प्रदेश	मानदेय का भुगतान	1.36
2. असम	सीपीआरडी के सम्मेलन हॉल की मरम्मत	0.04
3. बिहार	सुरक्षा कर्मियों एवं आईटी कार्मिक के वेतन, सिविल निर्माण कार्य, वाहनों को किराए पर लेने, जलपान आदि का भुगतान	2.38
4. छत्तीसगढ़	विकास यात्रा, परिवहन खर्च, पेंशन लाभार्थियों के लिए कोविड-19 को रोकने हेतु चेहरे के मास्कों के लिए समाज कल्याण प्रापण निदेशालय में लगे प्रचालकों के वेतन, पर्चों का मुद्रण कोविड-19 हेतु जागरूकता के लिए फ्लेक्स जमाखोरी एवं सीएम तीर्थ यात्रा योजना	0.24
5. जम्मू और कश्मीर	वेतन, वाहन की मरम्मत एवं यात्रा भत्ता।	0.27
6. मध्य प्रदेश	कार्यालय वाहनों को किराए पर लेना	0.33
7. ओडिशा	राज्य सरकार के वर्ग-डी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, नियुक्त परामर्शदाताओं के लिए मासिक व्यवसायिक शुल्क, वाहनों को किराए पर लेने का प्रभार।	0.95
8. त्रिपुरा	लिफ्ट की मरम्मत करना, वेबसाइट का अनुरक्षण, अगरतला नगर पालिका परिषद के सेवा प्रभारों का भुगतान, सफाई करने/झाड़ू लगाने/बागवानी, इलेक्ट्रिकल मदों का खरीदना, वाहनों की मरम्मत करना आदि	0.15
9. उत्तराखण्ड	आलमारी, पेट्रोल, वाहन की मरम्मत, आयकर आदि हेतु परामर्श शुल्क का प्रापण जो एनएसएपी से संबंधित नहीं हैं।	0.09
10. पश्चिम बंगाल	विशेष दिनों का उत्सव, वाहनों को किराए पर लेना एवं वातानुकूलित मशीन को खरीदना, टेलीफोन खर्च आदि	0.17
<b>कुल</b>		<b>5.98</b>

<sup>6</sup> छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल।

निर्धारित सीमा से अधिक किए गए प्रशासनिक खर्चों ने अत्यधिक व्यय की सीमा तक पेंशन संबंधी लाभों के पात्र लाभार्थियों को वंचित रखा। आगे, ₹ 5.98 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य मदों पर व्यय ने आईईसी पहल कमजोर करने के बावजूद वित्तीय अनुशासन की कमी एवं एनएसएपी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को इंगित किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।

## 5.8 पात्र लाभार्थी डाटा के डिजिटलीकरण में अंतर

मंत्रालय ने राज्यों/यूटी को लाभार्थियों की संख्या या लाभार्थियों की डिजिटल संख्या जो भी कम हो पर निर्धारित राज्य/यूटी-वार सीमा के आधार पर निधियां आंबटित की। एक राज्य/यूटी की निधियों हेतु पात्रता लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में उस राज्य/यूटी के संबंध में निर्धारित सीमा के अंदर लाभार्थियों की डिजिटल संख्या तक सीमित है। इस प्रकार, गैर-डिजिटलीकरण योजनाओं के लाभों से एक अन्यथा पात्र लाभार्थी को वंचित करता है।

16 राज्यों/यूटी<sup>7</sup> में लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं इन राज्यों/यूटी द्वारा किए गए डिजिटलीकरण के बीच 7.66 लाख का अंतर था जैसाकि तालिका 5.8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.8: उन राज्यों/यूटी का ब्यौरा जहां डिजिटलीकरण अपूर्ण था

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	उपयोजना का नाम	केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमा	उन लाभार्थियों की संख्या जिनके डाटा का डिजिटलीकरण किया गया था	डिजिटलीकरण में अंतर	डिजिटलीकरण में प्रतिशतता अंतर
		(ए)	(बी)	(सी)	(बी-सी)	
1.	छत्तीसगढ़	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	260625	194114	66511	25.52
		एनएफबीएस	12801	8060	4741	37.04
2.	हिमाचल प्रदेश	आईएनडीपीएस	3125	1706	1419	45.41
		एनएफबीएस	684	0	684	100.00
3.	जम्मू एवं कश्मीर	आईजीएनओएपीएस	132837	1,29,854	2983	2.25
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	7891	7,617	274	3.47

<sup>7</sup> छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, एएनआई, चण्डीगढ़ एवं दिल्ली।



क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	उपयोजना का नाम	केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमा	उन लाभार्थियों की संख्या जिनके डाटा का डिजिटलीकरण किया गया था	डिजिटलीकरण में अंतर	डिजिटलीकरण में प्रतिशतता अंतर
		(ए)	(बी)	(सी)	(बी-सी)	
4.	झारखण्ड	आईजीएनओएपीएस	993567	986752	6815	0.69
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	272108	266697	5412	1.99
		आईएनडीपीएस	31286	26364	4922	15.73
		एनएफबीएस	14148	5753	8395	59.34
5.	महाराष्ट्र	आईजीएनओएपीएस	1350000	1128191	221809	16.43
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	100000	79393	20607	20.61
		आईएनडीपीएस	50000	9336	40664	81.33
6.	उड़ीसा	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	528570	508015	20555	3.89
		आईएनडीपीएस	90754	85805	4949	5.45
7.	पंजाब	आईजीएनओएपीएस	201039	112955	88084	43.81
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	42187	19294	22893	54.27
		आईएनडीपीएस	6473	5982	491	7.59
8.	राजस्थान	आईएनडीपीएस	56854	30513	26341	46.33
9.	उत्तराखण्ड	आईजीएनओएपीएस	239498	202763	36735	15.34
		एनएफबीएस	95313	28027	67286	70.59
		आईएनडीपीएस	77980	2955	11431	79.46
		एनएफबीएस	4808	530	4278	88.98
10.	अरुणाचल प्रदेश	आईजीएनओएपीएस	29,290	5,894	23,396	79.88
		एनएफबीएस	3,565	288	3,277	91.92
		आईएनडीपीएस	1,284	112	1,172	91.28
		एनएफबीएस	346	0	346	100.00
11.	मेघालय	आईएनडीपीएस	77980	56001	21979	28.19
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	8498	8026	472	5.55
12.	सिक्किम	आईजीएनओएपीएस	16418	00	16418	100.00
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	1614	00	1614	100.00
		आईएनडीपीएस	817	00	817	100.00
13.	त्रिपुरा	आईजीएनओएपीएस	141510	135305	6205	4.38
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	17927	17541	386	2.15
		आईएनडीपीएस	2144	2130	14	0.65

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	उपयोजना का नाम	केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमा	उन लाभार्थियों की संख्या जिनके डाटा का डिजिटलीकरण किया गया था	डिजिटलीकरण में अंतर	डिजिटलीकरण में प्रतिशतता अंतर
		(ए)	(बी)	(सी)	(बी-सी)	
14.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	आईएनडीपीएस	5924	590	5334	90.04
		आईजीएनडब्ल्यूपीएस	1504	3	1501	99.80
		आईएनडीपीएस	301	1	300	99.67
		एनएफबीएस	86	0	86	100.00
15.	चंडीगढ़	आईएनओएस	5111	2378	2733	53.47
		आईएनडीपीएस	204	100	104	50.98
		एनएफबीएस	80	0	80	100.00
16.	नई दिल्ली	आईएनओएस	119403	114064	5339	4.47
		एनएफबीएस	2270	0	2270	100.00
		<b>कुल</b>	<b>4947656</b>	<b>4185562</b>	<b>762094</b>	

वित्त मंत्रालय ने ओएम I-11011/103/2013-डीबीटी दिनांक 12 दिसंबर 2014 के माध्यम से देश भर में आईजीएनओएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस हेतु डीबीटी के संचालन का विस्तार किया। आगे, वित्त मंत्रालय ने समान संख्या के ओएम दिनांक 19 दिसंबर 2014 के माध्यम से बताया कि डाटाबेस के डिजिटलीकरण को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के उद्देश्य हेतु पूरा किया जाना था। पात्र लाभार्थियों का गैर-डिजिटलीकरण दोहराव की संभावना से भरा है/अपात्र लाभार्थियों को भुगतान का पता नहीं लगाया जा सकता।

## 5.9 पीएफएमएस के साथ एकीकरण

अधिप्रमाणन लॉग्स को शामिल करते हुए फेस-1 लेखापरीक्षा के डाटा विश्लेषण ने इंगित किया कि कुछ मामलों में, पीएफएमएस में एनएसएपी लाभार्थी के नाम बैंक खाता धारक के नाम से मेल नहीं खाए जिन्हें एनएसएपी लाभ अंतरित किए गए थे। लाभार्थियों के 4,713 मामलों में, आईजीएनओएस, आईजीएनडीपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं एनएफबीएस के तहत बैंक खातों में भुगतान किए गए (पीएफएमएस अधिप्रमाणन लॉग के अनुसार) जो एनएसएपी लाभार्थी नामों से मेल नहीं खाए।

जैसा कि पैरा 5.8 में उल्लेख किया गया है, दिसंबर 2014 में एनएसएपी के तहत पेंशन योजनाओं के लिए जीटीबी का संचालन किया गया था। आगे, व्यय विभाग ने अपने का.जा.सं. 48(06)/पीएफ.॥/2016 दिनांक 26 अप्रैल 2017 में अनिवार्य किया कि सभी विभागों (केन्द्र

एवं राज्य दोनों) को संबंधित योजना कोडों के साथ डीबीटी लेन-देन जिनको पीएफएमएस पर पारित किया जाना था, की पहल करनी चाहिए। यह आवश्यक है ताकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, योजनाओं का कार्यान्वयन करने संबंधित विभाग के साथ इसके माध्यम से किए गए डीबीटी लेन-देन हेतु अपने दावे का निपटान करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- 20 राज्यों/यूटी में योजना को पीएफएमएस के साथ एकीकृत/आंशिक रूप से एकीकृत किया गया।
- 12 राज्यों/यूटी<sup>8</sup> में योजना को पीएफएमएस के साथ एकीकृत नहीं किया गया।

पीएफएमएस के साथ एकीकरण के अभाव में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य विफल हुआ है एवं लाभार्थियों को दोहरे/एकाधिक भुगतान की संभावनायें थी। पीएफएमएस के साथ एकीकरण मंत्रालय एवं संबंधित राज्यों द्वारा निधियों की स्थिति को सही समय पर निगरानी रखने में सहायक सिद्ध है तथा निधियों के सही अनुमान को सुगम बनाता है जो योजनाओं के विवेकपूर्ण योजना बनाने में आवश्यक है। आगे, बैंक खाता संख्या का गैर-सत्यापन जो पीएफएमएस पर उपलब्ध है, के कारण गलत बैंक खाता संख्या में पेंशन के क्रेडिट होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि सभी राज्यों/यूटी ने (विधायिका रहित यूटी के अलावा) वित्तीय वर्ष 2021-22/2022-23 से लाभार्थियों को निधियों के आगे संवितरण हेतु पीएफएमएस में उसकी मैपिंग सहित राजकोष से योजना एसएनए को अंतरित करने के लिए एसएनए मॉडल को अपनाया।*

मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तंत्र में तेजी ला सकता है और लाभार्थियों के डेटाबेस का अद्यतनीकरण भी सुनिश्चित कर सकता है।

## 5.10 आधार एकीकरण

एनएसएपी पेंशन के वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक/आईटी सक्षम सेवा पर जोर देता है। एनएसएपी दिशा-निर्देश पेंशन संवितरण हेतु आधार आधारित प्लेटफॉर्म की परिकल्पना करते हैं। यह प्लेटफॉर्म पेंशन की संस्वीकृति, भुगतान एवं संवितरण प्रक्रिया में दक्षता को और आगे बढ़ाता है। कई राज्य/यूटी लाभार्थियों के आधार नामांकन में उच्च चरण पर पहुंच चुके हैं, यह तथ्य

<sup>8</sup> कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं पुदुचेरी।

स्वीकार करते हुए कि यह रिसाव एवं दोहराव को कम करने में मदद करता है। यह पेंशनरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के मामले में गतिशीलता भी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म वित्तीय समावेशन का भी समर्थन करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, कुल एनएसएपी लाभार्थियों के डाटा का 32 प्रतिशत अभी भी आधार से भरा जाना बाकी है। पांच राज्यों/यूटी (आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, चण्डीगढ़ एवं लक्षद्वीप) ने आधार के साथ लाभार्थी डाटा का 100 प्रतिशत एकीकरण प्राप्त कर लिया था, जबकि हरियाणा एवं पंजाब ने आधार के साथ लाभार्थियों का 99 प्रतिशत एकीकृत किया। नागालैंड में, आधार लाभार्थी डाटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया। बिहार में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एनएसएपी लाभार्थियों का आधार एकीकरण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप लाभार्थियों को पेंशन के वितरण में आधार आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया। 15 राज्यों में आधार एकीकरण की स्थिति (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान) **अनुलग्नक 5.2** में दी गई है।

आधार एकीकरण की अनुपस्थिति में लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिससे एक ही लाभार्थी को कई पेंशन भुगतानों के जोखिम से भरा हुआ था। आधार के साथ गैर-एकीकरण डीबीटी के कार्यान्वयन में भी रुकावट डालता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लाभों में कोई रिसाव तब तक न हो, जब तक यह अभिप्रेत लाभार्थी तक न पहुंचे। आगे, आधार के गैर-एकीकरण के मामलों में, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवास करने वाले ऐसे लाभार्थियों की पेंशन के भुगतान को सुगम नहीं बनाया जा सकता है।

उसी समय में, यूआईडीएआई अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभों और सेवाओं को प्रदान करने हेतु उसके आधार का उपयोग करने के लिए व्यक्ति की सहमति अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 राज्यों/यूटी<sup>9</sup> में उसके /उसकी आधार का उपयोग करने हेतु व्यक्ति लाभार्थी की सहमति यूआईडीएआई राजपत्र अधिसूचना सं. 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (2017 की सं.6) दिनांक 19 दिसम्बर 2017 के उल्लंघन में, प्राप्त नहीं की जा रही थी।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि 73 प्रतिशत लाभार्थियों के संबंध में आधार एकीकरण पूरे किए गए हैं तथा राज्यों/यूटी का आधार संख्या के साथ लाभार्थी डाटा के पूर्ण सीडिंग को प्राप्त करने हेतु अनुसरण किया जा रहा है।*

<sup>9</sup> गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, एनआई एवं लद्दाख।

इस प्रकार, डिजिटलीकरण में अंतर तथा लाभार्थियों के डाटा के पूर्ण रूप से पीएफएमएस एवं आधार का साथ गैर-एकीकरण एनएसएपी में डीबीटी के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। यह मंत्रालय द्वारा निधियों के कम निर्गम का कारण भी बना है जिसका परिणाम लाभार्थियों के कम कवरेज में हुआ। इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थियों का गैर-डिजिटलीकरण दोहराव की संभावना से भरा है। अपात्र लाभार्थियों को भुगतान का पता नहीं लगाया जा सकता।

## अध्याय-6: कार्यक्रम कार्यान्वयन

एनएसएपी को राज्यों एवं यूटी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में कार्यान्वित किया गया है, इसलिए लाभार्थियों के पहचान ने, सत्यापन करने, जोड़ने, हटाने का दायित्व साथ ही पेंशन एवं अन्य लाभों का समयोजित वितरण संबंधित राज्य/यूटी के पास है। कार्यान्वयन के संबंध में, लाभार्थियों की पात्रता आयु, आय स्तर, विकलांगता की स्थिति सहित सत्यापन करने हेतु तंत्र, फर्जी लाभार्थियों को छानने हेतु तंत्र, ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की भूमिका, पेंशन की संस्वीकृति की समयोचितता एवं लाभार्थियों को पेंशन के संवितरण में अनियमितताओं की जांच की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में पाए गए कार्यान्वयन से संबंधित विचलन की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

### 6.1 पेंशन संस्वीकृति करने की प्रक्रिया में विसंगतियां

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य उपयुक्त स्तर-नगर पालिका/ब्लॉक स्तर पर “संस्वीकृति प्राधिकारी” नामित करें। ग्राम सभा/वार्ड समिति/क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित आवेदनों की प्राप्ति के बाद संस्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को एक संस्वीकृति आदेश के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका को एक प्रति सहित अनुमोदन देता है। आवेदन प्रक्रिया का समय प्राप्ति से संस्वीकृति या अस्वीकृति तक साठ दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे पेंशन आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक आवेदन की अस्वीकृति के 15 दिनों के अंदर दावा कर सकता है।

#### 6.1.1 आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता एवं पारदर्शिता

लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मुख्य कार्यों में से एक है। पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत लाभों को प्राप्त करने हेतु अनुसरण की जाने वाली सहायता एवं प्रक्रिया के स्तर के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसलिए, राज्य प्राधिकारियों का आईईसी गतिविधियों के माध्यम से प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने का उत्तरदायित्व था जिसके लिए प्रशासनिक खर्चों की निर्धारित निधियां थीं।

आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति हेतु आधारों का ग्राम पंचायत/नगर पालिका को एक प्रति सहित लाभार्थियों को अभिलेखित एवं सूचित किया जाना अपेक्षित था। आवेदक जिसका आवेदन अस्वीकृत किया गया, अपील प्रार्थिका को प्रथम दावा कर सकता है तथा

यदि संतुष्ट नहीं तो समीक्षा प्राधिकारी को दूसरा दावा कर सकता है। दोनों अपीली एवं समीक्षा प्राधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाना चाहिए एवं उनकी भूमिका को ऐसे ढंग से प्रचारित किया जाना चाहिए जिससे लाभार्थी, जन प्रतिनिधि, सीएसओ जागरूक हो सके।

कई राज्यों/यूटी ने योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किया तथा आईईसी गतिविधियां पर व्यय नगण्य था जैसा कि अध्याय-4 में चर्चा में की गई है। कुछ राज्यों/यूटी ने पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया के मामले में आवश्यक कदम नहीं उठाए जैसाकि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

- ❖ 10 राज्यों/यूटी<sup>10</sup> में, आवेदन की अस्वीकृति हेतु कोई भी कारण आवेदकों को सूचित नहीं किया गया।
- ❖ 12 राज्यों/यूटी<sup>11</sup> में, अपीली एवं समीक्षा प्राधिकारियों के नाम एवं भूमिका प्रचारित नहीं की गई।
- ❖ पांच राज्यों/यूटी<sup>12</sup> में, पात्र व्यक्ति योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक नहीं थे।

इसलिए, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी ने एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित पारदर्शिता एवं जवाबदेही को कम आंका।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्यक्तियों संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।*

### 6.1.2 लाभार्थियों की पहचान में देरी

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को नए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मुख्य भूमिका दी जानी चाहिए। निर्वाचित प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों को एनएसएपी के मानदंडों एवं प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उपलब्ध बीपीएल सूची

<sup>10</sup> बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख।

<sup>11</sup> अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं लक्षद्वीप।

<sup>12</sup> गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड एवं दिल्ली।

के आधार पर, लाभार्थियों की पहचान सक्रिय रूप से उनके घरों में जाकर करनी चाहिए। तथापि, यदि एक पात्र व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में नहीं होता है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

28 राज्यों/यूटी<sup>13</sup> में लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने हेतु कार्य नहीं किया गया था।

लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान न होने के कारण अधिकांश राज्य/यूटी इस स्थिति में नहीं थे कि एनएसएपी के लक्षित लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर ढंग से पहुंचा सके। इसीलिए, योजना मांग-चालित ढंग से कार्यान्वित की जा रही है जहां केवल लाभार्थी जो योजना के बारे में जागरूक हैं वही इसके तहत लाभों के लिए आवेदन करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।

### 6.1.3 पेंशन की संस्वीकृति में देरी

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से संस्वीकृति/अस्वीकृति तक की प्रक्रिया हेतु समय 60 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। 16 राज्यों/यूटी के चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच में प्रकट हुआ कि 34454 लाभार्थियों को 164 दिनों से लेकर 11 वर्ष तक की देरी से एनएसएपी के तहत पेंशन की संस्वीकृति में देरी हुई जैसा कि तालिका 6.1 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.1: मामलों के अवरोही क्रम में पेंशन की संस्वीकृति में देरी का राज्य/यूटी-वार विवरण

राज्य/यूटी	मामलों की संख्या जिसमें पेंशन 60 दिन की समाप्ति के बाद संस्वीकृति की गई	पेंशन संस्वीकृति हेतु 60 दिन की समाप्ति के बाद अधिकतम देरी
1. दिल्ली	13760	3.42 वर्ष
2. जम्मू और कश्मीर	2664	11 वर्ष

<sup>13</sup> आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, एनआई, चण्डीगढ़, दिल्ली, लद्दाख एवं पुदुचेरी।



राज्य/यूटी	मामलों की संख्या जिसमें पेंशन 60 दिन की समाप्ति के बाद संस्वीकृति की गई	पेंशन संस्वीकृति हेतु 60 दिन की समाप्ति के बाद अधिकतम देरी
3. असम	4253	6.89 वर्ष
4. केरल	4127	2.55 वर्ष
5. तेलंगाना	116	291 दिन
6. तमिलनाडु	2613	39 महीने
7. लद्दाख	2415	2 वर्ष
8. ओडिशा	2297	2.07 वर्ष
9. हिमाचल प्रदेश	1640	3.21 वर्ष
10. पंजाब	172	3.13 वर्ष
11. मध्य प्रदेश	168	3.23 वर्ष
12. झारखण्ड	89	2.36 वर्ष
13. हरियाणा	70	340 दिन
14. महाराष्ट्र	59	21 महीने
15. कर्नाटक	8	244 दिन
16. राजस्थान	3	164 दिन
<b>कुल</b>	<b>34454</b>	

पात्र लाभार्थियों के लिए पेंशन की संस्वीकृति में देरी ने समय पर ढंग से पेंशन का लाभ उठाने से पात्र लाभार्थियों को वंचित किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेजी गई हैं।

मणिपुर में, विवरण जैसे कि पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि, अनुमोदन/अस्वीकृति की तिथि एवं पेंशन परिवार लाभ की वास्तविक प्राप्ति की तिथि पोर्टल में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध को छोड़कर किसी भी एमआईएस रिपोर्ट में दर्ज नहीं थे, इसलिए पेंशन संस्वीकृति में देरी की गणना नहीं की जा सकी।

#### 6.1.4 पेंशन की प्रभावी तिथि से पेंशन का संवितरण नहीं

पेंशन प्रभावी तिथि वह तिथि है जिससे पेंशन का भुगतान पेंशन संस्वीकृति आदेश के अनुसार किया जाना है। लाभार्थियों के लिए पेंशन का समयोचित संवितरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समाज के सबसे अरक्षित वर्ग की दैनिक जरूरतें पूरी हो।

11 राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों का डाटा विश्लेषण/जांच में प्रकट हुआ कि पेंशन प्रभावी तिथि से पेंशन के गैर-संवितरण के कारण ₹ 61.71 करोड़ की राशि का 92602 लाभार्थियों को पेंशन का कम भुगतान हुआ जैसा कि तालिका 6.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.2 मामलों की संख्या का अवरोही क्रम में पेंशन प्रभावी तिथि से चयनित जिलों में पेंशन का संवितरण न होने का राज्य/यूटी-वार विवरण

राज्य/यूटी	मामलों की संख्या जिसमें पेंशन प्रभावी तिथि से संवितरित नहीं की गई	कम भुगतान की राशि (₹ लाख में)
1. छत्तीसगढ़	61913	3917
2. गुजरात	13769	1329
3. केरल	5410	364.55
4. असम	4253	170
5. तेलंगाना	3836	14.43
6. लद्दाख	2415	371
7. मेघालय	740	3.81
8. महाराष्ट्र	125	0.45
9. हरियाणा	70	0.21
10. मध्य प्रदेश	68	0.71
11. राजस्थान	3	0.02
<b>कुल</b>	<b>92602</b>	<b>6171.18</b>

- मणिपुर में, एमआईएस में संबंधित सूचना की गैर-उपलब्धता के कारण पेंशन की संस्वीकृति की प्रभावी तिथि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पेंशन प्रभावी तिथि से पेंशन के गैर-संवितरण ने लाभार्थियों को हकदार सहायता से वंचित रखा जैसा कि एनएसएपी में परिकल्पना की गई है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।*

## 6.2 मासिक आधार पर पेंशन का गैर- भुगतान

एनएसएपी के मुख्य सिद्धान्तों में से एक पेंशन का नियमित मासिक संवितरण है। एनएसएपी दिशा-निर्देश राज्यों/यूटी को अतिरिक्त राशि कम से कम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के समान प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हैं ताकि लाभार्थी एक उचित स्तर की सहायता को प्राप्त कर सकें।

फेस-1 में डाटा विश्लेषण से इंगित हुआ कि एनएसएपी के लाभार्थियों को नियमित भुगतान में “लुप्त महीने”/ अंतर थे। पेंशन संवितरण की आवधिकता देश भर के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग थी।

मासिक पेंशन का केवल 11<sup>14</sup> राज्यों/यूटी में भुगतान किया गया था। चार<sup>15</sup> राज्यों में तिमाही आधार पर पेंशन का भुगतान किया गया तथा दो<sup>16</sup> राज्यों में पेंशन का भुगतान वार्षिक रूप से किया गया। 17<sup>17</sup> राज्यों/ यूटी में पेंशन का भुगतान तदर्थ आधार पर किया गया।

इसलिए, केवल 11 राज्यों/यूटी मासिक पेंशन संवितरण कर रहे थे जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है। मासिक आधार पर पेंशन के गैर-भुगतान से संबंधित अन्य अभ्युक्तियों का विवरण तालिका 6.3 में दिया गया है:

<sup>14</sup> अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना।

<sup>15</sup> हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम।

<sup>16</sup> अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड

<sup>17</sup> असम, गोवा, मणिपुर, बिहार, लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय।

## तालिका 6.3 मासिक आधार पर पेंशन का गैर-भुगतान

राज्य/यूटी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1. बिहार	137965 लाभार्थियों को जून 2020 से मार्च 2021 (10 महीने) तक के लिए एकमुश्त भुगतान किए गए, महीने की गणना में त्रुटि के कारण उपरोक्त लाभार्थियों को ₹ 2.46 करोड़ तक की कम पेंशन प्राप्त हुई।
2. दिल्ली	पेंशन संवितरण में देरी हुई तथा इस तरह की देरी के मामले में बकाया का भुगतान किया गया था। कुछ मामलों में आईजीएनओएपीएस के तहत 44 महीने, आईजीएनडीपीएस के तहत 42 महीने एवं आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत 20 महीने की अधिकतम देरी पाई गई।
3. गुजरात	मार्च 2021 तक दो से 10 महीने तक के बीच की अवधि हेतु पेंशन का अनियमित भुगतान था जिससे 170 लाभार्थियों को ₹ 3.74 लाख की राशि की पेंशन का गैर-भुगतान हुआ।
4. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2019 माह हेतु 328 लाभार्थियों को संस्वीकृति ₹ 3.28 लाख की पेंशन का संवितरण निश्चित संख्यात्मक लक्ष्य के कारण लेखा परीक्षा की तिथि (मई 2022) तक नहीं किया जा सका क्योंकि नई पेंशन के मामले केवल निस्तारित मामलों के सापेक्ष में संस्वीकृत किए गए थे।
5. लद्दाख	3755 लाभार्थियों को एक समय में दो से आठ महीने की पेंशन के लिए एकमुश्त में ₹ 115.66 लाख का संवितरण किया गया था।
6. लक्षद्वीप	पेंशन के 2 महीने से लेकर 42 महीने तक की देरी से संवितरण किए गए।
7. कर्नाटक	60 दिनों से लेकर 244 दिनों तक की देरी पाई गई। 2,25,741 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान ई-एमओ के माध्यम से राजकोष द्वारा उनके खाते में पेंशन जारी होने के बाद दो से पांच महीने तक की देरी से किया गया।
8. राजस्थान	आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं आईजीएनडीपीएस के तहत मासिक पेंशन का भुगतान 1 दिन से 485 दिनों की देरी से किए गए।
9. सिक्किम	राजकोष से चेक लेने के बाद दो से लेकर 37 दिनों तक की बैंक खाते में निधियां क्रेडिट होने में देरी हुई तथा बैंक की ओर से लाभार्थियों के खाते में पेंशन क्रेडिट होने में 2 दिन से लेकर 164 दिनों की देरी हुई।

मासिक आधार पर पेंशन के समयोचित संवितरण से अभिप्रेत लाभार्थियों की कठिनाइयां कम करने के लिए आवश्यक था। लाभार्थी जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए मासिक आधार पर पेंशन का गैर-संवितरण इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है।

- **मध्य प्रदेश** में, 8972 मामलों में ₹ 2.22 करोड़ की पेंशन का संवितरण नहीं किया गया तथा कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- **हिमाचल प्रदेश** में, पेंशन लाभार्थियों को तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में संवितरित की गई (प्रत्येक तिमाही के प्रत्येक प्रारम्भिक महीने की 10वीं तक), तथापि देरी 2 दिनों से 536 दिनों के बीच थी।
- **केरल** में, पेंशन का भुगतान सितम्बर 2020 से मासिक आधार पर किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि 27 राज्य/यूटी मासिक आधार पर पेंशन का संवितरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य तिमाही आधार पर अग्रिम में संवितरण करते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश वर्ष में एक बार पेंशन का भुगतान करते हैं।

तथापि, 2017-21 हेतु संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केवल 11 राज्य मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान कर रहे थे तथा 17 राज्य तदर्थ आधार पर पेंशन का भुगतान कर रहे थे जैसाकि उपरोक्त चर्चा की गई है।

### 6.3 पात्रता मानदंड पर आधारित पेंशन भुगतान में अनियमितताएं

एनएसएपी की उप-योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड एवं केन्द्रीय सहायता निम्नवत है:

उप-योजना	पात्रता मानदंड	केन्द्रीय सहायता
आईजीएनओएपीएस	गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), 60 वर्ष एवं ऊपर	₹ 200 प्रति माह (60-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्ष एवं ऊपर)
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	बीपीएल, विधवा एवं 40 वर्ष और ऊपर	₹ 300 प्रति माह (40-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्ष एवं ऊपर)
आईजीएनडीपीएस	बीपीएल, 18 वर्ष एवं ऊपर विकलांगता 80 प्रतिशत एवं ऊपर	₹ 300 प्रति माह (18-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्ष एवं ऊपर)
एनएफबीएस	बीपीएल, 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु में रोजी रोटी कमाने वाले की मृत्यु	₹ 20000 एकमुश्त लाभ

फेस-1 लेखापरीक्षा में डाटा विश्लेषण में इंगित हुआ कि आईजीएनओएपीएस के 61,933 लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के नीचे थे, आईजीएनडब्ल्यूपीएस के 56,758 लाभार्थी 40 वर्ष की आयु के नीचे थे तथा आईजीएनडीपीएस के 5,869 लाभार्थी 18 वर्ष की आयु के नीचे थे।

वर्तमान क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान अपात्र व्यक्तियों को किए गए भुगतान के मामलों में पाया गया जिसकी चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है

### 6.3.1 आईजीएनओएपीएस के तहत ₹ 30.47 करोड़ का अपात्र भुगतान

पात्रता मानदंड के अनुसार आयु हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या स्कूल प्रमाण-पत्र पर विश्वास किया जा सकता है। इनके अभाव में राशन कार्ड एवं चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो किसी भी सरकारी अस्पताल के कोई भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

14 राज्यों में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच से प्रकट हुआ कि 57,394 अपात्र व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु के वर्ष नीचे थे, को ₹ 30.47 करोड़ की राशि के आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन के भुगतान किया गया जैसाकि तालिका 6.4 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.4: चयनित जिलों के लिए आईजीएनओएपीएस के तहत अपात्र लाभार्थियों का राज्य/यूटी-वार विवरण

राज्य	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (₹ लाख में)
1. छत्तीसगढ़	29856	1894
2. आंध्र प्रदेश	16724	212
3. असम	8776	518
4. तमिलनाडु	793	153
5. बिहार	614	106.32
6. अरुणाचल प्रदेश	482	76.96
7. हिमाचल प्रदेश	67	78.27
8. त्रिपुरा	27	0.68
9. ओडिशा	19	2.49
10. मणिपुर	12	0.29
11. गुजरात	9	0.60
12. उत्तराखण्ड	6	3.06
13. मिजोरम	5	0.39
14. उत्तर प्रदेश	4	0.67
<b>कुल</b>	<b>57394</b>	<b>3046.73</b>

नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

झारखण्ड एवं महाराष्ट्र में क्रमशः 2,402 एवं 8 अपात्र लाभार्थी थे लेकिन इन लाभार्थियों को संवितरित की गई राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

अपात्र लाभार्थियों के पेंशन भुगतान ने इस तथ्य के अलावा पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया में इन खामियों को दर्शाया कि इस राशि का उपयोग अधिक पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया जा सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।

### 6.3.2 आईजीएनडब्ल्यूपीएस-आयु मानदंड के अधीन ₹26.45 करोड़ का अपात्र भुगतान

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत आयु मानदंड के अनुसार विधवा लाभार्थी 40 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 17 राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच में, 38,540 अपात्र व्यक्तियों जो 40 वर्ष की आयु से नीचे थे जिन्हें आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत पेंशन का भुगतान किया गया जैसाकि तालिका 6.5 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.5: चयनित जिलों के लिए आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत अपात्र लाभार्थियों का राज्य/यूटी-वार विवरण

राज्य/यूटी	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (₹ लाख में)
1. आन्ध्र प्रदेश	21706	946
2. तेलंगाना	8133	964
3. छत्तीसगढ़	4548	458
4. असम	2699	180
5. उत्तराखण्ड	1010	36.36
6. अरुणाचल प्रदेश	163	17.52
7. तमिलनाडु	91	10.87
8. बिहार	71	14.15
9. महाराष्ट्र	34	1.79

राज्य/यूटी	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (₹ लाख में)
10. पंजाब	23	2.62
11. लद्दाख	22	2.64
12. सिक्किम	18	2.33
13. ओडिशा	9	2.07
14. हिमाचल प्रदेश	7	6.11
15. गुजरात	3	0.45
16. मध्य प्रदेश	2	0.34
17. मणिपुर	1	0.1
<b>कुल</b>	<b>38540</b>	<b>2645.35</b>

नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

झारखण्ड एवं मिजोरम में क्रमशः 150 एवं 21 अपात्र लाभार्थी थे, तथापि इन लाभार्थियों को संवितरित राशि निर्धारित नहीं की जा सकी।

₹ 26.45 करोड़ की राशि की पेंशन के अनियमित भुगतान ने पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया में खामियों को उजागर किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि कुछ राज्यों में पात्रता मानदंड में भिन्नता है एवं अपात्र भुगतानों के मामलों में ऐसे मामले हो सकते हैं जिसके लिए पेंशन देयताएं संबंधित राज्यों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से वहन की जाती है। आगे, अभ्युत्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेजी गई हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा की राय है कि मंत्रालय को केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं की लाभार्थियों के परस्परव्याप्ति का पता लगाने के लिए तंत्र स्थापित करने चाहिए ताकि ऐसे मामलों के अस्तित्व न हो।

### 6.3.3 आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत गैर-विधवाओं को ₹ 0.57 करोड़ का अपात्र भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देश प्रावधान करते हैं कि विधवाओं के मामले में प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राज्य एक राजस्व प्राधिकारी नामित करें। राज्य यह भी सुनिश्चित करें कि विवाहित पुरुषों हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जीवित



पत्नी (विधवा) का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र में उनकी प्रात्रता प्रदान करने एवं आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत उनके दावों को आसान बनाने के लिए उल्लिखित किया गया है।

छ: राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों का डाटा विश्लेषण/जांच से प्रकट हुआ कि 414 मामले थे जहां ओरतें विधवा नहीं थीं या यहां तक कि पुरुष परिवार सदस्यों को ₹ 57.40 लाख की राशि की पेंशन आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत भुगतान की गई जैसा कि तालिका 6.6 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 6.6: चयनित जिलों के लिए आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत अपात्र लाभार्थियों का राज्य/यूटी-वार विवरण**

(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि
1. बिहार	346	45.97
2. तेलंगाना	29	0.61
3. लद्दाख	22	2.64
4. झारखण्ड	11	7.72
5. तमिलनाडु	4	0.34
6. मिजोरम	2	0.12
<b>कुल</b>	<b>414</b>	<b>57.40</b>

नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में औरतों को पेंशन का भुगतान जो विधवा नहीं थीं या परिवार के पुरुष सदस्यों को पेंशन के भुगतान ने पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया में खामियों को इंगित किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेजी गई हैं।

### 6.3.4 आईजीएनडीपीएस-आयु मानदंड के तहत ₹4.36 करोड़ का अपात्र भुगतान

आईजीएनडीपीएस के तहत आयु मानदंड के अनुसार लाभार्थी 18 वर्ष की आयु से ऊपर होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन का संवितरण 18 वर्ष की आयु से नीचे अपात्र व्यक्तियों को किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

12 राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच से प्रकट हुआ कि 5,380 अपात्र व्यक्तियों जिनकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई थी, को ₹ 4.36 करोड़ की राशि की विकलांगता पेंशन का भुगतान किया गया जैसा कि तालिका 6.7 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 6.7 चयनित जिलों के लिए अपात्र लाभार्थियों का राज्य/यूटी-वार विवरण**  
(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	18 वर्ष से नीचे की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने पेंशन का दावा किया है।	संवितरित राशि
1. आंध्र प्रदेश	2151	74.00
2. छत्तीसगढ़	1251	197.00
3. असम	684	44.69
4. तेलंगाना	521	46.79
5. तमिलनाडु	510	28.72
6. अरुणाचल प्रदेश	179	29.08
7. बिहार	40	5.93
8. लद्दाख	17	3.78
9. गुजरात	16	3.28
10. ओडिशा	9	1.61
11. हिमाचल प्रदेश	1	1.30
12. मध्य प्रदेश	1	0.19
<b>कुल</b>	<b>5380</b>	<b>436.37</b>

नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

अपात्र लाभार्थियों को ₹ 4.36 करोड़ की राशि के पेंशन के अनियमित भुगतान ने पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया में खामियों को उजागर किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि कुछ राज्य थे जो एनएसएपी मानदंड के अलावा पात्रता मानदंड हेतु विकलांगता पेंशन का संवितरण करते हैं। मंत्रालय ऐसे पेंशनभोगियों के लिए अनुदान प्रदान नहीं करता है। आगे, अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया था कि कम आयु के लाभार्थियों को भुगतान किए गए थे जो एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपात्र हैं। मंत्रालय को केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के लाभार्थियों की अतिव्यापी का पता लगाने के लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकताएं हैं ताकि ऐसे मामलों से बचा जा सके।

### 6.3.5 आईजीएनडीपीएस-विकलांगता मानदंड के तहत ₹15.11 करोड़ का अपात्र भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशनर के लिए पात्र आयु 18 वर्ष तथा उससे ऊपर है तथा विकलांगता स्तर 80 प्रतिशत होना चाहिए। आगे, राज्य को सुविधाजनक स्थानों पर शिविरों का आयोजना करना चाहिए जिसमें विकलांग व्यक्तियों के मामले में लाभार्थी की पहचान करने के लिए संभावित लाभार्थियों को वाहन द्वारा निःशुल्क ले जाया जाना है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अपात्र व्यक्ति जिनका विकलांगता स्तर 80 प्रतिशत से कम था या निर्धारित नहीं किया जा सका, का आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन का संवितरण किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 16 राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच से प्रकट हुआ कि 21,322 व्यक्तियों की विकलांगता पेंशन का भुगतान उन मामलों में किया गया था जहां यो तो विकलांगता की प्रतिशतता 80 प्रतिशत से कम थी या विकलांगता प्रतिशतता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विवरण तालिका 6.8 में दिया गया है।

#### तालिका 6.8 चयनित जिलों के लिए अपात्र लाभार्थियों का राज्य/यूटी-वार विवरण

(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	12571	581.00
2. तेलंगाना	6098	558.00
3. छत्तीसगढ़	928	115.00
4. हरियाणा	721	69.72
5. तमिलनाडु	477	81.56
6. पंजाब	198	25.16
7. उत्तराखण्ड	14	2.02

राज्य/यूटी	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि
8. ओडिशा	101	16.52
9. मेघालय	58	9.18
10. मध्य प्रदेश	40	7.01
11. असम	39	10.77
12. अरुणाचल प्रदेश	35	16.73
13. जम्मू और कश्मीर	19	11.52
14. नागालैंड	16	2.52
15. हिमाचल प्रदेश	4	4.22
16. मिजोरम	3	0.39
<b>कुल</b>	<b>21322</b>	<b>1511.32</b>


नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

- गुजरात एवं महाराष्ट्र में, क्रमशः 2,027 एवं 553 अपात्र लाभार्थी थे, तथापि इन लाभार्थियों को संवितरित की गई राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसका परिणाम अपात्र लाभार्थियों को ₹ 15.11 करोड़ की राशि की पेंशन के अनियमित भुगतान में हुआ। विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने हेतु शिविरों के अभाव में, आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन के लिए दावा कर रहे अपात्र व्यक्तियों की छंटनी नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि कुछ राज्य जो एनएसएपी मानदंड के अलावा अन्य पात्रता मानदंड के लिए विकलांगता पेंशन का संवितरण करते हैं। मंत्रालय ऐसे पेंशनभोगी के लिए अनुदान प्रदान नहीं करता है। आगे, अभ्युत्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया कि अपात्र आईजीएनडीपीएस लाभार्थियों को अनियमित भुगतान किया गया। मंत्रालय को केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के लाभार्थियों की अतिव्यापी का पता लगाने की आवश्यकता है। प्रणाली में ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने एवं उनके लिए निधिकरण को अलग से पता लगाने के अभाव में, लेखापरीक्षा मंत्रालय के तर्क की पुष्टि नहीं कर सकी।



चित्र-6.1 आईजीएडीपीएस के तहत 80 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले व्यक्ति को पेंशन की स्वीकृति

## 6.4 ₹ 0.63 करोड़ की पेंशन का अधिक भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 80 वर्ष की आयु के नीचे के लाभार्थियों को आईजीएनओपीएस के तहत ₹ 200 तथा आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं आईजीएनडीपीएस के तहत ₹ 300 की केन्द्रीय सहायता दी जानी थी। सभी तीन उप-योजनाओं हेतु पेंशन के लिए केन्द्रीय सहायता 80 वर्ष की आयु के ऊपर के लाभार्थियों के लिए ₹ 500 प्रति माह थी।

सात राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण/जांच से प्रकट हुआ कि 2,151 लाभार्थी उनकी पात्रता से अधिक पेंशन ले रहे थे, जिसका परिणाम कुल ₹ 0.63 करोड़ की पेंशन का अधिक भुगतान में हुआ जैसा कि विवरण तालिका 6.9 में दिया गया है।

तालिका 6.9 पेंशन का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	अभ्युक्ति	लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान
1. त्रिपुरा	60-79 वर्ष की आयु वर्ग के 1604 आईजीएनओपीएस लाभार्थी ₹200 प्रति माह की स्वीकार्य राशि के सापेक्ष में ₹ 500 प्रति माह की दर पर पेंशन ले रहे थे।	1604	52.78
2. मणिपुर	80 वर्ष की आयु से नीचे के 89 आईजीएनओपीएस लाभार्थी ₹ 500 प्रति माह की दर पर पेंशन ले रहे थे।	89	6.94

राज्य/यूटी	अभ्युक्ति	लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान
3. मिजोरम	या तो 60 वर्ष के नीचे या 80 वर्ष के ऊपर के 23 व्यक्तियों को क्रमशः सामान्य दर एवं बढ़ी हुई दर पर पेंशन का भुगतान किया गया।	23	2.18
4. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल एवं मई 2017 की अवधि हेतु 272 आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं 133 आईजीएनडीपीएस लाभार्थियों को ₹1000 प्रति माह के बजाए (60-79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ₹700/- के राज्य हिस्से सहित) ₹1100 प्रति माह की पेंशन का भुगतान किया गया।	405	0.81
5. अरुणाचल प्रदेश	80 वर्ष की आयु से नीचे के 17 आईजीएनओएपीएस लाभार्थी ₹500 प्रति माह की दर पर पेंशन ले रहे थे।	17	0.42
6. बिहार	80 वर्ष की आयु से नीचे के 10 आईजीएनओएपीएस लाभार्थी ₹500 प्रति माह की दर पर पेंशन ले रहे थे।	10	0.12
7. छत्तीसगढ़	80 वर्ष की आयु से नीचे के तीन लाभार्थी बढ़ी हुई दर पर पेंशन ले रहे थे।	3	0.11
<b>कुल</b>		<b>2151</b>	<b>63.36</b>

इस प्रकार, 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को उच्चतर दर पर पेंशन के भुगतान के कारण, सात राज्यों/यूटी में ₹63.36 लाख की पेंशन का अधिक भुगतान हुआ। नियंत्रण तंत्र की कमी के कारण ऐसे मामलों से बचा नहीं सकता।

### 6.5 ₹ 42.85 करोड़ की पेंशन का कम भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस एवं आईजीएनडीपीएस पेंशनर को ₹500 प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर पेंशन की केन्द्रीय सहायता दी जानी है।

15 राज्यों/यूटी में चयनित जिलों में अभिलेखों के डाटा विश्लेषण जांच से प्रकट हुआ कि 2,43,286 लाभार्थियों को उप-योजनाओं के तहत ₹42.85 करोड़ की राशि के कम भुगतान के मामले पाए गए जैसा कि तालिका 6.10 में विवरण दिया गया है तथा आगे चर्चा की गई है:

तालिका 6.10 चयनित जिलों के लिए पेंशन के कम भुगतान का राज्य/यूटी-वार विवरण  
(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	लाभार्थियों की सं.	कम भुगतान की राशि
1 त्रिपुरा	13836	451.41
2 नागालैंड	2137	76.91
3 अरुणाचल प्रदेश	841	21.83
4 छत्तीसगढ़	521	68.39
5 ओडिशा	213	21.11
6 गुजरात	202	1.80
7 पंजाब	120	15.91
8 गोवा	112	0.45
9 मणिपुर	96	13.40
10 महाराष्ट्र	21	0.94
11 एएनआई	11	3.33
12 सिक्किम	4	0.15
13 हिमाचल प्रदेश	2	0.18
<b>कुल</b>	<b>18116</b>	<b>675.81</b>

नोट: (अपात्र लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

- \* 80 वर्ष तथा अधिक के लाभार्थियों को ₹ 1000 प्रति माह की बढ़ी हुई पेंशन अदा की गई थी, हालांकि राज्य को केन्द्रीय सहायता, जो ₹ 500 प्रति माह के स्थान पर ₹ 200 प्रति माह थी, को पूरा करने के अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करना था।

- **बिहार** में, 80 वर्ष की आयु के ऊपर के 185640 पेंशनरों ने ₹ 500 प्रति माह के बजाय ₹ 400 की दर पर पेंशन प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप जून 2020 से मार्च 2021 के दौरान ₹ 12.47 करोड़ की पेंशन राशि कम हो गई। जून 2020 से पहले की अवधि हेतु कम भुगतान संबंधित डाटा की गैर-उपलब्धता के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- **उत्तर प्रदेश** में, राज्य से केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद, विभाग ने 80 वर्ष से ऊपर के 35,834 लाभार्थियों को ₹ 500 प्रति माह की दर पर केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जिससे आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत ₹ 21.40 करोड़ का कम भुगतान हुआ। आगे, 80 वर्ष एवं ऊपर की आयु प्राप्त कर रहे 3696 आईजीएनडीपीएस लाभार्थियों को ₹ 2.22 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी प्रदान नहीं की गई।

इस प्रकार, संस्वीकृत प्राधिकारियों की ओर से यथोचित परिश्रम एवं लाभार्थी जो पात्र थे, के लिए लंबित वृद्धि पर अलर्ट उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली की कमी के कारण, अति वरिष्ठ नागरिक जो आबादी के अत्यंत अरक्षित वर्ग से संबंधित थे, अपने अधिकारपूर्ण पेंशन राशि से वंचित रहे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि डीबीटी हेतु एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग कर रहे राज्यों के लिए एक प्रणालीगत जांच का ऐसा स्थान हो जो आईजीएनओएपीएस के तहत 80 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर पेंशन में स्वतः वृद्धि हो जाए। आगे, अभ्युक्तियां संबंधित राज्य/यूटी को भेज दी गई है।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केवल कुछ राज्यों में ही एनएसएपी की सभी उप-योजनाओं हेतु एनएसएपी-पीपीएस शामिल है।

### 6.6 ₹ 3.55 करोड़ की राशि के एक से अधिक पेंशन का भुगतान

एनएसपी की फेस-1 लेखापरीक्षा के डाटा विश्लेषण से इंगित हुआ कि एक से अधिक पेंशन का दावा कर रहे लाभार्थी थे। एकल लाभार्थी को एकल उप-योजना के तहत या तो भुगतान के विभिन्न तरीकों के माध्यम से या विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से एकाधिक भुगतान किए जा सकते हैं।

चालू लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 14 राज्यों/यूटी में 2,243 लाभार्थियों को ₹ 3.55 करोड़ की पेंशन राशि के एकाधिक भुगतान या तो उसी उप-योजना के तहत या भिन्न उप-योजनाओं के तहत किए गए जैसा कि तालिका 6.11 में विवरण दिया गया है:

तालिका 6.11 चयनित जिलों के लिए एक से अधिक पेंशन का भुगतान  
(लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि
1. उत्तर प्रदेश	1275	76.50
2. अरुणाचल प्रदेश	263	36.26
3. मेघालय	179	27.31
4. महाराष्ट्र	123	0.28
5. दिल्ली	113	172



राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि
6. बिहार	102	8.19
7. मणिपुर	68	3.52
8. त्रिपुरा	60	1.10
9. असम	15	2.95
10. हिमाचल प्रदेश	13	19.23
11. छत्तीसगढ़	11	0.99
12. पश्चिम बंगाल	10	2.92
13. झारखण्ड	8	2.67
14. रास्थान	3	1
<b>कुल</b>	<b>2243</b>	<b>354.92</b>

नोट: (लाभार्थियों के अवरोही क्रम में)

पंजाब, मिजोरम, सिक्किम एवं मिजोरम से, 10549 लाभार्थियों ने एक से अधिक योजना से पेंशन प्राप्त की लेकिन इन लाभार्थियों को संवतिरित की गई राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

आईटी सक्षम सेवाओं की परिकल्पना एक ही लाभार्थी को एक से अधिक पेंशन भुगतान से बचने के लिए की गई थी। इस संबंध में राज्य/यूटी द्वारा किए गए प्रयास की जांच लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। आईटी समर्थित सेवाओं का उपयोग वही लाभार्थियों को एकाधिक पेंशन भुगतानों को रोकने के लिए नहीं किया गया। क्या आईटी सक्षम सेवाओं के माध्यम से नियंत्रण तंत्र विकसित किए गए थे जिसे पेंशन भुगतानों के दोहराव से बचा जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022), में बताया कि अभ्यक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।

## 6.7 लाभार्थियों की मृत्यु के बाद ₹ दो करोड़ का पेंशन भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशनर की पेंशन मृत्यु/प्रवास/बीपीएल पार करने या किसी अन्य कारण से बंद की जा सकती है तथा तदनुसार पेंशन भुगतान को रोका जाना चाहिए। आगे, ग्राम पंचायतें /नगर पालिकाएं नामित संस्वीकृति प्राधिकारी को पेंशनर की मृत्यु के

प्रत्येक मामले को सूचित करेंगी। मृत्यु की सूचना न देने से पेंशन जारी रहती है, यहां तक कि लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी पेंशन का अनियमित भुगतान जारी रहता है।

लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना समयोचित ढंग में 23 राज्यों/यूटी अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा नहीं दी जा रही थी।

26 राज्यों/यूटी में दो करोड़ की राशि की पेंशन का भुगतान 2,103 लाभार्थियों के मामले में एनएसएपी लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी किया गया जैसा कि तालिका 6.12 में विवरण दिया गया है:

तालिका 6.12 चयनित जिलों में मृत लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान

(₹ लाख में)

राज्य/यूटी	मामलों की संख्या जहां एनएसएपी लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भुगतान किया गया	कुल अधिक भुगतान
1. पश्चिम बंगाल	453	83.27
2. गुजरात	413	11.83
3. त्रिपुरा	250	1.83
4. छत्तीसगढ़	223	6.06
5. सिक्किम	141	19.60
6. असम	114	7.20
7. हिमाचल प्रदेश	99	27.71
8. ओडिशा	56	1.00
9. मेघालय	52	5.85
10. बिहार	39	3.37
11. दिल्ली	12	7.05
12. उत्तराखण्ड	29	4.32
13. तेलंगाना	27	2.65
14. मध्य प्रदेश	27	0.67

राज्य/यूटी	मामलों की संख्या जहां एनएसएपी लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भुगतान किया गया	कुल अधिक भुगतान
15. पंजाब	26	0.70
16. गोवा	20	0.51
17. राजस्थान	20	0.89
18. हरियाणा	18	0.27
19. अरुणाचल प्रदेश	16	7.33
20. केरल	17	1.91
21. महाराष्ट्र	17	0.64
22. एनआई	14	0.67
23. झारखण्ड	11	3.08
24. पुदुचेरी	6	1.06
25. मिजोरम	2	0.03
26. मणिपुर	1	0.02
<b>कुल</b>	<b>2103</b>	<b>199.52</b>

लाभार्थियों सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 8461 लाभार्थियों में से 290 लाभार्थियों के मामले में, पेंशन भुगतान लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी जारी रहा। इससे इंगित हुआ कि मृत्यु की सूचना देना तथा पेंशन को रोकने का कार्य नहीं किया जा रहा था जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित था।

ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को समयोचित ढंग में एनएसएपी लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना न देने का परिणाम पेंशन के अनियमित भुगतान में हुआ। लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान की निरंतरता को रोकने के लिए जीवन प्रमाण-पत्र आदि के प्रस्तुतीकरण जैसे उपायों को करने की आवश्यकता है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्यक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।*

## 6.8 नकद में पेंशन का भुगतान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुशल एवं नियमित अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते/डाक घर खाते या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से भुगतान को प्राथमिकता दी

जाती है। लाभार्थियों को नकद सहायता के भुगतान को अपनाया जाना चाहिए, केवल यदि उपायों का अनुसरण करने के बाद, अन्य तरीके काम करने योग्य नहीं है जैसा कि इस संबंध में एनएसएपी दिशा-निर्देशों में निर्धारित है। तथापि, छः राज्यों में नकद में पेंशन का संवितरण पाया गया जैसा कि तालिका 6.13 में विवरण दिया गया है:

**तालिका 6.13: नकद में पेंशन का संवितरण**

राज्य	अभ्युक्ति
1. ओडिशा	पेंशन के सभी संवितरण नकद के माध्यम से किए गए तथा इन्हें भौतिक वेतन पंजी पर अभिलेखित किया गया। सभी पेंशनरों ने वेतन पंजी पर अपने अंगूठे के निशान को अभिलेखित करते हुए पेंशन प्राप्त की लेकिन अंगूठे का निशान किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे।
2. आन्ध्र प्रदेश	पेंशन लाभार्थियों को दरवाजे पर संवितरित की गई। पेंशन प्रत्येक महीने के पहले दिन संवितरित की गई थीं। आधार प्रमाणीकरण के रूप में भरपाई पावती नकद भुगतान के समय बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से किया गया है।
3. नागालैंड	कई जिलों में नकद भुगतान के दृष्टांत थे। भुगतान की तारीखें स्थानीय अखबार में प्रकाशित की गई थी, फिर भी, पेंशन सार्वजनिक बैठकों में संवितरित नहीं की गई थी। लाभार्थी विनिर्दिष्ट तारीखों पर भुगतान के स्थान पर नहीं पहुंचने की स्थिति में राज्य ने पालन करने के लिए कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। प्राप्ति का टोकन वेतन पंजी पर लिया गया था लेकिन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नकद में भुगतान करने के दौरान नहीं किया गया था।
4. अरुणाचल प्रदेश	₹10.00 लाख की राशि का संवितरण एनएफबीएस के तहत नकद में 50 लाभार्थियों को किया गया था।
5. मिजोरम	चार प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच नकद भुगतान के दृष्टांत थे।
6. झारखण्ड	एक प्रतिशत से दो प्रतिशत के बीच नकद भुगतान के दृष्टांत थे।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पेंशन का संवितरण 8,461 लाभार्थियों में से 814 लाभार्थियों को नकद में किया गया था।

Sl. No.	Name of the Beneficiary	Village	AC No.	Amount	Sign of Beneficiary	Amount	Sign of Beneficiary	Amount	Sign of Beneficiary
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**चित्र 6.2: ओडिशा में नकद भुगतान हेतु वेतन पंजी**

नकद में पेंशन के वितरण से पता चलता है कि यह योजना पूरी तरह से डीबीटी के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, नकद में पेंशन का संवितरण अनभिप्रेत व्यक्तियों को लाभों को अंतरित करने में निहित जोखिम से भरा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि ओडिशा ने हाल ही में 100 प्रतिशत डीबीटी हेतु एनएसएपी पीपीएस को शामिल किया है, आन्ध्र प्रदेश में पेंशन का भुगतान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी को दरवाजे पर किया जा रहा है। आगे अभ्युक्तियां संबंधित राज्य/यूटी को जारी की गई हैं।

## 6.9 आधार सूचना में विविधता

एनएसएपी ने पेंशन संवितरण हेतु आधार आधारित प्लेटफॉर्म निर्धारित किया ताकि अपात्र लाभार्थियों एवं दोहराव से बचा जा सके। राज्य/यूटी के अभिलेखों और आधार कार्ड में निहित सूचना की अनुरूपता की आवश्यकता था ताकि मामलों के दोहरे भुगतान से बच सकें।

नौ राज्यों/यूटी में 64,484 मामले जहां आधार तथा राज्यों/यूटी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के अनुसार सूचना में भिन्नता, राज्य डाटाबेस में आधार संख्याओं का एक बार से अधिक उपयोग तथा अमान्य आधार संख्या थी, के मामले पाए गए थे जैसा तालिका 6.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.14 आधार सूचना में भिन्नता

राज्य	मामलों की संख्या	अभ्युक्तियां
1. बिहार	62867	राज्य डाटाबेस में आधार संख्या का एक से अधिक बार उपयोग किया गया।
2. उत्तराखण्ड	1261	आधार संख्या को एरर डिटेक्शन एलोरियम के माध्यम से अमान्य पाया गया
3. पंजाब	120	आधार के अनुसार एनएसएपी डाटाबेस के अनुसार लाभार्थियों की जन्म तिथि में अंतर
4. राजस्थान	101	आवेदन के अनुसार तथा आधार के अनुसार आयु में अंतर
5. असम	47	आधार के अनुसार तथा एनएसएपी डाटाबेस के अनुसार जन्म तिथि में भिन्नता
6. छत्तीसगढ़	36	आधार के अनुसार तथा ऑनलाईन डाटा के अनुसार लाभार्थियों के नाम में भिन्नता

राज्य	मामलों की संख्या	अभ्युक्तियां
7. त्रिपुरा	25	लाभार्थियों के नाम उनके पिता/पति के नाम में भिन्नता
8. पुदुचेरी	22	आधार के अनुसार तथा एनएसएपी डाटाबेस के अनुसार जन्म तिथि में भिन्नता
9. तमिलनाडु	5	आधार के अनुसार तथा राज्य डाटा के आधार संख्या में भिन्नता
<b>कुल</b>	<b>64484</b>	

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 8,461 लाभार्थियों में से 347 की जन्मतिथि लाभार्थियों के अभिलेखों अर्थात् आधार कार्ड निर्वाचन फोटो पहचान कार्ड आदि के समरूप नहीं पाई गई थी।

आगे, 13<sup>18</sup> राज्यों में, राज्य के पेंशन पोर्टल आधार सत्यापन हेतु यूआईडीआई डाटाबेस से नहीं जुड़े थे। इन राज्यों में पेंशन पोर्टल के साथ यूआईडीआई डाटाबेस को न जोड़ने से सुनिश्चित करने कि केवल पात्र अभिप्रेत लाभार्थियों द्वारा पेंशन का लाभ उठाया जा रहा है, के लिए दोहराव को हटाने, क्रॉस-चैकिंग तंत्र में रूकावट आई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी की भेज दी गई है।

## 6.10 योजनाओं का गैर-अभिसरण

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एनएसएपी के साथ स्वास्थ्य, आजीविका, आवास आदि के संबंध में विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों जैसे कि आरएसबीवाई या राज्य स्तर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं के लाभ, आम आदमी बीमा योजना, आईएवाई/पीएमएवाईजी एनआरएलएम/एनयूएलएम, खाद्य सुरक्षा के लाभ, आजीविका कौशल कार्यक्रम का अभिसरण करना आवश्यक था। यह परिकल्पना की गई थी कि सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं पर एसएचजी नेटवर्क डाटा को एकत्र किया जाना चाहिए एवं अभिसरण किया जाना चाहिए तथा एनएसएपी को अभिसरण कार्य का समन्वय करना था।

<sup>18</sup> अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।

छः<sup>19</sup> राज्यों के अलावा, किसी भी अन्य राज्य/यूटी में विभिन्न गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों का कोई भी अभिसरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, राज्यों/यूटी ने अन्य कल्याण योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एनएसएपी लाभार्थियों के डाटाबेस को भेजने के लिए उचित प्रयास नहीं किए एवं एनएसएपी साइलोस में कार्यान्वित किया गया और इसलिए लाभार्थी अन्य कल्याण योजनाओं से वंचित रहे।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।*

---

<sup>19</sup> छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान, सिक्किम एवं तमिलनाडु।

## अध्याय-7: निगरानी एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सभी राज्यों व यूटी एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और समाज के अरक्षित वर्ग के जीवन से जुड़ने का उद्देश्य रखता है। इसलिए कार्यान्वयन की निगरानी एवं पाठ्यक्रम-सुधार हेतु मूल्यांकन काफी महत्वपूर्ण है। एनएसएपी दिशा-निर्देशों में इससे संबंधित एनएसएपी की निगरानी एवं मूल्यांकन की संवीक्षा से निम्नवत अभ्युक्तियां प्राप्त हुईं:

### 7.1 केन्द्रीय स्तर पर निगरानी

#### 7.1.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति द्वारा निगरानी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति (एनएसएएसी) की परिकल्पना एनएसएपी की निगरानी एवं मूल्यांकन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने एवं नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने के लिए की गई थी। एनएसएएसी को एनएसएपी के सम्पूर्ण ढांचे के अंदर दिशा-निर्देशों में राज्य विशिष्ट विविधताओं को स्पष्ट करने का भी अधिकार दिया गया था। समिति को शामिल करना था:

- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित प्रतिनिधियों को,
- सिविल सोसायटी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थानों से पांच प्रतिनिधियों को,
- देश के सभी क्षेत्रों को पूर्णतः चक्रानुक्रम में शामिल करते हुए राज्य सरकारों से पांच सचिवों को।

एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने यह भी परिकल्पना की कि एनएसएएसी की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार संचालित की जाएं। तथापि, 2017-21 के दौरान केवल तीन एनएसएएसी बैठकें आयोजित की गई थी जैसा कि तालिका 7.1 में विवरण दिया गया है:



तालिका 7.1: 2017-21 के दौरान एनएसएएसी बैठकों में चर्चा

पहली बैठक (जुलाई 2018)	दूसरी बैठक (नवम्बर 2018)	तीसरी बैठक (अगस्त 2019)
<p>1. पेंशन दर को ऊपर की ओर संशोधित करने की आवश्यकता थी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।</p> <p>2. सुमित बोस समिति की सिफारिशों का एनएसएपी हेतु अनुसरण किया जाना चाहिए।</p> <p>3. एनएसएपी एमआईएस प्रयोक्ता-अनुकूलता के संदर्भ में बहुत ही पीछे है तथा पीएमएवाई-जी एवं एमजीएनआरईजीएस के एमआईएस से सीखने की आवश्यकता है।</p>	<p>1. पेंशन राशि ₹ 2000 प्रति माह तक न्यूनतम संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी।</p> <p>2. विभिन्न राज्यों में संवितरित की जा रही पेंशन में एकरूपता लाना।</p> <p>3. पेंशन कार्ड सुवाह्यता को प्राथमिकता पर हल किया जाए।</p>	<p>1. वृद्धावस्था पेंशन राशि को संशोधित की जाने की आवश्यकता थी तथा पेंशन राशि एवं पात्रता मानदंड में एकरूपता लाने के लिए कीमत सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए।</p> <p>2. वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान में बीपीएल डाटा के बजाय एसीईसीसी डाटा को अपनाना तथा राशि ₹ 2000 प्रति माह की न्यूनतम राशि तक संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। विधवा पेंशन योजना के तहत सहायता की दर पर पुनः विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।</p> <p>3. कुछ मामलों में, समावेशन त्रुटि के 10 प्रतिशत तक की सूचना दी गई थी क्योंकि उन लाभार्थियों की संख्या जो सम्पूर्ण अवधि में नहीं थी लेकिन उनकी सूची में लगातर बनी हुई थी।</p> <p>4. प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।</p>

इस प्रकार, जैसा अभिप्रेत एनएसएएसी ने एक वर्ष में दो बार बैठक नहीं की एवं अगस्त 2019 में अपनी बैठक के बाद, मार्च 2021 तक 19 महीनों के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की। आगे, एनएसएएसी बैठक के सुझाव जैसा कि उपरोक्त तालिकाबद्ध है, को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पालन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि सिफारिशें मिहिर शाह, सुमित बोस समिति के कार्य बल में निहित थीं तथा एनएसएपी के व्यापक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन को सरकार द्वारा 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-2026) हेतु एनएसएपी के विस्तार पर विचार करते समय स्वीकार किया गया। तथापि, मंत्रिमंडल ने अपने चालू फॉर्म में एनएसएपी योजना को अनुमोदित किया तथा 2021-2026 की अवधि हेतु एनएसएपी योजनाओं के लिए किसी भी संशोधन की सिफारिश

नहीं की। इस प्रकार, कार्य बल की सिफारिशों की अध्यक्षता मिहिर शाह, सुमित बोस समिति द्वारा की गई एवं एनएसएपी के व्यापक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अब सरकार के विचाराधीन नहीं थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि एनएसएपी बैठक कोविड-19 के कारण 2019 के बाद आयोजित नहीं की जा सकी।

### 7.1.2 राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षकों द्वारा निगरानी

राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षकों (तृतीय पक्ष अनुवीक्षक को) मंत्रालय द्वारा क्षेत्र का दौरा करने एवं विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किए गए थे। एनएलएम विभिन्न राज्यों को सौंपे गए तथा क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रश्नावली प्रदान की गई। एनएलएम द्वारा समीक्षाएं एनएसएपी के तहत योजनाओं की भी निगरानी करेंगी एवं राज्य नोडल विभाग सक्रिय रूप से एनएलएम की सहायता करेंगे तथा उनके दौरों को सुगम बनाएंगे। एनएलएम की रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई हेतु साझा की जानी थीं।

एनएलएम ने 2017-18 में 574 जिलों, 2018-19 में 563 जिलों, 2019-20 में 578 जिलों तथा 2020-21 में 233 जिलों को शामिल करते हुए एनएसएपी की सभी योजनाओं की निगरानी छः चरणों में की। 2017-18 के चरण I एवं II निगरानी के दौरान, एनएलएम ने सूचित किया कि अधिक पात्र व्यक्ति थे जो चार से पांच प्रतिशत गांवों में आईजीएनडीपीएस एवं आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत शामिल नहीं थे। पेंशन की आवधिकता बिहार, केरल, मणिपुर, एवं पंजाब में नियमित थी। मिजोरम में, पेंशन अर्ध वार्षिक आधार पर वितरित की जा रही थी। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, वैसी ही अनियमितताएं एनएलएम द्वारा भी सूचित की गई थी।

2017-18 से 2019-20 के लिए एनएलएम द्वारा सूचित अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई नहीं थी। इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 2021-22 के लिए एनएलएम रिपोर्ट राज्यों/यूटी को कार्रवाई की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ साझा की गई थी। तथापि, 2017-18 से 2020-21 के लिए एनएलएम रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई के विवरण को मंत्रालय के उत्तर में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, एनएलएम रिपोर्टों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि एनएलएम रिपोर्ट राज्यों/यूटी को डी.ओ पत्र दिनांक 05 मई 2022 के संदर्भ में पायी गयी अनियमितताओं पर सुधारात्मक उपाय करने हेतु भेजी गई थी; मामले पर अगस्त एवं अक्टूबर 2022 में जारी अनुस्मारकों के माध्यम से अनुवर्तन किया जा रहा है।

## 7.2 राज्य स्तर पर निगरानी

### 7.2.1 राज्य स्तरीय समितियों का गैर-गठन

राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की अध्यक्षता मुख्य सचिव या मुख्य सचिव द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव द्वारा की जानी थी तथा जिसमें शामिल हैं

(ए) संबंधित विभागों के सचिव जैसे कि वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर पालिका मामले, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, आदि।

(बी) बैंक/डाक घर के दो प्रतिनिधि

(सी) चार अध्यक्ष, जिला परिषद एवं नगरपालिकाओं के दो-दो

(डी) चक्रानुक्रम में तीन जिलों से कलेक्टरों एवं

(ई) चार स्वतंत्र विशेषज्ञ एवं एनजीओ के प्रतिनिधि।

यह समिति इससे संबंधित कार्यक्रमों एवं मामलों के कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी थी। राज्य समितियों को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी थी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समिति बनायी जानी थी।

#### (i) राज्य स्तरीय समिति

राज्य स्तरीय समिति अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा के सिवाय गठित नहीं की गई थी जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है। राज्य स्तरीय समिति की कार्य पद्धति के संबंध में कमियों पर चर्चा तालिका 7.2 में की गई है:

## तालिका 7.2: एसएलसी पर राज्य-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1. अरुणाचल प्रदेश	समिति ने कोई भी बैठक आयोजित नहीं की।
2. केरल	समिति केवल मार्च 2021 में गठित की गई थी तथा उसके बाद एक बार भी बैठक नहीं हुई।
3. मिजोरम	समिति 16 नवम्बर 2018 को अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव के साथ बनाई गई थी। तथापि, राज्य स्तर समिति द्वारा आयोजित बैठक के अभिलेख लेखापरीक्षा में नहीं पाए गए।
4. नागालैंड	एक राज्य स्तर चयन बोर्ड गठित किया गया (फरवरी 2011) जिसमें राज्य स्तर समिति के गठन हेतु निर्धारित मानदंड नहीं मिलता है।
5. त्रिपुरा	समिति बनाई गई (दिसम्बर 2018) थी, तथापि, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अभिलेख में नहीं पाए गए।

30 राज्यों/यूटी में एसएलसी की गैर-मौजूदगी एवं पांच राज्यों में एएलसी की कार्यपद्धति में कमियों के कारण, एसएलसी द्वारा अपेक्षित निगरानी अप्राप्त रही।

**(ii) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति**

एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सिवाय अधिकांश राज्यों/यूटी में गठित नहीं की गई थी। यद्यपि ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में समितियां गठित थी फिर भी, उनकी बैठकों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

34 राज्यों/यूटी में राज्य स्तर सतर्कता एवं निगरानी समिति की गैर-मौजूदगी के कारण, सतर्कता पहलू पर अपेक्षित निरीक्षण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसकी पुष्टी कार्यान्वयन पहलू पर लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं द्वारा की गई।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई हैं।*

**7.2.2 राज्य नोडल विभाग के माध्यम से निगरानी की पर्याप्तता**

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार को एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के तहत आवधिक समीक्षा एवं भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न कार्यान्वयन विभागों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल विभाग को चिन्हित किया जाना था। मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर/क्यूपीआर) राज्य नोडल विभाग (एसएनडी)

द्वारा एक नियमित ढंग से जिला एवं क्षेत्र कार्यालयों से रिपोर्टें प्राप्त करने के बाद प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत की जानी थीं।

- 18<sup>20</sup> राज्यों/यूटी में, संबंधित राज्य/यूटी की एसएनडी ने एनएसएपी की योजनाओं की आवधिक समीक्षा नहीं की। आवधिक समीक्षा के संचालन की सूचना मध्य प्रदेश एवं एनआई के एसएनडी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- तीन राज्यों/यूटी (गोवा, केरल एवं लद्दाख) के एसएनडी द्वारा मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थीं। हरियाणा में, सितम्बर 2020 से भारत सरकार को एमआरपी/क्यूपीआर प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। एसएनडी को अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में जिला एवं क्षेत्र कार्यालयों से एमआरपी/क्यूपीआर प्राप्त नहीं हुआ। त्रिपुरा में एसएनडी ने मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। मिजोरम एवं राजस्थान में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

राज्य नोडल विभागों द्वारा एनएसएपी के कार्यान्वयन के संबंध में निरीक्षण का अभाव था क्योंकि कार्यान्वयन की कोई भी आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी और इसलिए आधार स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों को सुधारने के लिए अवसर का समुचित उपयोग नहीं किया गया था।

### 7.3 जिला स्तरीय समिति द्वारा निगरानी

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अध्यक्ष जिला परिषद/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन किया जाना था, शामिल करते हुए

(ए) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी

(बी) 25 ग्राम/मध्यवर्ती पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के बीच में से चार प्रतिनिधि तथा

<sup>20</sup> अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी।

(सी) इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के चार स्वतंत्र विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि

जिले के अंदर एवं इससे संबंधित मामलों के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु डीएलसी उत्तरादयी थे। वे अपनी रिपोर्ट मासिक आधार पर एसएनडी को प्रस्तुत करेंगे।

जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित, डीएलसी का गठन आठ<sup>21</sup> राज्यों/यूटी में किया गया था। इन आठ राज्यों में डीएलसी के कार्यकरण में कमियों का विवरण तालिका 7.3 में दिया गया है:

**तालिका 7.3: डीएलसी के कार्यकरण में कमियां**

राज्य	अभ्युक्ति
1. छत्तीसगढ़	डीएलसी ने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की
2. केरल	केरल सरकार मार्च 2021 में जिला स्तर समिति के गठन को अनुमोदित किया। समितियों के गठन के बाद से यहां तक कि एक बार भी बैठक नहीं हुई।
3. मणिपुर	न तो डीएलसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की न ही एसएनडी ने रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु डीएलसी को अनुस्मारक दिए।
4. मिजोरम	डीएलसी के कामकाज के बारे में कोई भी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया।
5. नागालैंड	डीएलसी के गठन में ग्राम/मध्यवर्ती पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से प्रतिनिधियों की कमी थी तथा एनजीओ एवं डीएलसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
6. ओडिशा	डीएलसी कुछ जिलों में गठित नहीं की गई थी।
7. तेलंगाना	चयनित जिलों में, डीएलसी द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट एसएनडी को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
8. उत्तर प्रदेश	डीएलसी बैठकें संचालित करने एवं डीएलसी में एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए अभिलेखों में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। न तो कोई डीएलसी बैठकें संपन्न हुई थीं और न ही मासिक रिपोर्ट तैयार की गई एवं एसएनडी को प्रस्तुत की गई थीं।

अधिकांश राज्यों/यूटी में डीएलसी के अभाव के कारण, एसएनडी को अपेक्षित सूचित करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा जिलों में एनएसएपी के कार्यान्वयन में सुधार हेतु कठिनाइयों

<sup>21</sup> छत्तीसगढ़, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश।

के साथ-साथ क्षेत्र का आकलन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु नीचे-से-ऊपर के दृष्टिकोण की कमी थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।

#### 7.4 सामाजिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन

एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं एनएसएपी में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य सहित सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की परिकल्पना की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, प्रक्रिया जांच सूची, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रारूप और 2019 में उन पर की गई कार्रवाई, यानी 2014 में नवीनतम एनएसएपी दिशानिर्देश जारी होने के पांच साल बाद एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए।

राज्य नोडल विभाग को आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की निगरानी करनी थी और एनएसएपी-एमआईएस में ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएसएपी-एमआईएस पर 13 राज्यों की प्रायोगिक सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध थी। इसके अलावा, इन 13 राज्यों में से केवल पांच<sup>22</sup> राज्यों के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध थी।



चित्र 7.1: मिजोरम में सामाजिक लेखापरीक्षा

<sup>22</sup> गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड एवं राजस्थान

एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने अनुबंध किया कि सामाजिक लेखापरीक्षा *ग्राम पंचायत/ वार्ड समिति* द्वारा प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार संचालित की जानी थी। प्रशासनिक खर्चों हेतु जारी निधियों का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु किया जाना था। आगे, सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु निधियां सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु विशेष रूप से कुल राज्य आवंटन (तीन प्रतिशत प्रशासनिक खर्चों का 1/6<sup>वां</sup>) के 0.5 प्रतिशत की दर पर संस्वीकृत की गई थीं। यह देखा गया कि राज्यों/यूटी ने अपने यूसी में मंत्रालय को सूचित किया था कि तीन प्रतिशत प्रशासनिक खर्च का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय सहित मानदंडों के अनुसार किया गया था। प्रशासनिक खर्चों के भाग के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रति ₹ 172.24 करोड़ के कुल प्राक्कलित आवंटन नियमानुसार उपयोग किया गया दर्शाया गया था इस तथ्य के बावजूद कि 70 प्रतिशत से अधिक राज्यों/यूटी में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25<sup>23</sup> राज्यों/यूटी में सामाजिक लेखापरीक्षा बिल्कुल नहीं की गई थी। 10 राज्यों/यूटी में संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा के संबंध में अभ्युक्तियां एवं सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर निष्क्रियता की चर्चा तालिका 7.4 में की गई है:

**तालिका 7.4: सामाजिक लेखापरीक्षा में राज्य-वार कमियां**

राज्य	अभ्युक्तियां
1. आन्ध्र प्रदेश	सामाजिक लेखापरीक्षा एमजीनरेगा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के रूप में की गई थी न कि अर्ध-वार्षिक आधार पर संचालित की गई थी। यह शहरी क्षेत्रों में संचालित नहीं की गई थी।
2. असम	2017-18 से 2019-20 के दौरान कोई भी सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी। 2020-21 के दौरान 2198 जीपी में से 542 जीपी में सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।
3. हिमाचल प्रदेश	सामाजिक लेखापरीक्षा कांगड़ा जिले में 2018-19 में केवल एक बार संचालित की गई थी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष डीडब्ल्यूओ को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा समिति द्वारा भी नहीं भेजी गई थी।
4. कर्नाटक	सामाजिक लेखापरीक्षा 6024 जीपी में से 3,152 जीपी को शामिल करते हुए केवल 2019-20 में संचालित की गई थी। सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उपयोग किए जाने वाले अर्जित ₹ 1043.18 लाख (0.5 प्रतिशत या प्रशासनिक व्यय का 1/6 <sup>वां</sup> ) में से ₹ 237.12 लाख सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन पर उपयोग किया गया था,

<sup>23</sup> अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, एएनआई, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी।



राज्य	अभ्युक्तियां
	फिर भी सम्पूर्ण निधि दर्शाई गई थी जैसा कि यूसी में प्रशासनिक व्यय के प्रति खर्च किया गया था।
5. मिजोरम	सामाजिक लेखापरीक्षा सभी जीपी में प्रत्येक छः महीने में एक बार भी संचालित नहीं की जा सकी।
6. मेघालय	केवल तीन सामाजिक लेखापरीक्षा 2017-21 में संचालित की गई थी। सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के सिवाय तैयार नहीं की गई थी।
7. नागालैंड	प्रत्येक जिले में दो ब्लॉकों को शामिल करते हुए मोकोकचुंग एवं फेक जिलों में एक पायलट चरण सामाजिक लेखापरीक्षा (27 मई-3 जून 2019) संचालित की गई थी, फिर भी, सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा केवल एक बार संचालित की गई थी तथा ₹ 38.22 लाख में से ₹ 0.78 लाख की राशि सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संस्वीकृत निधि से खर्च की गई, तथापि ₹ 38.22 लाख की राशि दर्शाई गई थी जैसा कि यूसी में उपयोग किया गया था।
8. ओडिशा	2017-21 की अवधि के दौरान सैंपल लिए गए 8 जिलों में से 5 जिलों में केवल सात सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थीं।
9. त्रिपुरा	दो चयनित जिलों में केवल छः सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थीं।
10. पश्चिम बंगाल	2017-21 के दौरान 7756 सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित हुई, तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

राज्यों<sup>24</sup> द्वारा की गई कुछ सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि रिपोर्ट में लेखापरीक्षा निष्कर्षों (मृत लाभार्थियों, अपात्र लाभार्थियों, आदि को किया गया आवंटन) के समान निष्कर्ष थे। तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

इस प्रकार, एनएसएपी के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में परिकल्पित सामाजिक लेखापरीक्षा, अधिकांश राज्यों/यूटी में आयोजित नहीं की गई थी। कुछ राज्यों में जहां सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था, यह या तो समय-समय पर नहीं किया गया था, या निष्कर्षों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एनएसएपी में सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के उद्देश्य को पराजित किया जा सकता है।

<sup>24</sup> पश्चिम बंगाल का तालडांगरा ब्लॉक, हिरबंध ब्लॉक एवं इंदपुर ब्लॉक

जबकि मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में कहा कि एनएसएपी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान 28 राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था, लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

## 7.5 एनएसएपी-एमआईएस का अनुचित/गैर-अनुरक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है ताकि पेंशन की संस्वीकृति एवं संवितरण दोनों स्तरों पर एनएसएपी को कार्यान्वित करने में दक्षता को बढ़ाया जा सके। मंत्रालय ने एनएसएपी-एमआईएस को सभी राज्यों एवं यूटी के लिए योजना के कार्यान्वयन में इसे अपनाने के लिए विकसित किया। राज्यों एवं यूटी जिन्होंने अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उन्हें ब्रिज-सॉफ्टवेयर के माध्यम से एमएसएपी-एमआईएस पर अपनी सूचना/डाटा की पोर्टिंग को सुनिश्चित करना होगा। यह अनिवार्य है कि राज्य जिनके अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर है, को एमओआरडी के एनएसएपी-एमआईएस पर डाटा की पोर्टिंग को सुनिश्चित/सक्षम करना चाहिए। 11 राज्यों/यूटी में स्वयं के एमआईएस या राज्यों द्वारा विकसित ऑफलाइन प्रणाली में कमियों पर चर्चा तालिका 7.6 में नीचे की गई है:

**तालिका 7.6: एमआईएस में कमियों का राज्य/यूटी-वार विवरण**

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1. बिहार	राज्य ने अपना स्वयं के सॉफ्टवेयर (ई-लाभार्थी) का अनुरक्षण किया लेकिन एनएसएपी से संबंधित डाटा ई-लाभार्थी से एनएसएपी-एमआईएस में पोर्ट नहीं किया जा रहा था। एमआईएस के मॉड्यूल अपूर्ण रहे तथा सभी पेंशन योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों को निधियों के प्रवाह की प्रभावशीलता एवं निधियों के संवितरण को सुधारने के लिए व्यापक एमआईएस को विकसित एवं कार्यान्वित करने की स्थिति में विभाग नहीं था।
2. हरियाणा	डाटा एनएसएपी-एमआईएस को सर्वर से सर्वर के माध्यम से और न कि ब्रिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोर्ट किया गया था। बैक-एंड प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टिंग की पुष्टि की जानी चाहिए।
3. हिमाचल प्रदेश	ई-कल्याण सॉफ्टवेयर से डाटा एनएसएपी-एमआईएस में पोर्ट नहीं किया गया था।
4. जम्मू एवं कश्मीर	नियमित डाटा को एनएसएपी-एमआईएस पोर्टल के साथ साझा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। नए भुगतानों के लिए आवेदन का पंजीकरण, सत्यापन एवं संस्वीकृति हेतु ऑफलाइन माध्यम था।

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
5. केरल	राज्य पोर्टल से एनएसएपी-एमआईएस पोर्टल तक डाटा की पोर्टिंग एवं ब्रिजिंग को पूरा नहीं किया जा सका तथा राज्य पोर्टल वास्तविक समय में लाभार्थियों को बाहर करने/ शामिल करने के लिए अक्षम था।
6. लद्दाख	एनएसएपी-एमआईएस पोर्टल के साथ नियमित डाटा को साझा करने हेतु कोई भी तंत्र मौजूद नहीं था। नए भुगतानों के लिए आवेदन का पंजीकरण, सत्यापन एवं संस्वीकृति हेतु ऑफलाइन माध्यम था।
7. मध्य प्रदेश	एनएसएपी-एमआईएस को डाटा की पोर्टिंग से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
8. ओडिशा	एनएसएपी के आवेदन की प्राप्ति, प्रक्रिया एवं संस्वीकृति हेतु विभाग की वेबसाइट में एक लिंक मौजूद था। तथापि, पूर्ण आवेदन विवरण एवं स्थिति ब्रिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनएसएपी-एमआईएस में पोर्ट किए गए थे।
9. पंजाब	आंशिक सूचना एवं डाटा ब्रिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनएसएपी-एमआईएस पर पोर्ट की गई थी।
10. उत्तरप्रदेश	राज्य पोर्टल ने पेंशन की प्रभावी तिथि नहीं दर्शाई।
11. पश्चिम बंगाल	सॉफ्टवेयर सभी उप-योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पेंशन सत्यापन तिथि, पेंशन प्रभावी तिथि, जन्म-तिथि एवं आईजीएनडीपीएस के मामले में विकलांगता की प्रतिशतता जैसे आवश्यक मानदंडों को दर्ज करने में असफल रहा।

इस प्रकार, राज्य/यूटी मंत्रालय के एनएसएपी पोर्टल में पूर्णतः विस्थापित नहीं हुए तथा उन्होंने अपने स्वयं के राज्य पोर्टल के साथ जारी रखा जो पूर्णतः एनएसएपी पोर्टल के साथ समन्वयित नहीं थे। राज्य/यूटी एनएसएपी के कार्यान्वयन की प्रगति की पारदर्शिता एवं सक्रिय प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विवरणों को स्वयं के पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि अभ्युक्तियां संबंधित राज्यों/यूटी को भेज दी गई है।

## 7.6 राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र की गैर-मौजूदगी

एनएसएपी दिशा-निर्देशों ने परिकल्पित किया कि राज्यों को ग्राम /मध्यवर्ती पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला/नगर-पालिका स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए तथा उचित वरिष्ठता के अधिकारी को नामित करना चाहिए जिसे शिकायतें की जा सकें। शिकायतों के समाधान हेतु समय-सीमा निश्चित की जाना चाहिए। नामित अधिकारी के कार्यालय को शिकायत प्राप्ति, की गई कार्रवाई एवं परिणाम के अभिलेख रखने चाहिए। शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार

आयोग ने भी सिफारिश की कि प्रत्येक संगठन में एक मजबूत एवं प्रभावी आन्तरिक शासन शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता थी।

एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र 17<sup>25</sup> राज्यों/यूटी में मौजूद/ कार्यशील नहीं था। 11 राज्यों/यूटी में शिकायत निवारण तंत्र में विसंगतियां थी जैसा कि तालिका 7.7 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 7.7: शिकायत निवारण तंत्र पर राज्य-वार अभ्युक्तियां**

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
असम	समय-सीमा निश्चित थी, यदि कोई शिकायत हो, सीपीजीआरएएमएस पर शिकायतों के निवारण हेतु अभिलेख नहीं पाए गए।
आन्ध्र प्रदेश	पेंशन से संबंधित 92,100 मामले 'स्पंदना' (राज्य के नागरिकों के लिए एक विराम सार्वजनिक शिकायत निवारण (प्लेटफॉर्म) के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें से 86124 मामलों का समाधान किया गया (93.51 प्रतिशत)। फिर भी, एनएसएपी लाभार्थियों से संबंधित शिकायतों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि योजना राज्य की योजना (वाईएसआरपीके) के साथ एकीकृत है।
झारखण्ड	कोई उचित शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद नहीं थी।
दिल्ली	शिकायतों की निगरानी हेतु कोई भी संस्थागत तंत्र नहीं था। जिला सुविधा सह शिकायत निवारण समिति का गठन जनवरी 2022 में किया गया था।
हरियाणा	जीपी/नगर पालिकाओं में उपलब्ध शिकायतों की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं था, क्योंकि इनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोई भी अभिलेख/पंजी का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
ओडिशा	आठ चयनित जिलों में से दो में, शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद नहीं थी तथा एनएसएपी के तहत शिकायतों की प्राप्ति एवं निपटान हेतु विशिष्ट अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। शेष छः जिलों में, यद्यपि शिकायत निवारण तंत्र मौजूद थे फिर भी, डीएसएसओ ने पेंशन की प्राप्ति में देरी, एनएसएपी के तहत गैर-समावेशन आदि पर विभिन्न सर्वों से 2239 शिकायतें प्राप्त की तथा निवारण हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को अग्रेषित की गईं। लेकिन, ऐसी शिकायतों के निवारण पर कोई भी अनुवर्ती उपाय नहीं किए गए थे।
राजस्थान	चयनित आठ जिलों में, जीपी/नगर-पालिकाओं में उपलब्ध शिकायतों की निगरानी हेतु कोई भी संस्थागत तंत्र नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोई भी अभिलेख/पंजी का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
त्रिपुरा	शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय नहीं था।
उत्तराखण्ड	कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

<sup>25</sup> अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी।

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
जम्मू और कश्मीर	चयनित आठ जिलों में, जीपी/नगर-पालिकाओं में उपलब्ध शिकायतों की निगरानी हेतु कोई भी संस्थागत तंत्र नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोई भी अभिलेख/पंजी का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। जिला समाज कल्याण अधिकारी पेंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राधिकृत था जो कार्य में पालन नहीं किया गया।
लद्दाख	चयनित दो जिलों में, जीपी/नगर-पालिकाओं में उपलब्ध शिकायतों की निगरानी हेतु की भी संस्थागत तंत्र नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोई भी अभिलेख/पंजी का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। जिला समाज कल्याण अधिकारी पेंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राधिकृत था, जो कार्य में नहीं पाया गया।

अधिकांश राज्यों/यूटी में शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं थे जैसा कि एनएसएपी दिशा-निर्देशों के तहत परिकल्पित था, तथा यहां तक कि जहां कुछ राज्यों/यूटी में मौजूद थे वहां यह लाभार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने एवं उनकी शिकायतों का निवारण के लिए प्रभावी नहीं थे। इसलिए, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के अभाव में, राज्य में कार्यान्वयन विभागों ने लाभार्थियों की शिकायतों के बारे में अनुत्तरदायी दिखाया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2022) में बताया कि संबल ऐप पेंशन आईडी पर आधारित मासिक पेंशन भुगतान की स्थिति प्रदान करता है। आगे, मंत्रालय ने अभ्युक्ति संबंधित राज्य/यूटी को भेज दी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शिकायत निवारण प्रदान करने में संबल ऐप की सीमित भूमिका थी।

## अध्याय-8: सिफारिशें

एनएसएपी का उद्देश्य बीपीएल सूची से वृद्ध, विधवा तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में बीपीएल परिवारों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एनएसएपी की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना का कार्यान्वयन कई मुद्दों से बधित था। योजना के कार्यान्वयन में सुधार हेतु निम्नलिखित सिफारिशें सुझाई गई हैं:

### अध्याय 4 - नियोजन

1. अपात्र लाभार्थियों की सफाई/छंटाई, लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन बंद करने और लाभार्थी डाटा के सत्यापन/प्रमाणीकरण के लिए विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं।
2. लाभार्थियों की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की सक्रिय पहचान के लिए जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों और आईईसी को मजबूत करना, संभावित लाभार्थियों के सम्पूर्ण विवरण को अपलोड करना और पात्र लाभार्थियों की पहचान वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से किए जा सकते हैं।

### अध्याय 5 - वित्तीय प्रबंधन

3. एनएसएपी के अधीन निधि आबंटन एवं विमोचन ऐसे किया जाए ताकि लाभार्थियों की पेंशन का मासिक संवितरण एवं परिवार लाभों को समयोचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
4. एनएसएपी निधियों का अस्वीकार्य व्यय, अपयोजन और निष्क्रियता से बचते हुए एनएसएपी निधियों का परिवारिक लाभ और समय पर पेंशन के भुगतान हेतु उपयोग किया जाए।

### अध्याय 6 - कार्यक्रम कार्यान्वयन

5. प्रणाली आधारित जांच का गठन अधिक भुगतान, कम भुगतान, कई भुगतान एवं पेंशन के भुगतान में देरी से बचने के लिए किया जाए।
6. पेंशन का भुगतान आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित एकीकृत बैंक/डाक घर खाते के माध्यम से मासिक आधार पर अनियमित पेंशन भुगतान के मामलों की समीक्षा करने और ऐसे मामलों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

## अध्याय 7 - निगरानी एवं मूल्यांकन

7. विभिन्न समितियों द्वारा निगरानी, राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षक, आवधिक मूल्यांकन अध्ययन एवं इसके निष्कर्षों पर कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।
8. मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाए।

नई दिल्ली

दिनांक: 21 अप्रैल 2023



(राजीव कुमार पाण्डेय)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 25 अप्रैल 2023



(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक





**अनुलग्नक**



**अनुलग्नक-2.1**  
**(पैराग्राफ 2.4 का संदर्भ लें)**  
**नमूना चयन की विवरणी**

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	दक्षिण अंडमान निकोबार (2)	प्रोथरापुर, फेरारगंज कम्पबेल बे, नानकोवरि,(4)	गोविंदनगर, पीबीएमसी वार्ड न. 24, बंबूफ्लैट, टूसनबाद, कैमब्रेल डाबे, कैटचल जनजातीय परिषद ननकावरी जनजातीय परिषद (7)
2.	आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर प्रकासम (4)	अनंतपुर (शहरी), कादिरी (ग्रामीण) पून्तूर नगरपालिका, चन्द्रगिरी (ग्रामीण) बैकटागिरी शहरी इंदूरपेट (ग्रामीण), अंगोले (शहरी) पमरू (ग्रामीण) (8)	6वां वार्ड 8वां वार्ड, कौंडामनयूपलेम, कालासमुद्रम, 24वां वार्ड 5वां वार्ड, इथेपल्ले, मुंगीलीपटूकोथापल्लै, 25 वां वार्ड, 9वां वार्ड, कोमारिका, कोथूरु, 6वां वार्ड, 10वां वार्ड, इबागुंटा, पूर्वी कोडीगुडलपाडु (16)
3.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग, पूर्वी कामेंग,पूर्वी सियांग, नामसाई, पपूमपारे, पश्चिमी सियांग (6)	डियून, नामपोंग, बामेंग, सेप्पा, मेबो, रुक्सिन, चोंगखाम, नमसाई, डोयमुख, नामसाई, डोयमुख, बालीजन, आलो, पूर्व, दरक (12)	इनाओ, दूम्बा, मोसांग, पूटोक, मचूम, रिमा, लिगड़ी, लियांग, लापूंग, मेबूआ, लोफा, गोडूम II, गोडूम I, लिगंका I, लेडम III, इंसा, गुना नगर, जोना कछारी कुली, जंगलई, गुमटो नई, इमची नई, हूटो, होलोंगी, लोगमगिनी लोवर, कौंबो पोमेटे, किक याकि टाटो केशी टाली, कोटो (24)
4.	असम	नागांब, बकसा, चिरांग डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा, कोकराझार, बारपेटा, कामरुप (ग्रामीण) (8)	लाव-खोवा, खगारीजन, बरामा, तमूलपुर, बोराबाजार, डोंगटोल (पार्ट), बारबरुआ, टिंगखोंग, बालीजन, मटिया, कोकराझार, रुपसी (पार्ट), रुपसी, पाका बेटबरी, बोको, चमारिया (16)	सिंगीमरी, सलपारा, सेंचोवा, रंगागढ़ हुज, बरामा वीसीडीसी, खारुआजन, वीसीडीसी, न. 5 तमूलपुर वीडीसीसी ,2 न. 4 तमूलपुर वीडीसीसी, बोरोबाजार वीडीसीसी, बोरलोगांव वीसीडीसी, डोंगटोल वीसीडीसी, तिलोकगांव वीसीडीसी, कुटूहा,, खानीकर, पिथागुटी, ऑफालिया, कुमारी, कल्याणपुर, सिद्धाबरी, नबागोटा सिमलीटोला, देवीटोला वीसीडीसी, मोदाती वीसीडीसी, बाशबरी वीसीडीसी, कुरशकाती

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
				वीसीडीसी, सापुर, लचांगा, उत्तर पब बेतबारी,, उत्तर बेतबारी, दक्षिण पश्चिम बोको, 10 दक्षिण बोको, हेकरा जोगीपुरा, किस्मत कथामी (32)
5.	बिहार	भागलपुर, दरभंगा, जमुई, कैमूर (ममुआ), कटिहार मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, सितामढ़ी (10)	शाहकुंड, सुल्तानगंज, बेनीपुर (ग्रामीण), बेनीपुर (शहरी), खैरा, झांझा, रामगढ़, रामपुर, कुरसेला, मनिहारी, करहानी, (ग्रामीण) करहानी (शहरी) नारदीगंज, नवादा, काटाकट, नासरिंगंज, नौहहा, सिमरी बख्तियारपुर, परिहार, बेलसंड, (20)	दरियापुर, हाजीपुर, सुल्तानगंज (एनपी) वार्ड-13, सुल्तानगंज (एनपी) वार्ड-21, सझउ, तरौनी, बेनीपुर (एनपी) वार्ड-9, बेनीपुर (एनपी) वार्ड-5, बनपुर, डाबिल, झांझा (एनपी)वार्ड-11, झांझा (एनपी) वार्ड-21 महुवार, नौनार, बरकावान, बेलवा, पूर्वी मुरादपुर, शाहपुर धर्मी, मनिहार (एनपी) वार्ड-2, मनिहार (एनपी) वार्ड-7 खरऊना डीह, कुराहनी तुर्की कुरहानी (एनपी) वार्ड-5 तुर्की कुरहानी (एनपी) वार्ड-9, नरदीगंज, पेरा, नवादा (एनपी) वार्ड-18, नवादा (एनपी) वार्ड-27, दानवर, जयश्री, नासिंगंज (एनपी) वार्ड-5, नासिरगंज (एनपी) वार्ड-9, हाती, खरका, तेलवा, दानपुर, रायपुरा, मानपौर, परिहार दक्षिणी, बेलसंड(एनपी)वार्ड-1, बेलसंड (एनपी) वार्ड-3, (40)
6.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बेमतारा, दुर्ग, कौंडागोह, कोरबा, महासमुंड, मुंगोली, रायपुर, (8)	बकावंड, बस्तर, बेमतारा, बेरला, दुर्ग, पाटन, फरासगोह, मकडी, कोरबा, पाली, बगबहरा, महासमुंद, मुंगोली, पथारिया, अरंग टिलडा, (16)	छोटे जिराखल, सतोशा, सुधापाल, बोदानपाल-2, रामपुर बैजलपुर, गोंडागिरी, देवरी, मतवारी, टिरगा, सरमरी, अक्तई, जामगोह, पलना, सोदसिवानी, तरेगा, बेला, बरिधि, पाहागाव, धतुरा, बोदराबंदा, तंगोपानिकला, बरौंदाब बाजार, अचानकपुर, धाबो, धापई, मर्राकोना, पकराई, नवागाव, कोटनी, परसादा, बरटोरी (32)
7.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (1)	चण्डीगढ़ (1)	चण्डीगढ़ (1)
8.	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2010 से एनएसएपी के अधीन कोई केंद्रीय निधि यूटी को कल्याण विभाग तथा मंत्रालय स्तर पर देखे गये थे। निर्गत नहीं किये गये थे। इस प्रकार यूटी से संबंधित रिकार्ड समाज		

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
9.	दिल्ली	नई दिल्ली सेंट्रल, दक्षिण (3)	कस्तूबा नगर, जंगपुरा, करोलबाग, राजेन्द्र नगर, ग्रेटरा कैलाश, अंबेडकर नगर (6)	शून्य
10.	गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा (2)	बारदेज, पेरनेम, मोरमुगाव, सलसेते (4)	संगोलडा, उकसिम, पलेम, मोरजिम, तिउम, कोरतलिम मजोरदा, चंदोर, कावोरेम, डवोरलिम (8)
11.	गुजरात	अहमदाबाद, भरुच, बनासकाठा, गोधीनगर, वलसाड, दांग, राजकोट, मोरबी, कच्छ (9)	बालवा, बेजलपुर, झागरिया, अंकलेश्वर, भाभर, सुड़गाम, गांधीनगर, कलोल, परधी, अहवा, वलसाड, Bavla, वघाई, राजकोट, पधारी, टंकरा, वंकानेर, मांडवी, मुंद्रा (18)	मीठापुर, वासना-डेघल, जुहापुरा, वेजलपुर, चौकी, सुल्तानपुर, मांडवावुजुश, धनतुरिया, गगुन, जोरवाडा, डुडोसन, उचोसान, अंबापुर, लेकावाड़ा, वार्ड-01, वार्ड-07, चिवाल, पाटी, पलान, वगालधारा, गधविया, गोंडलविहार, झावड़ा, रंभास, मलियासन, गंधेश्वर, मेरवटिंबी, निलाखा, हरबतियाली, मिटिना, अरनिटिंबा, लूनासर, जमधाला, कोकलिया, भोरारा, मोटाभुजपुर (36)
12.	हरियाणा	कैथल, मेवात, पानीपत, भिवानी, करनाल (5)	सिवान (ग्रामीण), कलायत (शहरी), फिरोजपुर, झिरका, तौरु, मडलउडा, समलखा, लोहारु (ग्रामीण), लोहारु (शहरी), घरौदा (पार्ट), तरौरी (10)	गोहरान, मेघा, माजरा, वार्ड-12, वार्ड-13, अचवारी, शाहपुर, वार्ड-03, वार्ड-13, आलूपुर, नौहरा वार्ड-06, वार्ड-08, धनीलक्ष्मण, कौशलपुरा वार्ड 11, वार्ड 1, चौरा खालसा, अमृतपुर खुर्द, वार्ड 08, वार्ड 07(20)
13.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला (3)	विलासपुर सदर, घमरविन, नागरोटा बागवान, रैत (शाहपुर), चोपाल, नारकंडा(6)	बांदला, कोटला एमसी विलासपुर (वार्ड 7 एवं 8) लौनथा, लैनथा, नानवान एमसी घुमरविन (वार्ड01 एवं 04), बालधर, जसौर एमसी नागरोटा बागवान (वार्ड 05 एवं 07), बागडू, रेहलू, एनपी साहपुर (वार्ड 02 एवं 05), झिकनीपुल, सारी एनपी चोपाल (वार्ड 01 एवं 07), बनहर, किर्ति, एनपी नरकंडा (वार्ड 02 एवं 05) (24)

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
14.	झारखंड	चतरा, सिंहभूम, गोडा, हजारीबाग, पलामू, रांची (6)	चतरा सदर, हंटरगंज, गोलमूरी कम जुगसलाई, पोटका, गोड्डा सदर, पोरियाहार, हजारीबाग सदर, इचक, मेदनीनगर (पालमू), चैनपुर, कांके, बेरो (12)	दरहा, दरैतू, कटैया, जबरा, बाराबंकी, लौबासा, हाथीबिंदा, गोवलकाटा, पचरुखी, गयचांड, लाथीबारी, धेनूकट्टा, चौतियारो, नगवा, बरकाखुर्द, डुमराउन, चियंकी, रेदमा दक्षिण, नरसिंहपुर, पथारा, उत्तर शाहपुर, इचापिडी, पिथैरिया, घाघरा, हरिहरपुर, जामटोली (24)
15.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू, उधमपुर, किस्तवाड़ (5)	डूरू, पहलगाम, कुपवाड़ा, हंडवाड़ा, जम्मू, आरएस पूरा, उधमपुर, रामनगर, किस्तवाड़, चतरु (10)	बारकुट, बुडरो, लोरकभवन, संगरुन, लाधा कालरुसे, मानीगाह, चीरकोटे, मागम, अकलपुर, अम्ब घरोटा, रंगपुर, रंगपुर मलाना, चकरोई उपर, दरब्रेह, गंडाला, धंडल, मनी, पोचल ए1, डूल ए, चतरु उप्पर, चतरु लोवर ए (20)
16.	कर्नाटक	बंगलुरु (यू), तूमाकुरु, मैसूरू, चिकमंगलुरु, रायचुरु, बेलगावी, कोप्पल, विजयपुर (8)	यालाहांका, अनेकल, सिरा, चिकनयाकन्हली, टी, नरसीपुर, हुनासुरु, कदूरू, कोप्पा, रायचूर, सिंधानुर, गोकक, रामदुर्ग, येलाबुर्गा, कुकनूर, बीबलेश्वर, इंदी (16)	सिटी सर्किल, जाला-2, अट्टीबेले-1, जिगानी, बुक्कापटना, हुलीकुन्टे, हंदलकेरे, कांडीकेरे, बन्नूरू, मुगूरू, बिलीकेरे, गवाडगेरे, बिरूरू, कसबा, हरिहरपुरा, कसबा, चंद्राबंदा, गिल्लेसुगुर, बादरली, जालीहल, गोकक, कोजालगी, के चंदरगी, कोटाकोल, हिरेवनकलकुंटा, येलबुरगा, कुकानुर, मंगलोर, बाबलेश्वर, ममदपुर, बलोली, इंदी (32)
17.	केरल	तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, त्रिसूर, कोझीकोड़े (4)	कुनामंगलम, पेरम्बरा, कोडाकारा, ओलूकरा, इलेमदेशम, कट्टापाना, नेमम, पोथेनकोड (8)	छत्तामंगलम, मावूर, चक्कीटापारा, कूथाली, अलगप्पा नगर, पुडुक्कड, मादाकथारा, पनानचेरी अलाकोडे, उडूमबनूर, अयव्पनाकेली, कट्टापाना, बलरामपुरम, पाल्लीचल, अंदूरकोनम, मंगलापुरम (16)
18.	लद्दाख	कारगिल, लेह (2)	कारगिल, शरगोले, लेह, चचोट (4)	बुदागाम, चिलोचन, लोचम, पश्कुम, फ्यांग, सब्बू, रुम्बक, मथ्थू, चचोट, योकमा-11, चचोट योकमा-बी, शेय ए (11)
19.	लक्षदीप	कवारन्ती (1)	कवारन्ती (1)	अगाती, अमिनी, अंद्रोथ, कड़ीमंथ, कवारन्ती, किल्तन (6)

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
20.	मणिपुर	बिष्णुपुर, सेनापती, कंगपोकपी (3)	बिष्णुपुर, नन्बोल, माओ, तदुबी, सैकुल, सैतू गंफाजोल (6)	थिनुनगेड़ वार्ड न. 8, नगाईकौंगकुलेन वार्ड न. 10, कयिन्, तोबुमई, मारम माखा सगेई, तूस्सी नगोनी खुमई (सेनापती), एन, जिलफई, तूसम, सी. जुअुजांग, एल. मगजोल (12)
21.	मेघालय	पूर्वखासी हिल्स, रि मोई, पश्चिमी गारो हिल्स (3)	मावरयांगनेंग, माउफलांग, उमलिंग, उमसिंग, रोनग्राम, गमबेगरे (6)	मेघालय एक छठा अनुसूचित राज्य होने के कारण पंचायती राज्य/नगरपालिका का प्रावधान कार्यान्वित नहीं किये गये गये हैं।
22.	मिजोरम	चंफाई, लौंगटलाई (2)	नगोपा, पूर्वी लंगधर, लौंगटलाई, संगऊ (4)	कालबेम, खावकान, पिलर, रयांगटलेई, नेंगपुटलांग, हमुनलाई, वाउमबुक, फुंगकाह (8)
23.	मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर, अनुपपुर, भोपाल, भिंड, बालघाट, विदिशा, देवास, बरवानी, उज्जैन (10)	महू, देपालपुर, मोरर, घाटीगाव, अनुपपुर, जैथारी, बरसिया, फांडा, भिंड, मेहगांव, खैरलांजी, पारसवारा, कुरवई, बसोडा, सोनकाते, बागली, सेंधवा, नेवाली, बडनगर, महिदपुर (20)	भिचोली, गवालू, हस्नाबाद, शिवगढ़, सिरोली, गोवई, सुसेरा, सोजना, अमलई, रेउडू, पारसवर, धगावान, कलारा, मानीखेड़ी, पारावती, पारावलिया सड़क, बंगरसिया, जखमोली, परसोना, गहेली, क्रेपेकापुरा, गहेली, क्रेपकपुरा, भिडी, उकवा, बिहिजादंड, चिचोली मधुखेड़ी, धमोन्यपुरा, खतरी, रोजरू, धाबला जागिर, देहारी, पतादिपाला, डंगरखेड़ा, हिंगवा, घुड़चल, जमनया, पिपलधर, अकोलया, सुंदराबाद, बवालया, तरोत (40)
24.	महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, बुलधाना, चंद्रपुर, गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक, ओसमानाबाद, सोलापुर (9)	पातूर, मुर्तिजापुर, चिखलद्रा, धरनी, चिखली, शिंदखेड़ा राजा, ब्रह्मापुरी, पोम्भुरना, चमोरशी, ईटापल्ली, सहादे, तलोडे, बागलन, डिंडोरी, लोहारा, उमरगा, मधामघा, मोहोल (18)	चानी, सस्ती, धनोरा पटेकर, किनखेड़ बारुगवहान, दहेन्द्री, कलामखर, खापड़खेड़ा, ब्रह्मापुरी, खैरव, राजेगाव, वाघाजय, रुड़ सौंद्री, पिपरी देशपांडे, पौम्भुरना (एनपी) वार्ड न. 13, मघोली तुकुम, वेलतूर तुकुम, इटापल्ली (एनपी) वार्ड न.- 10, तुमरगुंदा (एस), कौथल एसएच, उजदोड, रेवानगर, वेलेहारी, दौंगरेज, मालेगाव केएच, देवपुर, डिंडोरी (एमयू सीआई) वार्ड न.11, कौंडगिगाढ़, लोहारा बीयू (एनपी) वार्ड. 10, कासगी, उमरगा (एम सीआई) वार्ड न. 11, अरन, कुरदूवादी (एम सीआई) वार्ड न. 3, आस्टे, वारकुटे (36)

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
25.	नागालैण्ड	मोकोकचंग, फेक, वोखा (3)	चांगटोंग्या, तुली टाउन, परिषद, फेक, फूटसेरो टाउन परिषद, भंडारी, वोखा टाउन परिषद (6)	चकपा, वामकेन, वार्ड न. 7: पाटीजुंग वार्ड, तुलीकोंग वार्ड, पुरानी फेक, तेहूफू, वार्ड न. 1: चिकरी वार्ड, वार्ड न. 6: पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी वार्ड, कारो, लियो-वोखा, पुरानी वार्ड न. 7: सुमांगा वार्ड, वार्ड न. 2: तिटाफेन वार्ड (12)
26.	ओडिसा	देवधर, धेनकनाल, जंगम जजपुर, केन्द्रपाड़ा, क्यौंझर, कोरापुट नबरंगपुर (8)	तिलेबानी, देवघर शहरी, भूबन, भूबन शहरी, पोलोसोरा, गुंजम एनएसी, बिनझारपुर, जजपुर शहरी, अउंल, केंद्रपाड़ा नगरपालिका, झुमपुरा, क्यौंझर नगरपालिका, पोतांगी, कोरापुट शहरी, झोरीगाम, नबरंगपुर शहरी, (16)	तालकुंडी कलांदा, वार्ड-11, वार्ड-8, सुरप्रतापपुरा, दिधी, वार्ड-3, वार्ड-13, हतियोता, घोदापलाना, वार्ड-4, वार्ड-12, चंद्रमू प्रितिपुर, वार्ड-11, वार्ड-5, मानिकपटना, भूईनपुर, वार्ड-5, वार्ड-10, नयागदा, गुंदुनिया, वार्ड-7, वार्ड-5, कोटिया, तालागोलू, वार्ड-10, वार्ड-19, चिदाबेदा, धमनगुड़ा, वार्ड-3, वार्ड-10 (32)
27.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, एसएस नगर (6)	मूजिठा, अजनाला (एनपी), शाहकोट, आदमपुर, सिधवान बेट, दोराहा, राजपुरा, पटियाला एमसी, भवानीगढ़, चीमा, डेराबस्सी, माजरी(12)	कद्राबाद, भंगाली खुर्द-जयंतीपुर, अजनाला (नगरपंचायत), मेलुवाल, ब्रहमना, मुसेवाल, आदमपुर, कनियान हुसैनी, गालिब रण सिंह, दोहरा (नगरपालिका परिषद) (एमसी), धकांशू माजरा, कैरपुर जतन, पटियाला एमसी एरिया, मत्रान, बीर मेहसामपुर, चीमा (नगर पंचायत या एनपी), बस्मा, इस्सापुर जंगी, कुराली (नगरपालिका परिषद) (18)
28.	पुदुचेरी	पुदुचेरी (1)	पुदुचेरी शहरी, औलगारेट, विल्लीथनूर, अरियंकूपम (4)	पुदुचेरी शहरी, औलगारेट, विल्लीथनूर, अरियंकूपम (4)
29.	राजस्थान	जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धोलपुर, चुरू, नागौर (8)	बापिनी, पीपर सिटी, टोंक, पीपलू, असिंद, बिनैरा, छोटी सरवान, कुशलगढ़, जैसलमेर,	कपूरिया, रैमलवाड़ा, पीपर सिटी- वार्ड.8 &22, टोंक-वार्ड.33 एवं 42, चोगाई एवं झिराना, असिंद वार्ड. 3 एवं 10, बलदेरखा तथा बारां, मखनपुर एवं दान पुर, कुशलगढ़ वार्ड. 3 एवं 11, जैसलमेर वार्ड. 2 एवं 3, लाखा एवं लोरदीसार, धोलपुर वार्ड.6 एवं 15, सहरोली एवं



क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
			फतेहगढ़, धोलपुर, सपू, चूरू, बीदासर, रियानबरी, मूंडवा (16)	उमरारा, चूरू वार्ड.13 एवं 46, धानी एवं कलेरा, गवारदी एवं जटावास, मूंडवा वार्ड-12 एवं 18 (32)
30.	सिक्किम	पूर्व, पश्चिम (2)	रेनांक, रेगु, सोरेंग, यूकसोम	बेररिंग तरेथ थांग , सदुंगलाखा, अरितर, लिंगतम फादमचेन, सोरेंग, थरपू, गेरेथाग, रिम्बी तिंंगबुरुंग (8)
31.	तैलंगाना	हनुमानकोंडा, जोगूलांबा, गढ़वाल, मानचेरियल, लालगौंडा, रनगारेड्डी, सूरयापेट, वारांगल (8)	इनावोले, ग्रेटर वारागल नगर निगम, आलमपुर, गढ़वाल, हाजीपुर, मानचेरियल, मारीगुड़ा, चियाला, मोयनाबाद, बंदलागुड़ा जागीर नगर निगम, चिवेमला, सूर्यपेट, पुदूर, विकराबाद, गिसुगौंडा, नरसमपेट(16)	कोंडापरथी, वेंकटापुर, वार्ड न.13, वार्ड न.25, बुक्कापुर, सुल्तानपुर, वार्ड न. 2, वार्ड न.12, वेमपल्ली, पदथापल्ले, राजस्व वार्ड न.5 राजस्व वार्ड न.7, येरगंडला पल्लै, तम्माड पल्लै, चितयाला, शिवानेरी गुडेम, येंकेपल्लै, चिलकूर, पीरानचूरू, व हैदराशकोटे, गयनमवरिगुडा, चिवेमला, बीबीगुड़ा, पिलाला मारी, तिरूमालापुर, सोमनमुखी, वार्ड न.3, वार्ड न.5, माचेपुर, कोनयापकुला, वार्ड न.14, वार्ड न.17(32)
32.	त्रिपुरा	धलाई, गोमती (2)	अंबासा, चावमनु, ककरावन, उदयपुर (4)	वार्ड न. 8, वार्ड न. 11, देबाचेरे, नतिनमनु, गंगाचेरा, होरीजाला, वार्ड न. 7, वार्ड न. 13 (8)
33.	तमिलनाडु	इरोड, मदुरै, नामाकल्ल, तंजाऊर, तिरुचिरापल्लै, वेल्लोर (8)	इरोड, गोबिचेट्टीपल्यम, तिरुपरमंगलम, थिरुपरंककुदरम, मोहनूर, रासिपुरम, कुंबकोनम, ओराथांडू, मन्नापराई, श्रीरंगम, तिरुनेलवी, मनूर, अरानी, वंदावसी, गुडियाथम, कटपदी (16)	पवलथथमपलयम, विल्लारासम्पत्ती(ए), अक्कराई कोडिवेरी, कुल्लमपलयम, सिवारकोट्टई, पुदुकुलम, नगमलईपुडुकोटी पेरुनगुडी, कुटुलमपरई, के.पुलियमपट्टी, मोहनूर, नदूपट्टी, पोानपराप्पीपट्टे, तिरुचेरई, उदैयालूर, कन्नूकून्डी कीलपथी, थेनामनाडु साउथ, के.पेरियापट्टी उत्तर, थवलावीरमपट्टी, पग्गनूर, सेथूरापट्टी, सूथामल्ली, थेरक्कापट्टी, अलगियापंडयापुरम, पिल्लयाकुलम, अदनूर, कडूकनालूर, किलसाथमंगलम, पोन्नूर, मेलमूडूकूर, सिथाथूर, मेलमंगगक्कूपम, मेलामोइल (32)
34.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, हरदोही,	कौरिहर, फूलपुर, अकबरपुरा, टंडा, गाजीपुर, सैदपुर, भरावन,	कांजिया, मुरफपुर, चकराली, चिलौदा, गौरा, जामूनीपुर, दांडी, रसूलपुर, मुबारकपुर, मदरपुर, पार्ट-3, फरिदहन, खानपुर, महिता, रामदरपुर,

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	जिला का नाम	ब्लॉकों का नाम	जीपी/ग्राम परिषद/बोर्डों के नाम
		झांसी, साहरनपुर, बिजनौर, संत कबीर नगर, बरैली, अलीगढ़(10)	संदी, बडगांव, बमौर, खुटार, तिलहर, अफजलगढ़, हलदौर (खारी झालू), पौली, सेमरियावन, भडपुरा, रिचहा, धानीपुर, खैर (20)	चोचपुर, नंदना, छपरा, घूघूवा, दूदी, वीरपुरा, जाउदपुर कलान, सिउरा खुर्द कलान, मिलकीपुर, राजनपुर, हरेवला, हरपुर, मिथान कुवूरपिरताप, उलेता, चकिया, धौराहा, दसावा, दिधवा, क्योलडिया, मटकापुर, जगनदांडी, सिमरा, आँलग्राम, उकवाली नंदपुर पाला, उशाराम (40)
35.	उत्तराखण्ड	देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर (3)	रायपुर, विकासनगर, लक्सर, रूड़की, जसपुर, खतीमा (6)	सौदा सरौली, नहीकाला, अदूवाला, केदारवाला, बकरपुर, अकबरपुर, पहेनिया, दियूरी (12)
36.	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगणा, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा (6)	बरासात I, बंगाव, गोपीबल्लपुरा II, संकरैल, केशियरी, नारायणगढ़, नवाग्राम जलंगी, इटाहर, करनदिधी, सलतोरा, तलदांगा (12)	इच्चापुर निलगंज, पूरवा खिलकापुर, बैरमपुर, अकैपुर, चोरचिता, बेलियाबेरा, खुदमोरई, धनघोरी, नाचीपुर, खजरा, नरमा, मोकरामपुर, हजबिदंगा, शिवपुर, देबीपुर, सादीखदेरा, छैयाघर, इताहर, दोमोहोना, रसाखोवा, गोगरा, कनूरी, तलदेगा, सलतोरा (24)

## अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ 3.1 का संदर्भ लें)

एमओआरडी द्वारा कवर निधियों का निर्गम तथा लाभार्थियों की संख्या

वर्ष: 2017-2018

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
		आईजीएनओएपी एस	आईजीएनडब्ल्यू एस	आईजीएनपीएस	एनएफबीएस	कुल	आईजीएनओए पीएस	आईजीएनडब्ल्यू पीएस	आईजीएनपी एस	एनएफबी एस
1	आन्ध्र प्रदेश	18405.46	9107.11	905.23	2246.64	30664.44	662641	245607	24413	10906
2	बिहार	82554.02	16435.60	0.00	7386.96	106376.58	2996472	501267	69874	35859
3	छत्तीसगढ़	17298.27	5162.45	1189.72	602.47	24252.91	608300	148976	32085	12801
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1705	315	41	225
5	गुजरात	13414.34	0.00	145.24	1101.59	14661.17	474415	63163	7834	10695
6	हरियाणा	7090.51	2119.08	427.79	855.72	10493.10	193653	57149	11537	4154
7	हिमाचल प्रदेश	5209.29	999.99	12.77	211.35	6433.40	87332	17979	689	684
8	जे और के	4243.21	248.72	85.43	89.17	4666.53	134156	7507	2789	435
9	झारखण्ड	25215.55	10089.76	0.00	0.00	35305.31	927501	272108	18219	14148
10	कर्नाटक	29254.46	17255.66	1615.54	3772.28	51897.94	892308	465363	43569	18312
11	केरल	12882.75	7758.48	1109.98	0.00	21751.21	449158	209236	29935	4358
12	मध्य प्रदेश	46018.20	19890.16	3705.18	5810.52	75424.06	1569627	536412	99924	30826
13	महाराष्ट्र	41282.89	0.00	0.00	716.03	41998.92	1087919	36604	6709	34987

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
14	ओडिशा	40842.24	19253.04	2973.44	5087.58	68156.30	1418631	519243	80190	24697
15	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115794	15565	4801	2673
16	राजस्थान	35219.04	4872.32	937.38	737.03	41765.77	799636	131400	25280	12347
17	तमिलनाडु	36015.32	22021.18	3352.24	1830.57	63219.31	1237809	549084	61910	18445
18	तेलंगाना	13153.96	6508.64	646.98	1605.56	21915.14	473575	175530	17448	7794
19	उत्तर प्रदेश	115673.92	18387.68	2791.37	15053.46	151906.43	4204232	991784	75280	73075
20	उत्तराखण्ड	6344.39	0.00	24.96	224.81	6594.16	239498	25783	3671	4808
21	पश्चिम बंगाल	35263.27	16640.17	1595.76	4439.91	57939.11	1423192	644590	62982	21553
	<b>उप कुल</b>	<b>585381.09</b>	<b>176750.04</b>	<b>21519.01</b>	<b>51771.65</b>	<b>835421.79</b>	<b>19997554</b>	<b>5614665</b>	<b>679180</b>	<b>343782</b>
<b>एनई राज्य</b>										
22	अरुणांचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29290	3565	1284	346
23	असम	11521.74	2199.96	201.84	350.18	14273.72	707927	137463	18916	8524
24	मणिपुर	2526.71	0.00	0.00	48.43	2575.14	56045	8043	1007	669
29	मेघालय	1334.15	245.21	32.04	58.10	1669.50	77980	8498	969	781
26	मिजोरम	883.32	71.38	14.83	40.58	1010.11	25251	1925	400	197
27	नागालैण्ड	965.72	68.97	17.80	55.11	1107.60	44530	3720	960	535
28	सिक्किम	652.35	54.22	36.87	45.22	788.66	16418	1614	817	175
29	त्रिपुरा	3839.05	595.99	79.50	202.72	4717.26	141510	17927	2144	984
	<b>उप कुल</b>	<b>21723.04</b>	<b>3235.73</b>	<b>382.88</b>	<b>800.34</b>	<b>26141.99</b>	<b>1098951</b>	<b>182755</b>	<b>26497</b>	<b>12211</b>

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
<b>संघ शासित क्षेत्र</b>										
30	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572	3	1	86
31	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2378	942	100	80
32	दारर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058	1388	142	95
33	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840	470	66	24
34	एनसीटी दिल्ली	3408.24	1348.26	234.38	467.62	5458.50	119403	36361	6321	2270
35	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186	90	51	9
36	पुदुचेरी	530.90	362.83	0.00	0.00	893.73	17713	9785	0	283
	<b>उप कुल</b>	<b>3939.14</b>	<b>1711.09</b>	<b>234.38</b>	<b>467.62</b>	<b>6352.23</b>	<b>149150</b>	<b>49039</b>	<b>6681</b>	<b>2847</b>
	अन्य					1639.75				
	<b>कुल योग</b>	<b>611043.27</b>	<b>181696.86</b>	<b>22136.27</b>	<b>53039.61</b>	<b>869555.75</b>	21245655	5846459	712358	358840

स्रोत:- ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष: 2018-19

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
		आईजीएनओए पीएस	आईजीएनडब्ल्यू पीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफबीएस	कुल	आईजीएनओए पीएस	आईजीएनडब्ल्यू पीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफ बीएस
1	आन्ध्र प्रदेश	18405.46	9107.10	905.24	2246.64	30664.44	662641	245607	24413	10906
2	बिहार	85227.42	18386.38	3813.72	7199.99	114627.51	2996472	495857	102851	35859
3	छत्तीसगढ़	18091.27	5771.33	1161.76	2257.24	27281.60	622985	157955	31331	12801
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1705	315	41	225
5	गुजरात	14763.55	0.00	343.55	2203.17	17310.27	559443	85122	9265	10695
6	हरियाणा	6711.20	2119.08	427.79	855.72	10113.79	180203	57149	11537	4154
7	हिमाचल प्रदेश	3630.89	666.66	25.55	140.90	4464.00	87332	17979	689	684
8	जम्मू एवं कश्मीर	4371.55	259.75	88.19	44.74	4764.23	134993	7666	2789	435
9	झारखण्ड	24818.76	9619.04	838.76	76.02	35352.58	927446	259413	21969	14148
10	कर्नाटक	29532.79	17245.69	1618.13	3772.27	52168.88	902909	465094	43639	18312
11	केरल	19997.43	11637.71	1664.98	897.74	34197.86	449158	209236	29935	4358
12	मध्य प्रदेश	46018.20	19890.16	3705.18	6350.16	75963.70	1569627	536412	99924	30826
13	महाराष्ट्र	31691.46	0.00	0.00	4920.46	36611.92	1105859	55679	7155	34987
14	ओडिशा	40842.24	18914.32	2980.97	2543.79	65841.97	1418631	510095	80393	24697
15	पंजाब	2020.38	870.52	270.22	75.74	3236.86	116366	15847	4979	2673
16	राजस्थान	24265.62	5244.12	1014.96	0.00	30524.70	799636	141427	27372	12347

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
17	तमिलनाडु	36015.32	19269.92	2120.82	5630.24	63610.69	1237809	519685	57196	18445
18	तेलंगाना	13153.97	6508.65	646.97	0.00	20309.59	473575	175530	17448	7794
19	उत्तर प्रदेश	87629.09	0.00	2791.38	15053.49	105473.96	4204232	991784	75280	73075
20	उत्तराखण्ड	6765.55	687.17	103.37	990.45	8546.54	145189	18532	2235	4808
21	पश्चिम बंगाल	32315.20	20469.07	2327.70	4439.90	59551.87	1423192	644590	62775	21553
	<b>उप कुल</b>	<b>546267.35</b>	<b>166666.67</b>	<b>26849.24</b>	<b>59698.66</b>	<b>800616.96</b>	<b>20019403</b>	<b>5610974</b>	<b>713216</b>	<b>343782</b>
<b>एन ई राज्य</b>										
22	अरुणाचल प्रदेश	943.94	137.53	49.69	106.92	1238.08	5894	288	112	346
23	असम	19093.72	3935.61	701.40	0.00	23730.73	707927	116365	18916	8524
24	मणिपुर	813.88	86.43	18.67	68.91	987.89	56045	4662	1007	669
29	मेघालय	1342.24	245.03	33.49	160.88	1781.64	44168	6837	969	781
26	मिजोरम	782.43	71.38	14.83	40.58	909.22	25251	1925	400	197
27	नागालैण्ड	2129.15	163.82	47.15	165.31	2505.43	44530	3720	960	535
28	सिक्किम	219.22	15.20	9.07	17.76	261.25	15575	820	489	175
29	त्रिपुरा	2052.43	332.37	39.75	0.00	2424.55	141510	17927	2144	984
	<b>उप कुल</b>	<b>27377.01</b>	<b>4987.37</b>	<b>914.05</b>	<b>560.36</b>	<b>33838.79</b>	<b>1040900</b>	<b>152544</b>	<b>24997</b>	<b>12211</b>
<b>संघ शासित क्षेत्र</b>										
30	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581	3	1	86

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
31	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2378	942	100	80
32	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058	1388	142	95
33	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840	470	66	24
34	एनसीटी दिल्ली	3408.24	1348.26	234.38	467.62	5458.50	119403	36361	6321	2270
35	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184	89	51	9
36	पुदुचेरी	530.90	362.82	23.31	0.00	917.03	17713	9785	1259	283
	<b>उप कुल</b>	<b>3939.14</b>	<b>1711.08</b>	<b>257.69</b>	<b>467.62</b>	<b>6375.53</b>	<b>149157</b>	<b>49038</b>	<b>7940</b>	<b>2847</b>
	अन्य					1014.98				
	बचत					2138.25				
	<b>कुल योग</b>	<b>577583.50</b>	<b>173365.12</b>	<b>28020.98</b>	<b>60726.64</b>	<b>841846.26</b>	21209460	5812556	746153	358840

स्रोत:- ग्रामीण विकास मंत्रालय



वर्ष: 2019-20

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
		आईजीएनओए पीएस	आईजीएनडब्ल्यू पीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफ बीएस	कुल	आईजीएनओए पीएस	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफ बीएस
1	आन्ध्र प्रदेश	19518.24	9107.10	905.24	2246.62	31777.20	662641	245607	24413	10906
2	बिहार	94889.28	20311.56	4470.44	3296.81	122968.09	2996472	547777	120562	35859
3	छत्तीसगढ़	18641.65	6548.37	1158.56	2637.01	28985.59	644429	176601	31245	12801
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1705	315	41	225
5	गुजरात	17364.32	1902.85	399.50	1413.01	21079.68	580706	97473	10774	10695
6	हरियाणा	8883.88	2119.08	427.80	842.60	12273.36	258583	57149	11537	4154
7	हिमाचल प्रदेश	3731.70	666.66	31.56	140.90	4570.82	93033	17979	851	684
8	जे एवं के	2192.25	112.92	32.39	44.01	2381.57	133033	7487	2769	435
9	झारखण्ड	20263.73	5014.09	907.38	976.00	27161.20	993567	270447	24836	14148
10	कर्नाटक	29596.61	17059.54	1618.14	3772.27	52046.56	894697	460074	43639	18312
11	केरल	6848.80	3879.24	554.99	0.00	11283.03	449158	209236	29935	4358
12	मध्य प्रदेश	30430.82	18739.53	2894.46	5489.70	57554.51	1569627	536412	99924	30826
13	महाराष्ट्र	30700.58	0.00	0.00	2829.40	33529.98	1100183	60548	7654	34987
14	ओड़ीसा	42155.58	19511.83	2241.94	1660.26	66122.22	1418631	526209	82182	24697
15	पंजाब	3286.43	0.00	0.00	0.00	3286.43	118959	16294	5151	2673
16	राजस्थान	24975.53	5933.10	232.51	0.00	31141.14	799636	160008	28137	12347

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
17	तमिलनाडु	35022.83	19270.11	1616.19	1899.84	57808.97	1237809	519690	57201	18445
18	तेलंगाना	6970.48	3254.33	323.48	0.00	10548.29	472978	175530	17448	7794
19	उत्तर प्रदेश	123054.82	13540.31	2714.74	15053.44	154363.31	4192393	991784	73213	73075
20	उत्तराखण्ड	4124.69	383.59	52.32	495.22	5055.82	191597	20690	2822	4808
21	पश्चिम बंगाल	56092.82	23425.50	1637.37	4439.91	85595.60	1423192	644590	65177	21553
	<b>उप कुल</b>	<b>578745.04</b>	<b>170779.71</b>	<b>22219.01</b>	<b>47237.00</b>	<b>819533.37</b>	<b>20233029</b>	<b>5741900</b>	<b>739511</b>	<b>343782</b>
<b>एन ई राज्य</b>										
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5441	286	112	346
23	असम	24154.60	4232.34	701.40	0.00	29088.34	707927	114141	18916	8524
24	मणिपुर	1622.07	186.18	37.34	68.91	1914.50	55585	5380	1007	669
29	मेघालय	1091.75	184.56	29.86	80.45	1386.62	45935	7223	969	781
26	मिजोरम	926.39	71.38	14.84	40.58	1053.19	25213	1925	400	197
27	नागालैण्ड	1808.94	137.94	35.60	110.21	2092.69	44530	3720	960	535
28	सिक्किम	488.95	42.32	17.43	32.55	581.25	16418	1463	451	175
29	त्रिपुरा	5636.94	927.84	112.20	101.35	6778.33	120460	16059	1954	984
	<b>उप कुल</b>	<b>35729.64</b>	<b>5782.56</b>	<b>948.67</b>	<b>434.05</b>	<b>42894.92</b>	<b>1021509</b>	<b>150197</b>	<b>24769</b>	<b>12211</b>
<b>संघ शासित क्षेत्र</b>										
30	अण्डमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5924	3	1	86

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
31	चण्डीगडढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2373	942	100	80
32	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058	1388	142	95
33	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840	470	66	24
34	एसीटी दिल्ली	3999.88	569.40	234.38	467.62	5271.28	119403	30712	6321	2270
35	लक्ष्य द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181	92	51	9
36	पुदुचेरी	863.88	362.82	46.65	0.00	1273.35	17713	9785	1259	283
	<b>उप कुल</b>	<b>4863.76</b>	<b>932.22</b>	<b>281.03</b>	<b>467.62</b>	<b>6544.63</b>	<b>154492</b>	<b>43392</b>	<b>7940</b>	<b>2847</b>
	अन्य					266.84				
	<b>कुल योग</b>	<b>619338.44</b>	<b>177494.49</b>	<b>23448.71</b>	<b>48138.67</b>	<b>869239.76</b>	<b>21409030</b>	<b>5935489</b>	<b>772220</b>	<b>358840</b>

स्रोत:- ग्रामीण विकास मंत्रालय

## वर्ष: 2020-21

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
		आईजीएनओए पीएस	आईजीएनडब्ल्यू पीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफ बीएस	कुल	आईजीएनओए पीएस	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएनडी पीएस	एनएफ बीएस
1	आन्ध्र प्रदेश	18677.36	9107.12	905.245	2246.64	30936.37	662641	245607	24413	10906
2	बिहार	100001.95	20311.58	4470.435	0.00	124783.96	2996472	547777	120562	35859
3	छत्तीसगढ़	9855.28	4523.07	890.390	521.95	15790.69	644429	183076	32017	12801
4	गोवा	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	1705	315	41	225
5	गुजरात	17364.32	7880.71	458.680	1652.37	27356.08	580706	218395	12370	10695
6	हरियाणा	3496.28	797.68	153.800	169.38	4617.14	258583	57149	11537	4154
7	हिमाचल प्रदेश	3933.82	666.66	31.560	105.69	4737.73	93033	17979	851	684
8	झारखण्ड	20637.54	7552.62	711.870	0.00	28902.03	993567	271579	25598	14148
9	कर्नाटक	30073.12	17059.92	1618.120	3772.28	52523.44	894722	460084	43639	18312
10	केरल	17596.00	9698.10	1387.490	177.69	28859.28	449158	209236	29935	4358
11	मध्य प्रदेश	46545.91	19034.98	3550.370	1530.99	70662.25	1569627	536412	99924	30826
12	महाराष्ट्र	30547.83	1557.54	0.000	1994.52	34099.89	1122228	64956	8522	34987
13	ओड़ीसा	35184.69	20612.30	3330.770	3042.00	62169.75	1418631	525706	86767	24697
14	पंजाब	3603.29	576.84	174.130	384.01	4738.27	103875	15311	4710	2673
15	राजस्थान	25148.30	6687.04	1093.720	0.00	32929.06	799636	180341	29496	12347
16	तमिलनाडु	20125.88	9635.06	1060.500	1899.84	32721.28	1237809	519690	57201	18445
17	तेलंगाना	21316.84	9762.97	970.440	317.79	32368.04	473575	175530	17448	7794
18	उत्तर प्रदेश	124708.01	13560.07	2035.760	14269.66	154573.51	4345014	991784	73213	73075
19	उत्तराखण्ड	9876.36	1150.80	130.795	196.04	11353.99	191597	20690	2822	4808

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
20	पश्चिम बंगाल	36704.77	21749.44	2277.768	4439.17	65171.15	1423192	644590	65802	21553
	उप कुल	575397.5500	181924.4850	25251.843	36720.0175	819293.90	20260200	5886207	746868	343347
<b>एनई राज्य</b>										
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	29290	3565	1284	346
22	असम	25380.08	4260.05	701.400	0.00	30341.53	707927	114888	18916	8524
23	मणिपुर	2592.43	308.26	55.990	206.70	3163.38	55926	5623	1007	669
24	मेघालय	1718.68	315.12	35.920	0.00	2069.72	52501	8498	969	781
25	मिजोरम	935.38	71.38	14.840	40.60	1062.20	24981	1925	400	197
26	नागालैण्ड	1847.48	137.94	35.600	110.20	2131.22	44530	3720	960	535
27	सिक्किम	817.35	80.57	24.840	9.01	931.77	16418	1463	451	175
28	त्रिपुरा	984.70	269.28	33.230	101.21	1388.42	113920	12989	1783	984
	उप कुल	34276.1000	5442.60	901.820	467.7200	41088.24	1045493	152671	25770	12211
<b>संघ शासित क्षेत्र</b>										
29	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	78.81	27.07	5.420	8.60	119.90	590	3	1	86
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	2373	942	100	80
31	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	8898	1858	208	119
32	एनसीटी दिल्ली	2303.66	284.70	117.200	233.80	2939.36	119403	30712	6321	2270

क्र. सं.	राज्य/यूटी	निर्गम (₹ लाख में)					लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)			
33	जम्मू एवं कश्मीर	2287.96	124.37	27.990	17.46	2457.78	129905	7278	2426	323
34	लद्दाख	95.09	8.83	0.870	9.57	114.36	6488	443	363	112
35	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	166	89	51	9
36	पुदुचेरी	822.23	315.69	8.920	0.00	1146.84	17003	8514	1259	283
	<b>उप कुल</b>	<b>5587.75</b>	<b>760.66</b>	<b>160.400</b>	<b>269.43</b>	<b>6778.24</b>	<b>284826</b>	<b>49839</b>	<b>10729</b>	<b>3282</b>
	अन्य (एनपीसीआई)					1500.00				
	<b>कुल योग</b>	<b>615261.40</b>	<b>188127.75</b>	<b>26314.063</b>	<b>37457.17</b>	<b>868660.3755</b>	21590519	6088717	783367	358840

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

**अनुलग्नक-3.2**  
(पैराग्राफ 3.7 का संदर्भ लें)

- i. एनएसएपी-पीपीएस में शामिल राज्यों/यूटी तथा एनएसएपी-पीपीएस प्रणाली द्वारा वितरित पेंशन की सूची

क्र. सं.	राज्य/यूटी के नाम	एनएसएपी कार्यक्रम
1.	असम	सभी
2.	बिहार	एनएफबीएस
3.	छत्तीसगढ़	सभी
4.	दिल्ली	सभी
5.	गोवा	सभी
6.	गुजरात	सभी
7.	जम्मू एवं कश्मीर	सभी
8.	झारखण्ड	सभी
9.	लक्ष्यद्वीप	सभी
10.	महाराष्ट्र	सभी
11.	मणिपुर	सभी
12.	मेघालय	सभी
13.	ओडीशा	सभी
14.	सिक्किम	सभी
15.	त्रिपुरा	सभी
16.	उत्तराखण्ड	एनएफबीसी
17.	पश्चिम बंगाल	सभी

- ii. एनएसएपी-पीपीएस पर राज्यों/यूटी द्वारा अपने राज्य एमआईएस प्रणाली तथा अंकरीय लाभार्थियों की सूची

1.	आन्ध्र प्रदेश	8.	पुदुचेरी
2.	बिहार	9.	पंजाब
3.	हरियाणा	10.	तमिलनाडु
4.	हिमाचल प्रदेश	11.	तेलंगाना
5.	कर्नाटक	12.	उत्तराखण्ड
6.	केरल	13.	उत्तर प्रदेश
7.	मध्य प्रदेश	14.	राजस्थान

iii. एनएसएपी-पीपीएस पर अंकुरूपीय लाभार्थियों के डाटा वाले राज्यों/यूटी लेकिन उनके पास कोई राज्य एमआईएस नहीं है, की सूची

1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.	लद्दाख
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.	मिजोरम
3.	चण्डीगढ़	7.	नागालैण्ड
4.	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव		



## अनुलग्नक-5.1

(पैराग्राफ 5.4 का संदर्भ लें)

## राज्य/यूटी के वास्तविक व्यय तथा प्रस्तुत यूसी में अंतर

(₹ लाख में)

एनएसएपी के अन्तर्गत उप-योजनाएं	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>												
आईजीएनओ पीएस	813.21	865.47	-52.26	2.28	78.47	-76.19	-	-	-	-	-	-
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	127.88	132.19	-4.31	0.15	5.34	-5.19	-	-	-	-	-	-
आईजीएनडीपीएस	43.57	47.61	-4.04	0.06	2.08	-2.02	-	-	-	-	-	-
एनएफबीएस	71.26	71.28	-0.02	35.63	35.64	-0.01	-	-	-	-	-	-
			-60.63			-83.41						
<b>असम</b>												
आईजीएनओपीएस	11521.74	11521.74	शून्य	19093.72	लागू नहीं	लागू नहीं	24154.60	लागू नहीं	लागू नहीं	25380.08	25380.08	शून्य
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	2199.96	2199.96	शून्य	3935.61	लागू नहीं	लागू नहीं	4232.34	लागू नहीं	लागू नहीं	4260.05	4260.05	शून्य
आईजीएनडीपीएस	201.84	201.84	शून्य	701.40	लागू नहीं	लागू नहीं	701.40	लागू नहीं	लागू नहीं	701.40	701.40	शून्य
एनएफबीएस	350.18	350.18	शून्य	00	लागू नहीं	लागू नहीं	00	लागू नहीं	लागू नहीं	00	00	शून्य
	14273.72	14273.72	शून्य	23730.73	23477.37	253.37	29088.34	27819.07	1269.27	30341.53	30341.53	शून्य
<b>बिहार</b>												
आईजीएनओ पीएस	97767.69	84367.08	7777.30	85858.10	85858.10	0.00	94768.43	94768.43	0.00	129676.88	99732.16	(-) 29944.72
आईजीएनडब्ल्यू पीएस		18586.98		18747.97	18747.97	0.00	20311.56	20311.56	0.00	25600.00	20122.22	(-) 5477.78
आईजीएनडीपीएस		2590.93		3713.72	3713.72	0.00	4570.44	4570.44	0.00	5676.06	4470.44	(-)1205.62
एनएफबीएस	7200	7200.00	0.00	6990.29	6990.29	0.00	463.14	463.14	0.00	100.00	2077.80	1877.80
<b>केरल</b>												
एनएफबीएस	449	449	0	898	0	898	0	0	0	178	0	178
<b>मणिपुर</b>												
आईजीएनओ पीएस	1384.461	2526.708	1142.247	759.04	813.88	54.84	2541.784	1622.070(8 13.88 का 2018-19 दूसरी किस्त शामिल)	-919.714	1762.106	2542.96	780.854

एनएसएपी के अन्तर्गत उप-योजनाएं	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	0	0	0	78.947	86.43	7.483	297.294	186.18 (86.43 का 2018-19 दूसरी किस्त शामिल)	-111.114	208.933	306.00	97.067
आईजीएनडीपीएस	0	18.67 (2016-17 का बचा हुआ)	18.67	36.756	18.67 (2017-18 का बचा हुआ)	-18.086	57.888	37.34 (18.67 2018-19 का दूसरी किस्त शामिल)	-20.548	41.761	55.99	14.229
एनएफबीएस	1.4135	59.54 (11.11 शामिल 2016-17)	58.1265	50.2	68.91	18.71	23.62	68.91	45.29	151.81	206.7	54.89
<b>मेघालय</b>												
आईजीएनओए पीएस	1778	966	812	2553	1666	887	2682	1529	1153	3153	1713	144
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	280	177	103	411	296	115	498	267	231	473	307	166
आईजीएनडीपीएस	51	21	3	73	46	027	116	36	80	87	35	52
एनएफबीएस	174	44	13	123	122	2	79	58	21	76	103	27
<b>मिजोरम</b>												
आईजीएनओए पीएस	976.56	883.32	93.24	764.95	782.42	-17.47	834.49	926.4	-91.91	1052.58	935.38	117.20
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	83.16	71.38	11.78	69.30	71.38	-2.08	97.02	71.38	25.64	116.57	71.38	45.19
आईजीएनडीपीएस	26.70	14.84	11.86	22.26	14.84	7.42	31.16	14.84	16.32	37.38	14.84	22.54
एनएफबीएस	39.40	40.58	-1.18	39.40	40.58	-1.18	39.40	40.58	-1.18	59.20	40.60	18.60
<b>दिल्ली</b>												
आईजीएनओए पीएस	3385.5	3408.24	22.74	3302.12	1704.12	1598	3067.94	3999.88	931.94	3341.61	3497.7	156.01
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	1342.5	1348.26	5.76	1348.17	674.13	674.04	568.35	569.4	1.05	590.15	284.7	305.45
आईजीएनडीपीएस	199.98	234.38	34.48	113.78	117.19	3.41	234.77	234.38	-0.39	176.98	117.2	59.78
एनएफबीएस	304.6	467.62	163	464.8	233.81	230.99	460.8	467.62	6.82	227	233.8	6.8
			225.98									

एनएसएपी के अन्तर्गत उप-योजनाएं	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है	राज्य/ यूटी अभिलेखों के अनुसार व्यय	उपयोगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अंतर, अगर कोई है
<b>सिक्किम</b>												
आईजीएनओए पीएस	-	-	-	0.72	219.22		-	-	-	-	-	-
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	-	-	-		15.20		-	-	-	-	-	-
आईजीएनडीपीएस	-	-	-	0.00	9.07		-	-	-	-	-	-
एनएफबीएस	-	-	-	0.00	14.52		-	-	-	-	-	-
<b>त्रिपुरा</b>												
आईजीएनओए पीएस	3849.44	3800.02	49.42	3477.69	3477.69	0	3232.38	3232.38	0	3247.77	3250.35	(-) 2.58
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	654.94	643.63	11.31	611.46	611.46	0	563.99	563.99	0	585.83	585.81	0.02
आईजीएनडीपीएस	87.83	77.07	10.76	73.90	73.90	0	74.22	74.22	0	72.11	72.11	0
एनएफबीएस	99.80	101.20	(-) 1.40	97.00	101.20	(-) 4.20	101.20	101.20	0	76.00	50.60	25.40
<b>उत्तराखण्ड</b>												
आईजीएनओए पीएस	6902.05	6902.05	-	3715.17	3715.17	-	7008.47	11844.37	4835.90	1751.17	16851.03	15099.86
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	1222.82	1222.82	-	322.44	322.44	-	807.34	1299.20	491.86	203.04	1808.93	1605.89
आईजीएनडीपीएस	103.45	103.45	-	62.02	62.02	-	90.96	165.23	74.27	26.36	227.23	200.87
एनएफबीएस	478.40	488.61	10.21	411.69	411.69	-	467.80	450.10	17.70	274.18	272.00	2.18
<b>पश्चिम बंगाल</b>												
आईजीएनओए पीएस	27679	40190	(+) 12511	38612	41840	(+) 3228	43812	43123	(-) 689	66997	38545	(-) 28452
आईजीएनडब्ल्यू पीएस	13802	23205	(+) 9403	1756	23205	(+) 5645	26622	25182	(-) 1440	29418	22236	(-) 7182
आईजीएनडीपीएस	5257	2190	(-) 3067	587	2268	(-) 3602	2102	2254	(+) 152	2269	2101	(-) 168
एनएफबीएस	5388	4819	(-) 569	2467	4716	(+) 2249	4563	4439	(-) 124	3799	3820	(+) 021

**अनुलग्नक-5.2**  
**(पैराग्राफ 5.10 का संदर्भ लें)**

राज्य का नाम	आधार एकीकरण
1. छत्तीसगढ़	एनएसएपी-पोर्टल में लगभग 90 प्रतिशत आधार एकत्रित किया गया, जिनमें से 97 प्रतिशत आधार सत्यापित किया गया।
2. जम्मू एवं कश्मीर	सरकारी आदेश फरवरी 2019 के द्वारा, सभी जला समाज कल्याण अधिकारियों को बताया गया था कि अप्रैल 2019 से सिवाय एक वैद्य दर्ज कारण के आधार सीडिंग/मैपिंग के बिना किसी भी लाभार्थी को एनएसएपी के तहत पेंशन का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। आधार से सीड/मैच किए गये बैंक खातों के संबंध में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा सूचनाओं की नमूना जांच में पता चला कि 2020-21 के दौरान, विभागों ने बिना आधार सीडिंग के 0.57 लाख लाभार्थियों के पक्ष में ₹ 6789.00 लाख की राशि जारी की।
3. झारखण्ड	2020-21 के दौरान आधार एकीकरण की कमी का प्रतिशतता 12 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच था। आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस की प्रतिशतता क्रमशः 15.07 प्रतिशत, 12.77 प्रतिशत तथा 34.47 प्रतिशत था।
4. कर्नाटक	कर्नाटक में लाभार्थी डाटा का 93 प्रतिशत आधार के साथ मैप किया गया था।
5. ओडिशा	आईजीएनओएपी, आईजीएनडब्ल्यूपी तथा आईजीएनडीपी के अंतर्गत, 1847149 लाभार्थियों (91 प्रतिशत) के मामले में, आधार नवम्बर को बैंक खातों के साथ मैप किया गया था तथा 615079 लाभार्थियों (30 प्रतिशत) के बैंक खातों को आधार नवम्बर के साथ सीड किया गया था।
6. राजस्थान	राजएसएपी पोर्टल पर प्रकट हुआ कि आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीएस, सीएमओएपीएस एवं सीएमडीपीएस के 90,98,060 लाभार्थियों में से 89,50,692 (98.37 प्रतिशत) लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 320 लाभार्थियों में से 127 (40 प्रतिशत) लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से नहीं जुड़े थे।
7. उत्तर प्रदेश	राज्य में, 12.19 प्रतिशत आधार एकीकरण आईजीएनडब्ल्यूपीएस में पाया गया तथा आईजीएनओएपीएस में 97.42 प्रतिशत आधार एकीकरण 31 मार्च 2021 तक किया था।
8. उत्तराखण्ड	राज्य में, 97.49 प्रतिशत लाभार्थियों का आधार एकीकरण पूरा किया गया जिसमें 2,20,569 लाभार्थियों में से 231 के आधार नवम्बर बिना पूरे बारह अंकों के पाए गए।
9. पश्चिम बंगाल	आधार मैपिंग मार्च 2021 तक आईजीएनओएपीएस के तहत 64.81 प्रतिशत लाभार्थियों, आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत 73.36 प्रतिशत लाभार्थियों तथा आईजीएनडीपीएस के तहत 71.80 प्रतिशत लाभार्थियों के लिए की गई थी। यह

राज्य का नाम	आधार एकीकरण
	भी पाया गया था कि राज्य में पेंशन का आधार आधारित भुगतान के बजाए खाता आधारित भुगतान प्रचलन था।
10. अरुणाचल प्रदेश	कार्यान्वयन विभाग के पास सम्पूर्ण राज्य के लिए आधार एकीकरण डाटा नहीं था। छः चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 75,841 संचयी लाभार्थी थे जिसमें से आधार मैपिंग 24,517 (32.33 प्रतिशत) के लिए गई तथा बैंक खाते 43,350 लाभार्थियों (57.16 प्रतिशत) के लिए आधार के सीड किए गए थे।
11. असम	असम में केवल 41.30 प्रतिशत लाभार्थी जुलाई 2022 तक एनएसएपी पोर्टल के साथ उनके आधार सीड थे।
12. मणिपुर	केवल 23 प्रतिशत लाभार्थी डाटा आधार से एकीकृत किया गया था।
13. सिक्किम	राज्य में 95 प्रतिशत लाभार्थी डाटा आधार से एकीकृत किया गया था।
14. त्रिपुरा	राज्य में 47.55 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से सीड था।
15. लद्दाख	यूटी में लाभार्थी डाटा का 92.54 प्रतिशत आधार से एकीकृत किया गया था।

## संक्षेपाक्षर

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एएनआई	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
बीई	बजट अनुमान
बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआर.	करोड़
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसएस	केन्द्रीय प्रयोजित योजना
डीएबीपी	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीयू-जीकेवाई	दीन दयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीओबी	जन्म तिथि
डीएसएसओ	जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
डीएसडब्ल्यूओ	जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी
डीडब्ल्यूओ	जिला कल्याण अधिकारी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
जी.ओ.	सरकारी आदेश
जीओआई	भारत सरकार
जीपीडीपी	गांव पंचायत विकास योजना
जीपी	ग्राम पंचायत
आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
आईईसी	सूचना शिक्षा एवं संचार
आईजीएनडीपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
आईजीएनओएपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
जे एण्ड के	जम्मू और कश्मीर
जेपी	जनपद पंचायत
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईसी	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमपीआर/क्यूपीआर	मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट
एमवीपीवाई	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
एनई	पूर्वोत्तर
एनएफबीएस	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएलएम	राष्ट्र स्तरीय अनुवीक्षक
एनएमबीएस	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ-योजना
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसएएसी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएमवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण
पीपीएस	पेंशन भुगतान प्रणाली
पीआरआई	पंजायती राज संस्थान
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएलसी	राज्य स्तरीय समिति
एसएनए	एकल नोडलखाता
एसएनडी	राज्य नोडल विभाग
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूटी	संघ शासित क्षेत्र
वीसी	ग्राम परिषद्







© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>